लोक-सभा वाद विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 50(5)
Date 12-1-78

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए | Price : Four Rupees

विषय सूची/ONTENTS

अंक 40, गुरूवार, 28 जुलाई, 1977/6 श्रावण, 1899 (शक)

No. 40, *Thursday, July* 28, 1977/*Sravana* 6, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—8
*तारांकित प्रश्न संख्या 665 से 668	*Starred Questions Nos. 665 to 668	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या 26	Short Notice Question No. 26	9—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 669 से 672 और 674 से 684	Starred Questions Nos. 669 to 672 and 674 to 684	13—110
अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 से 5178, 5180 से 5213, 5215 से 5240, 5242 से 5303	Unstarred Questions Nos. 5144 to 5178, 5180 to 5213, 5215 to 5240 and 5242 to 5303	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	110
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re-Calling Attention	110
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention Notice to Matter of Urgent Public Importance	
किरीबुरु लौह-अयस्क खानों में हड़ताल	Strike in Kiriburu Iron Ore Mines	110—112
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	110—112
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters Under Rule 377—	112—113
(एक) त्रिपुरा मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी	(i) Dismissal of the Ministry in Tripura	
(दो) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के प्रयोग और निरसन के बारे में मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्य	(ii) Reported conflicting statements by Ministers about use of and repeal of MISA.	
(तीन) उत्तर बिहार में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति	(iii) Famine conditions in North Bihar due to failure of rains	
सीमेन्ट की उपलब्धता के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Availability of Cement	113—114
श्री जार्ज फर्नांडिस	Shri George Fernandes	
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee	115
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लोक पाल विधेयक—	Lokpal Bill—	..115—117
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to Introduce	
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	
श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे	Shri Annasaheb Gotkhinde	
बेरोजगारी की समस्या सम्बन्धी समस्या के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Unemployment Problem—	117—120
वापिस ले लिया गया	Withdrawn	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twentieth, Twenty-First and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	..120—130
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai	
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan	
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	
श्री युवराज	Shri Yuvraj	
श्री मंगल देव	Shri Mangal Deo	
आधे घण्टे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion	
विजय बैंक का कार्यकरण	Working of Vijay Bank	..130—134
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa ..	
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	
श्री कोड़ाजी बासप्पा	Shri Kondaji Basappa	
श्री ए० आर० बदरीनारायण	Shri A. R. Badri Narayan	
श्री ए० के० कोत्राशट्टी	Shri A. K. Kotrashetti	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	134
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977—	Finance (No.2) Bill, 1977 ..	135
राज्य सभा द्वारा लौटाये रूप में	As returned by Rajya Sabha	

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 28 जुलाई 1977/6 श्रावण, 1899 (शक)

Thursday, July 28, 1977 Sravana 6, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

परिवार नियोजन का प्रचार

*665. **डा० बापू कालदाते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार कल्याण सामाजिक कार्यकर्ताओं को परिवार नियोजन के प्रचार-कार्य में लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो देश भर में उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें क्या पारिश्रमिक दिया जाता है?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information received from States and Union Territory Administrations regarding the number of various categories of staff in position on 30-6-1976, there were 4,416 Extension Educators and 12,868 Family Welfare Health Assistants working at Rural Family Welfare Centres. There were 497 Extension Educators and 860 Family Welfare Field Workers at Urban Family Welfare Centres run by State Governments. There were also 189 Health Educator/Extension Educator/Social Worker and 192 Family Welfare Workers at *Post-Partum* Centres and 503 District Extension Educators at District Family Welfare Bureau.

(c) Family Welfare Programme is a Centrally sponsored Plan scheme and all expenditure incurred by the State Government as per approved pattern is reimbursed by the Government of India. However, the personnel appointed for the implementation of the Family Welfare Programme in the States serve under the concerned State Government/Union Territory Administration, and are covered by the same service conditions and are entitled to the same scales of pay and allowances as are applicable to similar categories under the State Government. The remuneration of staff varies from State to State and details are not available with the Department. The collection of this information will also take considerable time.

DR. BAPU KALDATY : Mr. Speaker, Sir, the policy of Government of India is not to be strict in the matter of Family Planning. It means Government is not for compulsory sterilisation. There is great need to stress upon the people in family planning over and above education and incentives. We do agree that family planning is also essential. The figures given by the Hon. Minister show that about 19 crore and 50 lakh people are engaged in propagating family planning. In view of this new policy of the Government in the new policy of education and incentives, Government should consider this matter in a different

way. I want to know from the Government whether it is proposed to give guidelines and directions to the Social Workers and setting up a separate Organisation.

SHRI RAJ NARAIN : The Hon. Member has asked a very relevant and good question. He has asked for the information regarding new scheme. I shall inform him as to how this new scheme will be implemented. It is true that this present Government of Janata Party has reiterated time and again that there will be no compulsory, forced sterilization. It will be completely voluntary, and any body wants to be sterilised voluntarily he will have to give it in writing. His signatures shall have to be verified lest they are forged signatures. Our Government will take precautions at every stage and there will be no forced sterilisation, and we are careful about this. When we do not intend to resort to coercion and want to limit the size of the family, we shall have to make widespread publicity about family planning. We expect the employees of whole of the Government machinery, whether it is Education department, Agriculture department, P.W.D. or any other department should engage themselves in this campaign. We are going to start implementation of this new policy of the Government on the 2nd October, the birthday of Mahatma Gandhi. This new policy will be implemented in every block of these 28 districts. This year we will take one Block in vary district for implementation of this new policy. There are 5,372 Primary Health Centres and 37,775 sub-centres under them working in the country. Most of the Family Welfare Centres, about which I have already mentioned, are attached with the Primary Health Centres. Two or three doctors and about 40 or 42 other para-Medical employees, *viz.*, Malaria Workers, Small-pox Vaccinators, Health Assistant, Ordinary Nurses, Mid-wives etc. are working in each Primary Health Centre. According to the scheme, which is in force for the last 2 years we intend to make them multipurpose employees.—(*Interruptions*)....I already to said that some of the Hon. Members want this information and that is why they have raised the question. (*Interruption*)

AN HON. MEMBER : This should be placed on the table of the House.

Shri RAJ NARAIN : If the Hon. Members want that this should be placed on the table of the House, it will be easy for me. But I do not want to misguide the people of the country and to keep them in dark as Congress Government had kept them for the last 30 years by giving replies only. I want to give detailed reply. (*interruptions*) Listen please; please don't lose heart, have patience.

According to the plan, which is in force for the last two years, these employees are being given training to make them multipurpose workers. This training has been given in 28 districts and it is being given in other 64 districts. We intend to start this new policy on the birthday of Mahatma Gandhi.

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरा ब्यौरा दे दिया है।

SHRI RAJ NARAIN : There will be 31,000 Public Health Visitors in 777 Primary Health Centres. There will be people's involvement in these and public will elect them. The Government has no such an idea earlier of having Public Health Visitors. The Janata Party Government has started this new policy.

अध्यक्ष महोदय : आप अब पूरा उत्तर दे चुके हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब कभी इनका प्रश्न आये तो इनके लिए अलग से प्रश्न काल आवंटित किया जाये इनका प्रश्न अन्य प्रश्नों के साथ नहीं जोड़ा जाये। यह एक या दो घंटे ले लेते हैं। इन के लिए अलग प्रश्न काल आवंटित किया जाए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप हमसे सदैव संक्षेप में बोलने को कहते हैं यदि ये इस तरह से बोलें तो आप को इन्हें जबरदस्ती बैठाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें भी कह चुका हूं कि संक्षेप में बोलें।

DR. BAPU KALDATY : I want to know the total amount spent on this scheme upto June 30, 1976 by the previous Government.

SHRI RAJ NARAIN : The Hon. Member has asked in his question the proposed programme of the Government under its new policy, which is now in force. If I do not give reply to the question I am guilty and that I do not want to be. It is said in our scriptures that do not go in constituent council and if you go then take the side of truth. Otherwise you have no right to set in this Parliament. Therefore I say the truth and I am prepared to give the information I have. (*Interruptions*) I congratulate the hon. Member

for he has understood the question. I have given the information what the Janata Party Government is going to do.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। आप बहुत अधिक समय लगा रहे हैं।

SHRI RAJ NARAIN : A separate notice is required for calculating the total expenditure.

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि आप कोई पूर्वोदाहरण बताये तो इसका उल्लेख किया जायेगा और फिर अन्य प्रश्न भी उठेंगे।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मंत्री महोदय तो भाषण देते हैं। जनता पार्टी की सरकार में मंत्रियों को उदाहरण स्थापित करने चाहिए ताकि और लोग उनका पालन करें **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूरा उत्तर दे दिया है। अब और अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं किए जायेंगे। अगला प्रश्न लेंगे।

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खड़ा हूं। नियमों के अन्तर्गत प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है इस प्रश्न का पूरा उत्तर दे दिया गया है और इस लिए आगे का कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

जाली लेबल तथा जाली ब्रांड वाले इंजेक्शनों का स्टाक

***666. श्री वयालार रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा औषध प्रशासन, बम्बई ने एक नागपुर फर्म द्वारा निर्मित तथा वितरित जाली लेबल तथा जाली ब्रांड वाले इंजेक्शनों का एक भारी स्टाक पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई औषधियों तथा इंजेक्शनों के क्या नाम है, और

(ग) क्या सरकार की औषधियों में अपमिश्रण रोकने के लिए औषधि निर्माता फर्मों की अचानक जांच करने की कोई योजना है?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, Sir.

(b) M/s. Society General and Medical Store, Byculla, Bombay received Box of 50 ampoules of Aminophylline injection I.P. (Batch No. 144) manufactured by M/s. Vimson's Institute Medica, Nagpur and was bearing the following label on Box "Aminophylline Injection I.P. Batch No. 144, 50 ampoules of 10 Ml Each." When the Box was opened they noticed that the inside ampoules were bearing following labels; "Calcium Gluconate Injection I.P. 10% 10 Ml, each, batch No. 146." On subsequent analysis, it was found that these ampoules contained Aminophylline.

(c) Officers of Food and Drug Administration, Maharashtra have prohibited further distribution of these medicines and have also carried out inspections of the premises of the Nagpur firm. Under the provisions of the Drugs & Cosmetics Act and the Rules thereunder, Drugs Inspectors are required to carry out surprise inspections of firms manufacturing medicines in order to ensure that drugs are manufactured under proper conditions and necessary controls are exercised during the process of manufacture and that the raw materials and the finished products are tested.

श्री वयालार रवि : आशा है आप इस बात से तो मुझ से सहमत होंगे कि यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उत्तर का आधा भाग ही समझ सका हूं। मैं भाषा

के प्रश्न पर जोर नहीं देना चाहता। मैं प्रैस रिपोर्ट से केवल एक ही वाक्य उद्दृत करूंगा। "खाद्य तथा औषध प्रशासन के स्रोतों ने बताया है कि यदि जाली ब्रांड वाले इंजेकशन लगा दिए जाते तो उनसे मरीजों की तुरन्त मृत्यु, हो सकती थी।" यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। जाली लेबल वाली दवाइयां देश के विभिन्न भागों में भेजी जा चुकी है। हमें अधिक चिन्ता तो इस बात की है कि सरकार क्या कदम उठायेगी। सदन में ऐसी बात कोई पहली बार नही उठायी गई है। पिछली संसद में भी कानपुर की एक फर्म का मामला उठाया गया था। तब सरकार ने कहा था "हम जांच पड़ताल करेंगे।" लेकिन वह बच गये।

अध्यक्ष महोदय : जितना लम्बा प्रश्न होगा उसका उतना ही लम्बा उत्तर होगा। (व्यवधान)

श्री वयालार रवि : मैं प्रश्न कर रहा हूं। हम सभी इस से चिंतित हैं। संसद सदस्य, श्री संजीवीराव अपनी पत्नी को अस्पताल ले गये थे और इंजेक्शन लगाने के केवल 5 मिनट के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। प्रश्न के (ग) भाग का मंत्री महोदय का उत्तर वचनात्मक है और सही नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औषध अधिनियम का उस सीमा तक संशोधन करेगी जिससे कि औषध निरीक्षक और अन्य अधिकारी वहुराष्ट्रीय फर्मों सहित बड़ी बड़ी फर्मों पर अचानक छापे मार सकें तथा दवाइयां पकड़ कर अपने कब्जे में कर सकें और कम्पनी के निर्माताओं चेयरमैन एवं प्रबन्धनिदेशक सहित सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकें।

SHRI RAJ NARAIN : Sir, It is my duty to give information. (*interruptions*) What is the use of Aminophylline ? This medicine Aminophylline releases contraction of wind pipe that there is no difficulty or inconvenience in breathing. Calcium Gluconate improves deficiency of calcium in the body.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उनका यह प्रश्न नहीं है। उन्होंने यह पूछा है कि क्या आप उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं। और क्या आप इस अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं।

SHRI RAJ NARAIN : The question is that the change of medicine caused death. Therefore, it is my duty to tell you the qualities or properties of the medicine. Are the properties of these medicines are such as may cause death of a man ? So I want to tell you the qualities of Aminophylline and Calcium Gluconate. The question of death thereby does not arise.

I am not aware why no inquiry has been conducted into the cause of deaths on large scale by administration of Glucose injection in Kanpur. So far as I know Shri Virendra Swarup, Chairman, Uttar Pradesh Vidhan Parishad was all in all in the matter. He was a big leader of Congress. This inquiry was hushed up because he intervened in it and proper action was not taken in the matter.

So far as amending the Act is concerned, a draft has been prepared to amend it. Provision for one to ten years' imprisonment does exist in the present Act for such type of bungling. We are bringing forward an amendment which will provide for death for death caused due to adultered medicine.

श्री वयालार रवि : आप किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को दण्ड दें। हम आपका समर्थन करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि औषध अधिनियम में निरीक्षकों द्वारा फर्मों का निरीक्षण करने का उपबन्ध है क्या माननीय मंत्री को यह तथ्य मालूम है? निरीक्षण करने वाले तथा अचानक छापा मारने वाले निरीक्षक अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं निभाते क्योंकि वह भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। क्या आप अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन करेंगे कि किसी फर्म के प्रबन्ध निदेशक को भी सज़ा मिलेगी और अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से न निभाने वाले निरीक्षकों को भी सज़ा मिलेगी ?

SHRI RAJ NARAIN : I partially agree with the suggestion of the hon. Member. It is correct that the inspectors of the Health Department, who inspect the drug firms, should ensure that all the equipments, machines and other raw material used in manufacture of

drugs are in good condition. If they fail in their duty, they are liable to be punished. Suitable and stringent action will be taken against them.

श्री के० मालन्ना : क्या यह सच है कि निर्माताओं को मिलावटी दवाइयां बनाने दिया जा रहा है और सरकार उन निर्माताओं को कम मूल्यों पर दवाइयां बेचने देती है। मूल्य कम होने पर या गिरने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या कदम उठाये गये हैं?

SHRI RAJ NARAIN : So far as Government of India is concerned, neither they are allowed to manufacture adulterated drugs nor are they allowed to sell them at lower prices.

श्री वयालार रवि : परन्तु वे ऐसा कर रहे हैं।

श्री राज नारायण : हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Whether it is a fact that a raid was conducted on a factory manufacturing adulterated drugs on large scale in Indore (Madhya Pradesh) and drugs in large quantity were seized and C.B.I. inquiry was instituted into the matter ? If so, what are findings of the said inquiry ?

SHRI RAJ NARAIN : This does not arise out of the present question.

SHRI JANESHWAR MISHRA : I want to know whether the Kanpur firm or the Nagpur firm or similar other drug manufacturing firms were issued licences by the previous government about six months ago ? If so, the action being taken by Government against the officers of the Health Department ?

SHRI RAJ NARAIN : It is true that these licences were given by the previous government. A Health Conference of Health Ministers and Health Secretaries of all the states and union territories is going to be held from 29th July. What action has so far been taken and what action can be taken in future against these companies, all this will be discussed in this conference. Measures to check recurrence of such incidents will also be discussed. Health is a state subject. So we request them and try to convene such conferences. During the last four months two such conferences were held. In the conference we have invited Dr. Karan Singh and Dr. Sushila Nayar also. But Dr. Karan Singh will not be able to participate in it as he is going out of station. So we will be deprived of his valuable suggestions.

DR. BALDEV PRAKASH : Whether the Hon. Minister is aware that adulteration is done in connivance with the inspectors ? Whether the provision for capital punishment for adulterators in the new Act will also cover supervisors and inspectors also because of whose carelessness such drugs are being manufactured ?

SHRI RAJ NARAIN : The draft of the new Bill is still under consideration. At present the old Act is in force. Our proposal is that such persons should get capital punishment. Dr. Baldev Prakash can move his amendment when this Bill be discussed in the House. But we will have to keep in mind quantitative and qualitative change while framing the law.

SHRI YAGYA DATT SHARMA : Whether the hon. Minister is aware that several Ayurvedic medicines are being manufactured after giving them new names as a result of which customers are exploited ? Will Government pay attention towards it ?

SHRI RAJ NARAIN : We are setting up a factory in Ranikhet for manufacture of Ayurvedic and Unani drugs. The herbs available in Himalayan mountains will be tested, improved and used in manufacture of drugs. The large scale production of drugs in this factory will be more beneficial. So far as adulteration is concerned, we are making constant efforts to check it.

भारत आबादी परियोजना

***667. श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई भारत आबादी परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो किसके सहयोग से ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, Sir.

(b) With the assistance of International Development Association (I.D.A.) and Swedish International Development Authority (S.I.D.A.) through World Bank.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं परियोजना का ब्यौरा जान सकता हूँ ?

SHRI RAJ NARAIN : India Population Project is a pilot Family Planning Scheme which has been introduced in six districts of Uttar Pradesh *viz,* Lucknow, Sultanpur, Muzaffarnagar, Saharanpur, Pratapgarh and Rae Bareli and five districts of Karnatak *viz.,* Shimoga, Chitradurga, Kolar and Tumkur with the assistance of Swedish Government and International Development Association through World Bank. Under an agreement the Swedish Government have given a grant of 106 lakh dollors through Swedish International Development Authority and the International Development Association has given loan of 212 lakh doller to implement this scheme for a period of five years from 1st April, 1973. The Government of India will have to continue giving assistance for implementing family welfare programme in districts in a regular way and the additional funds will be utilised for sophisticated equipment. The main features of the scheme are :—

Family Welfare at various levels and family welfare programme based on maternity both in urban and rural areas by coordinating maternity and child health services.

A suitable pattern programme of the Government of India in four districts of Uttar Pradesh *viz.,* Lucknow both Urban and Rural Areas, Sultanpur, Muzaffarnagar and Pratapgarh and three districts of Karnatak *viz.,* Bangalore both urban and rural, Shimoga and Tumkur.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I would like to know the policy of the Government for controlling the population growth.

SHRI RAJ NARAIN : Soon after the Janata Party Government was formed, we declared that coercion or compulsion will not be restorted to form sterilisation of the people. to control population growth, we would ask people to practise Brahamcharya, self-control and Yoga. The husband and wife may observe safe-period. Besides, we have asked Ayurvedacharyas to invent medicines for birth control, which may serve the purpose without having any adverse effect on the health.

We should educate people by felling them that our Rishis and Munis too have been practising self-control and our gods and goddesses were having less number of children.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

डा० कर्ण सिंह : श्रीमन् मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । यह प्रश्न भारतीय जनसंख्या परियोजना से सम्बन्धित है । इस परियोजना पर 60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होते हैं। लेकिन माननीय मंत्री पिछले 15 मिनट से जनसंख्या नियंत्रण पर रोचक भाषण दे रहे हैं। इस प्रकार हमें इस परियोजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से वंचित किया जा रहा है।

Smt. AHILYA P. RANGNEKAR : The Hon'ble Minister is using very objectionable language, which is very embarassing for lady members.

श्री पार्वती कृष्णन : हम महिला सदस्य माननीय मंत्री के मंत्रालय सम्बन्धी प्रश्नों का बहिष्कार करेंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा और यदि इसमें कोई आपत्तिजनक बात हुई तो उसे रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

ESTABLISHING SURVEY OF MEDICINAL PLANTS UNIT IN ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

*668. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the proposal to establish survey of medicinal plants unit in the Aligarh Muslim University was agreed to in principle at a meeting of the Executive Council for Research in Indian Medicines and Homoeopathy held on the 4th August, 1973;

(b) if so, whether the same has been established; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be established ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The proposal for the establishment of a survey of medicinal plants unit in Aligarh Muslim University was approved by Executive Committee of the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy subject to availability of funds but due to shortage of funds this scheme could not be undertaken so far. The areas proposed to be covered by that unit are being covered by Regional Research Institute (Ayurveda), Jhansi.

This Institute is also doing Unani work. The work that could have been accomplished by opening a Unit in Aligarh University, is being carried out by the Institute in Jhansi.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : The Executive Council for Research in Indian Medicines and Homoeopathy had adopted a proposal for establishing survey of medicinal plants units in the Aligarh Muslim University and this scheme has been kept in abeyance due to paucity of funds since 1973, though we have been spending huge sums of money on the projects. Will the Minister consider in terms of setting of the said unit in the said University. So that necessary research work could be started there ?

SHRI RAJ NARAIN : It is a fact that a decision had been taken for the setting up of the said unit and this scheme had been sanctioned on the 4th August, 1973. Now that the Janata Party Government is in power, we shall sincerely consider whether what we wanted to achieve by opening the said unit in Aligarh University.. Can be achieved by the Research Institute (Ayurveda) at Jhansi, and if it cannot be achieved, then we shall consider in terms of opening the said Unit in Aligarh Muslim University.

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न..........

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देते हैं जिसके कारण बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते। आज प्रश्न संख्या 676 मेरे प्रश्न पर और इसका उत्तर नहीं दिया जा सका क्योंकि बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

पिछले कई सप्ताहों से मैं देख रहा हूं कि जिन मंत्रियों ने उत्तर देना होता है वे सभा में मौजूद नहीं होते। या तो वे दूसरी सभा में होते हैं या कभी कभी दिल्ली से और कभी-कभी भारत से भी बाहर होते हैं। क्या मंत्रियों का संसद् के सत्र के दौरान दिल्ली से और भारत से भी बाहर जाना संसदीय प्रथा के अनुरूप है?

प्रधान मंत्री को अपनी मंत्रि-परिषद् का विस्तार करना चाहिये ताकि उनके सहयोगियों को जिनके पास काम बहुत है, कुछ राहत मिल सके और वरिष्ठ मंत्रियों की अनुपस्थिति में दूसरे मंत्रियों को संसद में आकर उत्तर देने का काम सौंपा जा सके। मंत्रियों की अनुपस्थिति में अन्य मंत्रियों को उत्तर देने में कठिनाई होती है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्रियों द्वारा और सरकार द्वारा इस सभा को किस प्रकार का आदर और सम्मान किया जाता है। हम आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे किन्तु समयाभाव के कारण नहीं पूछ सके।

अतः मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सरकार से मंत्रि-परिषद का शीघ्रातिशीघ्र विस्तार करने के लिये कहें और जिन मंत्रियों को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं उन्हें कहा जाये कि वे सभा के दौरान दिल्ली में और संसद से बाहर न जायें। संसदीय प्रक्रिया और प्रथा के अनुसार, सभा को सरकार से उचित सम्मान और आदर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री श्री मावलंकर के सुझाव को प्रधान मंत्री तक पहुंचा देंगे।

विदेश मंत्री का मामला अलग है। जहां तक अन्य मंत्रियों का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें सत्र के दौरान सभा में उपस्थित रहना चाहिये। इस सभा का उन पर अधिकार है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : पिछले किसी भी प्रधान मंत्री ने संसद् के सत्र के दौरान विदेशों में अपने दौरे निश्चित नहीं किये। विदेश मंत्री का मामला भी कोई अलग नहीं है। विदेश मंत्री को भी अन्य मंत्रियों की तरह ही समझना चाहिये। सभा ने प्रधान मंत्रियों को भी अलग नहीं समझा। कि पहले कोई भी प्रधान मंत्री संसद् के सत्र के दौरान विदेशों के दौरे पर नहीं गया।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

कुद्रेमुख में बेच्टल कम्पनी को दिये गये ठेके

26. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सी० आई० ए० के एक भूतपूर्व निदेशक मि० मककोन का नाम बे-टल कम्पनी की वेतन सूची में है ;

(ख) क्या टकरु आयोग ने इस कम्पनी और भारत सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर टिप्पणियां की थीं; और

(ग) क्या इस कम्पनी को कुद्रेमुख (कर्नाटक) में बड़े ठेके दिये गये थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) टकरु आयोग ने बेच्टल कारपोरेशन और इसकी सहायक कम्पनियों तथा इंडियन रिफाइनरीज लि०/इंडियन आयल कारपोरेशन और पेट्रोलियम विभाग के कुछ अधिकारियों के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं।

(ग) कनाडा के मेट-केम कन्सलटेन्ट्स लि० मोन्ट्रियल ने जो कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना के लिए खनन सहयोगी और इंजीनियर निर्माता है, बेच्टल को लोह स्लरी पाइपलाइन के डिजाइन और इंजीनियरी और प्रयोजना की पंपिंग मिस्टम के लिए अपना उप-ठेकेदार नियुक्त किया है।स कम्पनी को केवल यही एक कार्य सौंपा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'क' भाग के उत्तर में कहा है—जी नहीं। क्या इसका अर्थ यह है कि वह यह नहीं जानते या इसका अर्थ यह है कि यह तथ्य नहीं है ?

क्या अनुसंधान तथा विश्लेष्ण विंग, विदेशी खुफिया विभाग ने बेच्टल पर कोई प्रतिवेदन दिया है, यदि हां, तो वह प्रतिवेदन क्या है और यदि नहीं, तो क्या वह प्रतिवेदन को मंगवाकर, सभा पटल पर रखेंगे। क्या बेच्टल कम्पनी भारत में विरोधी गतिविधियों के लिए भारत में धन लाने हेतु सी० आई० ए० का एक साधन है ?

श्री बीजू पटनायक : तथ्य यह है कि श्री मेकान, जो केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक थे, बेच्टल निगम में साझेदार थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन साहब ने दस वर्ष तक सी० आई० ए० के लिए काम किया ।

श्री बीजू पटनायक : पैट्रोलियम मंत्रालय के रिकार्ड से पता चलता है कि यह बात 4-5-73 को पैट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री देवकांत बरूआ तथा पाइपलाइन जांच सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के शिष्टमंडल के बीच हुई वार्ता के दौरान ध्यान में लाई गई थी। इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत गुप्ता, संसद सदस्य थे। इसके अतिरिक्त, इसमें श्री वसंत साठे, संसद सदस्य, श्री अरुण राय चौधरी तथा श्री शशि भूषण, संसद सदस्य भी शामिल थे। चर्चा का प्रारूप संक्षेप इस प्रकार है :--

> "श्री अरुण राय चौधरी ने मंत्री महोदय को एक किताब दी जिसमें यह बताया गया था कि सी० आई० ए० के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा बेच्टल निगम के बीच कार्य की साझेदारी थी। मंत्री महोदय ने कहा कि वह किताब को पढ़ेंगे।"

मैंने इस पुस्तक को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लेकिन लगता है कि अब यह पुस्तक गायब है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : टकरु आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 84 तथा 85 पर लिखा है :--

> "7-10-1971 के अपने वक्तव्य/हलफनामे में वह चाहते थे कि आयोग निम्नलिखित मामलों में पूरी जांच करे :--
>
> (1) विभिन्न अधिकारियों द्वारा कमाए गए गैर-कानूनी लाभ ।
>
> (2) इन अधिकारियों की आस्तियां, बैंक खाते, विदेशी यात्राएं, तथा उन होटलों के नाम, जहां वे ठहरे थे।
>
> (3) श्री पी० आर० नायक के पुत्रों की एम० आई० टी० अमरीका में शिक्षा और अमरीका में उनके पास जमा राशि ।
>
> (4) 1963 के बाद श्री पी० आर० नायक 'लक्जरी क्लास' टिकटों एवं उनके मनोरंजन के लिए धन का खुले आम खर्च किसने किया; और क्या ये खर्च प्रतिपूर्ति योग्य लागत से पूरे किए गए।
>
> (5) क्या श्री पी० आर० नायक 1962 में बेच्टल निगम के खर्चे पर जार्ज V होटल, पैरिस में ठहरे थे ;
>
> (6) श्री एम० गोपाल मेनन और श्री एम० वी० राव के बच्चों की विदेश में शिक्षा
>
> 31-7-1972 के अपने विवरण/हलफनामे में वह चाहते थे कि आयोग निम्नलिखित बातों की जांच करे :--
>
> (1) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने भ्रष्ट तरीके अपनाकर विभिन्न ठेके दिए;
>
> (2) क्या अमरीका की मैसर्स बेच्टल निगम ने श्री एम० वी० राव को पैसे दिए और उन पर अनुचित प्रभाव डाला। टकरु आयोग के प्रतिवेदन में आगे कहा गया है :
>
> "अब केवल इस प्रश्न का उत्तर देना शेष रह गया है कि क्या श्री पी० आर० नायक के दुराशयपूर्ण कार्यों के लिए अमरीका की मैसर्स बेचटेल निगम जिम्मेदार थी और यदि हां, तो किस हद तक ।"

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है :

> "किन्तु कई बार उनके योग्य वकील श्री एस० एल० वाटेल ने यह तर्क दिया है कि अमरीका की मैसर्स बेच्टल कम्पनी व्यापार करने तथा पैसा कमाने के लिए बनी है....इससे सहज ही यह अभिप्रेत है कि इस कम्पनी ने पैसा कमाने के लिए व्यापार के सभी सामदंड भेद अपनाए होंगे। फिर भी, वह अपने इन उद्देश्यों में कहां तक सफल हुए हैं, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है..."

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह है कि उन अधिकारियों, विशेषकर श्री पाठक, जो कि तत्कालीन उपाध्यक्ष के पुत्र हैं, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और अमरीका में बेच्टल कम्पनी में नौकरी कर रहे हैं और जो मंत्रालय के तत्कालीन सचिव हैं, और जिनका सम्बन्धी अभी भी अमरीका में बेच्टल में काम कर रहा है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? कुद्रेमुख परि-योजना के ठेके में उन्होंने डिजाईन में हेरफेर करके उसकी लागत बढ़ा दी । मैं मंत्रालय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बीजू पटनायक : श्री बसु के अन्तिम प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, उन्होंने जो कुछ कहा, सही है। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते कि अमरीका की कम्पनी किसको नौकरी दे रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने उसे यहां आने की अनुमति क्यों दी?

श्री बीजू पटनायक : मैं एक दस्तावेज सभा पटल पर रखना चाहता हूं। यह दस्तावेज दो प्रसिद्ध इंजीनियर पर्यवेक्षकों द्वारा लौह-स्लरी पाइपलाईन बिछाने के बारे में है। इससे यह पता चल सकता है कि बेच्टल को इस प्रकार का काम करने में विशेषता प्राप्त है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय व्यापार की दृष्टि से बात कर रहे हैं जब कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अनुभवी व्यक्ति हैं; वह आपके प्रश्न को समझ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार चाहती है कि हमारे देश में अमरीकी जासूस जासूसी करते रहें।

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं। सरकार यह नहीं चाहती कि हमारे देश में विदेशी जासूस जाससी करें। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हम नहीं चाहते कि सी० आई० ए० या विदेशी जाससं हमारे देश में जासूसी करें। यहां प्रश्न यह है कि हम ठेके के शास्ति खंड से बंधे हुए हैं। हमें विश्व में बढ़िया से बढ़िया विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी हैं। पर जहां तक कुद्रेमुख परियोजना का सवाल है, यह सरकारी परियोजना है और यह सीधे इस फर्म को काम नहीं दे सकती। जैसा कि मैं मुख्य उत्तर में बता चुका हूं कि मेट-केम ने बेचटल को लौह स्लरी पाइपलाइन के डिजाईन और इंजीनियरी और प्रयोजना की पंपिंग प्रणाली के लिये अपना उप-ठेकेदार नियुक्त किया है। इस काम के वे विशेषज्ञ हैं। मैं इसे सभा के समक्ष रख रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बेचटल डिजाईन 1972 के बाद पुराना हो गया है और यह नवीनतम तरीका नहीं रहा।

श्री बीजू पटनायक : यह सही नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने श्री पाठक के पुत्र के बारे में कुछ नहीं बताया जो इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के शासन में योजना आयोग के सदस्य थे। हम जानना चाहते हैं कि उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी, नहीं। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित कर रहे हैं और देश में सी० आई० ए० की गतिविधियां रोकने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री बीजू पटनायक उठे

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर न दें जिनको पूछने की मैंने स्वीकृति नहीं दी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंतित नही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चित रूप से चिंतित हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मंत्री महोदय को बोलने दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री के० लकप्पा : मैं इस मामले में राजनीति को नहीं घसीटना चाहता। कुद्रेमुख परियोजना पर कर्नाटक के लोगों को गर्व है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि इस मंत्रालय या किसी मंत्रालय में सी० आई० ए० के एजेन्ट काम कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि इस कंपनी के बारे में किसी ने प्रतिकूल टिप्पणी दी है तो सरकार मामले से निपटने के लिये स्वतंत्र है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कंपनी को कौन से महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। कर्नाटक के लोगों को लाभान्वित करने वाली कर्नाटक परियोजना पूरी होने में कितना समय लगेगा ?

श्री बीजू पटनायक : वर्ष 1980 के अंत तक कुद्रेमुख परियोजना तैयार हो जाएगी।

श्री डी० एन० तिवारी : कुद्रेमुख परियोजना के संबंध में कुछ मौलिक खराबी है। वे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बन रहे हैं बल्कि वाणिज्यिक मामलों में भी और तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हाल में मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखकर उनका ध्यान राजकोष से धोखे से धन निकालने की ओर दिलाया था। परन्तु मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने इस माह की 16 तारीख को पत्र लिखा था और मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बीजू पटनायक : यह दो ठेकेदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा का मामला है। मामला कुद्रेमुख परियोजना बोर्ड को भेज दिया गया है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The hon. Minister is aware that agents of C.I.A. and K.G.B. operate in such countries where foreign companies like Bechtals are working. Such companies want to influence the Government by employing sons of high officials, Ministers and Ambassadors. Bechtals company is a big company. But I know that the company is adopting illegal means. The company has also been employed in Delhi Municipal Corporation. I would like to know from the hon. Minister that what steps will be taken to check activities of C.I.A. and K.G.B. keeping in view of security of the Nation. Will he assure us that such companies will not be employed ?

श्री बीजू पटनायक : सरकार इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकती। हमें देश को विदेशी जाससों से बचाकर इसे सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन जब बिटन में सर्वोत्तम विशेषज्ञ उपलब्ध हों तो हमें यह पूर्वोपाय करते हुए कि विशेषज्ञ यहां आकर जासूसी न करें, उनका उपयोग करना चाहिए।

SHRIMATI MRINAL GOREY : It is an important matter. May I know whether the Hon. Minister does not think that the services of the company should not be utilised keeping in view its antecedents, may it be an expert company and may it be employed not by contract but by sub-contract ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं समझा। मैंने कहा था कि बेचटल का एक अंशधारी सी० आई० ए० का भूतपूर्व निदेशक था। अब वह सी० आई० ए० की सेवा में नहीं है।

श्री वयालार रवि : सरकारी तौर पर वह नौकरी में नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : वह सेवा-निवृत्त हो चुका हैं। उनके सेवा निवृत्त होने के बाद भी हमारी आर० एन० जे० में भूतपूर्व निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री वसंत साठे : मैं टकरू आयोग के प्रतिनिधि मंडल में था। मैंने तब मंत्री महोदय को बताया था। कि बेचटल तथा इटली की 'स्नेम' कम्पनी ने मिलकर बरौनी में पाईप लाइन बिछाई थी। टकरू आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि पाईपलाईन खतरनाक मार्ग से बिछाई गई थी।

यह जानते हुए कि इसमें देश की सुरक्षा को खतरा है, समरेखन का कार्य नहीं किया गया है, जैसा कि सिफारिश की गई थी। यह जन हित में हैं। जहां भी सी० आई० ए० एजेन्टों के बारे में बताया गया, बात का मजाक उड़ाया गया। सरकार इस बात से अवगत है कि निदेशक स्वयं सी० आई० ए० का अध्यक्ष था और सी० आई० ए० ने स्वयं यह स्वीकार किया है। कम्पनी के बारे में पूरी तरह जानने के बाद भी क्या दूसरी कम्पनी नहीं थी जिसको पाईपलाइन बिछाने का काम दिया जाता? यदि कोई अन्य कंपनी यह काम कर सकती थी, तो क्या कारण है कि जोखिम को समझते हुए भी बेचटल को ठेका दिया गया।

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य इस आयोग के सदस्य थे। उन्होंने जो बातें कही थीं, मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री वसंत साठे : मंत्री महोदय ने टकरू आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिश नहीं मानी।

श्री बीजू पटनायक : मैं यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। कि पाईपलाईन बिछाना राष्ट्र की सुरक्षा के लिये खतरनाक हो सकता है। यह मामला पैट्रोलियम मंत्रालय और ठेकेदारों के बीच है। वे यह निर्णय कर सकते थे कि किस मार्ग से पाईपलाईन बिछाई जानी थी।

अध्यक्ष महोदय : बेचटल कम्पनी के पूर्व इतिहास को जानते हुए भी क्या कोई ऐसी कंपनी न थी जिसको यह काम दिया जाता।

श्री बीजू पटनायक : तथ्य तो यह है कि ऐसी पाईपलाईन बिछाने, जिसमें से लौह अयस्क को ले जाया जा सके, का कार्य करने के लिये इस कंपनी के पास सर्वोत्तम परिष्कर्ता तथा डिजाईन बनाने वाले हैं।

SHRI UGRA SEN : It has been clearly stated that the Director of the Company was Chief of C.I.A. Inspite of the knowledge, he was appointed an administrator. I would like to know the action taken by the former Government as well as the present Government in this regard.

SHRI BIJU PATNAIK : I am not aware of the action taken by the former Government. However, we must be cautious about the former Director, who has also a partner of the company. I wish to assure him that Janata Government is strong enough to defend the cause of the Nation.

श्री वेदव्रत बरुआ : प्रश्न यह था कि क्या किसी अन्य कंपनी को काम दिया जा सकता था—चाहे वह कम्पनी भारत की होती तो भारत में पंजीकृत होती। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है। लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार का कर्तव्य है कि वह मामले की तह में जाए और ठेकेदारों की आड़ न ले। क्या सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से वह ठेके की जटिलताएं देख ली हैं और क्या सरकार इस ठेके को रद्द कर देगी?

श्री बीजू पटनायक : सी० आई० ए० के भूतपूर्व निदेशक के 5 वर्ष पूर्व के सहयोग से देश की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सी० आई० ए० के एजेन्ट का भारत में घटने वाली घटनाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। सरकार ने इस संबंध में हर सावधानी बरती है। दूसरे, ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कनाडा के करार को रद्द न किया जाए क्योंकि वे प्रमुख परामर्शदाता हैं। इसका अर्थ होगा तीन या चार वर्ष से चल रहे कार्य में रुकावट डालना यह संभव नहीं है क्योंकि भारत सरकार शास्ति खंड से बंधी हुई है। इस परियोजना के लिये 70 करोड़ डालर का ऋण मिला है।

CHOWDHARY BALBIR SINGH : May I know whether any enquiry will be conducted in regard to activities of former Director and C.I.A. agent and whether it will be found out that which persons of ruling party were having connection with the former Director. I would also like the hon. Minister to see whether persons of Congress Party were receiving money from C.I.A. agent. The Chancellor of Germany had relation with some East German spy and he was made to resign from his post although he was a popular in his country. Similarly, I want that an enquiry should be conducted to see that which Congress-men or Ministers and their associates had connections with C.I.A. Would the Hon. Minister take action against such persons who had put the security of India in danger ?

श्री बीजू पटनायक : सरकार निश्चय ही इसकी जांच करेगी।

SHRI MANI RAM BAGRI : It is not a question of a company or of an individual : it is a matter of policy. May I know whether the Government will take special steps to save the countries from such persons who pose threat to the Security of India or will the Government treat them like ordinary citizens ? Our people are afraid of Russian and American agencies. Would the hon. Home Minister or Prime Minister state what action would be taken to break the network of such agencies ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले ही बताया है कि सरकार ने सभी पूर्वोपाय कर लिए हैं और करती रहेगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : बेचटल कम्पनी कब स्थापित की गई थी और मेकान इस कंपनी के अंशधारी कब बने थे? क्या वह सी० आई० ए० के एजेन्ट पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कम्पनी के अंशधारी बने या पहले?

श्री बीजू पटनायक : वह अपनी सेवा काल के दौरान कम्पनी के शेयर होल्डर थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written answers to questions

स्टैनलेस स्टील की चादरें

*669. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्तनों के निर्माण और पुनर्वेलन (रि-रोलिंग) के इस्तेमाल में आने वाली स्टेनलैस स्टील की चादरों पर लगने वाले सीमाशुल्क में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और स्टील के बर्तनों के मल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या अखिल भारतीय स्टेनलेस स्टील लघु री-रोलर्स एसोसियेशन ने इस कार्यवाही पर चिंता व्यक्त की है क्योंकि इससे लगभग 1,500 कुटीर तथा लघु उद्योग बंद हो सकते हैं;

(घ) क्या लघु रि-रोलरों के लिये स्वदेशी कच्चा माल बनाने वाले एच० एस० एल० तथा एम० आई० एस० एल० जैसे सरकारी क्षेत्र के एककों को भी सीमा शुल्क में इस कटौती के कारण बन्द होना पड़ेगा अथवा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) 18 जून, 1977 से बेदाग इस्पात की चादरों (10 बी० जी० और उससे पतली) पर सीमाशुल्क 320% से घटाकर मूल्यानुसार 40 % से 120% कर दिया गया था। बाद में 15 जुलाई, 1977 को शुल्क की दरों में संशोधन किया गया और इसे मूल्यानुसार 220% कर दिया गया। इस परिवर्तन के प्रभाव का पता तब चलेगा जब नई शुल्क दरों को लागू हुए कुछ समय बीत जाएगा। फिर भी, सीमा-शुल्क में संशोधन के परिणामस्वरूप मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने 26 गेज की आयात की गई बेदाग इस्पात की चादरों के लिये अपनी कीमत घटाकर 57 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है।

(ग) जी, हां, जब आरंभ में शुल्क 320% से घटा कर 120% कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने बन्द नहीं किए जाएंगे। फिर भी उनको नुकसान होने की संभावना है। जिसका पता कुछ समय पश्चात् ही चल सकेगा।

भारतीय डाक्टरों का विदेश जाना

*670. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि तीन हजार से अधिक चिकित्सा स्नातक रोजगार के अवसरों की खोज में और अध्ययन के लिये प्रतिवर्ष भारत से चले जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) भारत सरकार रोजगार अथवा उच्चतर अध्ययनों के लिए विदेश जाने वाले डाक्टरों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रख रही है।

(ख) डाक्टरों को पासपोर्ट जारी करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

डेस्क आफिसर

*671. **श्री भगत राम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के लिये विचार से केन्द्रीय सचिवालय में 'डेस्क आफिसर' पद्धति आरंभ करने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार विभाग के काफी आग्रह करने पर उनके मंत्रालय में यह पद्धति केवल आंशिक रूप में क्रियान्वित की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितने अनुभागों में यह पद्धति आरम्भ करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में क्या बाधाएं हैं और इसको पूर्ण रूप से कब तक कार्य-रूप दे दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (घ) प्रशानिक सुधार विभाग की सिफारिशों के आधार पर और उनके द्वारा बताए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इस मंत्रालय में "डेस्क अधिकारी" प्रणाली चुनिन्दा जगहों और क्रमबद्ध ढंग से लागू की जा रही है। अब तक यह प्रणाली एक अनुभाग में लागू कर दी गई है और यह तय किया गया है कि इसे और तीन अनुभागों में भी लागू किया जाए।

भारत-पाकिस्तान मलेरिया उन्मूलन समन्वय सम्मेलन की बैठक

*672. **श्री के० ए० राजन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में दो दिवसीय भारत पाकिस्तान मलेरिया उन्मूलन समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किये गये विचार विमर्श का सारांश क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां। नई दिल्ली में 27 और 28 जून, 1977 को एक भारत-पाक मलेरिया उन्मूलन सम्मेलन हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–854/77]**।

भारतीयों का कद

*674. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक अथवा दो पीढ़ियों में भारतीयों का कद कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख): अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

OPENING OF YOGA TREATMENT CENTRES IN THE COUNTRY

*675. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Ministry are considering a proposal for opening Yoga treatment centres in different places in order to promote Yoga treatment throughout the country; and

(b) if so, the names of the places where such centres are proposed to be opened in Rajasthan ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No, Sir, but clinical research is being conducted for cure of certain diseases through Yoga at a number of Centres. Depending upon the results of the research, Yoga treatment centres can be established.

(b) A Yoga treatment-*cum*-research centre has been established at Jaipur.

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

676. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री राम दास सिंह } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) नई सरल प्रक्रिया कब तक तथा किस प्रकार लागू होगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पुलिस जांच से संबंधित पद्धति और प्रक्रिया को सरल बनाने, पासपोर्ट अधिकारियों को ज्यादा अधिकार देने, आवेदन पत्र सहज उपलब्ध कराने, पृष्ठांकन नीति को उदार बनाने, आवेदन पत्र को सरल बनाने, तथा जांच प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकने वाले व्यक्तियों के वर्गों का विस्तार करने के बारे में विचार किया जा रहा है। जैसे ही यह विचार पूरा हो जाएगा और इसके परिणाम-स्वरूप निर्णय ले लिए जाएंगे। वैसे ही यह नई सरलीकृत पद्धति और प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी।

दूरसंचार प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा

*677. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से तीन सदस्यीय दूर संचार प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पाकिस्तान गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या पाकिस्तान में सरकार के बदल जाने के कारण प्रतिनिधिमंडल को कोई सफलता नहीं मिली; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) स्थलीय संपर्कों द्वारा मौजूदा टेलीफोन, तार और टेलेक्स सेवाओं के प्रचालन का पुनरीक्षण और भारत व पाकिस्तान के बीच उपग्रह संचार संपर्क की स्थापना के बारे में बातचीत हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस बातचीत के फलस्वरूप, विभिन्न विषयों पर सहमति हुई। एक औपचारिक करार पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर होने की संभावना है।

विशाखापत्तनम, सलेम और विजयनगर इस्पात संयंत्रों में लौह अयस्क की सप्लाई

*678. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम, सलेम और विजयनगर में बनने वाले तीन नये इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क की सप्लाई के लिये खानें निश्चित और निर्धारित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा प्रत्येक संयंत्र की आवश्यकतानुसार लौह अयस्क के उत्पादन के लिये खान तलाश करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस कार्य के लिए चालू वर्ष में क्या वित्तीय व्यवस्था की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) विशाखापत्तनम् की इस्पात कारखाने की लौह अयस्क की आवश्यकताएं नई खान बेलाडीला निक्षेप संख्या 4 तथा वर्तमान खान बेलाडीला निक्षेप संख्या 5 से पूरी करने का विचार है। आरंभ में विजयनगर इस्पात कारखाने की आवश्यकताएं कर्नाटक के कुमारस्वामी निक्षेपों से पूरी करने का विचार था। फिर भी, कर्नाटक में लगाए जा रहे इस्पात कारखाने के लिये, वैकल्पिक स्थल के रूप में मंगलौर बन्दरगाह पर विचार किया जा रहा है। लौह अयस्क के इन निक्षेपों के क्षेत्र अन्वेषण तथा प्रयोगशाला परीक्षण का कार्य पूरा हो गया है। और परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम हाथ में ले लिया गया है।

सलेम कारखाने के प्रथम चरण में लोहा तैयार करने की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है तथा इसके दूसरे चरण में आरंभतः वैलारी-हास्पेट क्षेत्र की खानों के लौह अयस्क का इस्तेमाल करने का विचार है। इतिना हट्टी निक्षेपों के अयस्क के नमूनों का परीक्षण भी किया गया है और कंजमलाई अयस्क इस्तेमाल करने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा इंजीनियरी अध्ययन करने के लिये बजट में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

बेलाडीला निक्षेप सं० 4	6.10 लाख
कुमारस्वामी 'सी' ब्लाक	6.40 लाख

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वापस लाने की योजना

*679. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को, जिनमें विदेशी पासपोर्टधारी व्यक्ति भी शामिल हैं, अगर वे मातृ-भूमि वापस आना चाहें तो, वापस आने दिया जाएगा;

(ख) सरकार का उन्हें सुविधाएं देने का विचार है; और

(ग) भारत वापस आने में सहायक वातावरण बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय-कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जो भारतीय विदेशों में हैं उनके भारत लौटने में कोई बाधा नहीं है, जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं उन्हें यहां का स्थायी निवासी होने से पूर्व समुचित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

(ख) जो सुविधाएं अभी प्राप्त हैं उन्हें सरकार निरन्तर देती रहेगी।

(ग) कोई कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा गया है ।

NEW SCHEME ON FAMILY PLANNING

*680. SHRI HARIKESH BAHADUR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether any new scheme is being undertaken in regard to Family Planning in which co-operation of the teachers and Government employees etc. would be sought; and

(b) if so, the nature of co-operation proposed to be sought from the aforesaid categories of persons ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) A scheme, prepared by the National Council of Educational Research and Training, to provide necessary knowledge regarding the population problem to elementary and secondary school teachers through correspondence-*cum*-contact courses, is under consideration.

(b) The scheme does not envisage directly involving the teachers in the active family planning work. However, as a result of the training, the teachers themselves would become conversant with the various aspects of the population problem and would, therefore, be in a better position to provide correct information to their students on the problem and the advantages of the small family.

AMENDMENT OF SERVICE RULES RE. SERVICE CONDITIONS OF EMPLOYEES OF P & T DEPARTMENT

†*681. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether rules governing the service conditions of Posts and Telegraphs Department employees were framed long ago and are now causing many hurdles in the smooth working;

(b) whether though amendments have been made therein from time to time but most of the short comings are still there and there is need for their thorough revision and review;

(c) whether Government propose to make these rules up-to-date; and

(d) if so, the time by which it would be done ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) and (b). The Rules governing service conditions of Posts and Telegraphs Department emnloyees framed since the setting up of the Department have been under constant review. Whenever short-comings in rules causing any hurdles in the smooth working of the Department are noticed, the rules are reviewed and amended accordingly.

(c) & (d) These rules are being continuously undated in response to service requirements and to incorporate the decisions taken from time to time.

प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार

682. **श्री शशंकशेखर सान्याल :** क्या **संसदीय-कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है और अनेक परिवार ऐसे हैं जिनमें कई-कई सदस्य हैं किन्तु उनमें से किसी भी सदस्य को रोजगार नहीं मिला हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने दूसरी श्रेणी के पूर्णतः बेरोजगार परिवारों की गणना कराई है जिससे अन्य बातों के समान होते हुए वैसा ही तथा समान रोजगार देने में उन परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके किसी भी सदस्य को रोजगार नहीं मिला हुआ है ?

संसदीय-कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारानिर्दिष्ट प्रकार की कोई गणना नहीं की गई है। तथापि सरकार को देश में व्यापक बेरोजगारी की स्थिति तथा व्याप्त दारिद्रय की जानकारी है तथा उसने कहा है कि 10 वर्षों के अन्दर गरीबी को हटाने का प्रयास

करेगी। इस उद्देश्य हेतु सरकार विकास के लिये रोजगारोन्मुख नीति अपनाने का प्रस्ताव रखती है। योजना आयोग से भी उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये कहा गया है।

मोजाम्बिक को सहायता

683. **डा० वसंत कुमार पण्डित :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी देशों से मोजाम्बिक की मापुतो सरकार को तुरन्त सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) मोजम्बिक की सहायता करने के लिये भारत किस प्रकार की, क्या और कितने मूल्य की सहायता देने पर विचार कर रहा है ?

संसदीय-कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 30 जून 1977 के प्रस्ताव के अनुपालन में जिसमें सदस्य राज्यों से मोज़ाम्बीक लोक गणराज्य की सरकार को सामग्री के रूप में शीघ्र सहायता देने के लिये कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मोजाम्बिक की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये 12 जुलाई को एक शिष्टमंडल भेजा है। आशा की जाती है कि इस शिष्ट मंडल के निष्कर्षों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव सभी सदस्य राज्यों के नाम अपील जारी करेंगे जिसमें अपेक्षित सहायता का स्वरूप बताया जाएगा। महासचिव की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर भारत सरकार मोजाम्बिक को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी। जैसा कि आपको याद होगा मार्च, 1976 में भारत सरकार ने मोजाम्बिक को पण्यों एवं सेवाओं के रूप में 100,000 अमरीकी डालर के योगदान की घोषणा की थी जबकि उसने दक्षिण रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी कर दी थी।

'ट्रिपल एन्टीजन' कार्यक्रम को तेज करना

*684. **श्री पी० वी० पेरियासामी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिपथेरिया, टिटनस और काली खांसी जैसी बीमारियों को रोकने के लिये 'ट्रिपल एन्टीजन' कार्यक्रम की कहां तक क्रियान्विति की गई है; और

(ख) कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिये प्रस्तावित निर्धारित समय अवधि क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) बच्चों को त्रिवेक्सीन देकर डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी से बचाने की योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी और इसे वर्तमान योजना में भी चलाया जा रहा

है। जितने बच्चों के प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया तथा जितनों को प्रतिरक्षित किया गया, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	जितने बच्चों को जोखिम था (0–11 वर्ष)	जितने बच्चों को प्रतिरक्षण करने का लक्ष्य था	जितने बच्चों को प्रतिरक्षित किया गया
		(आंकड़े लाखों में)	*
1974–75	1530.00	107.70	17.32
1975–76	,,	107.70	37.32
1976–77	,,	150.00	58.67*
1977–78	,,	180.00	
1978–79	,,	200.00	

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) त्रिवेक्सीन परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और प्रतिरक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(2) राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ-साथ माताओं और बच्चों के लिये कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को भी प्रतिरक्षण कार्यक्रम में लगाया गया है।

(3) आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े ग्रामीण इलाकों तथा नगरों की गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।

(4) इस योजना के अन्तर्गत 0–11 वर्ष के उन असुरक्षित बच्चों को, जो आसानी से बीमारी का शिकार हो सकते हैं, सुरक्षित करने का उद्देश्य है। पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को डिपथीरिया, काली खांसी और टिटनिस से प्रतिरक्षित किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बड़े बच्चों को केवल डिपथीरिया और टिटनस से ही प्रतिरक्षित किया जाता है।

(5) शहरी इलाकों में यह प्रतिरक्षण अस्पतालों तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध बाल क्लिनिकों के जरिए किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में यह टीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों में लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, गांवों में बच्चों को किसी सुविधाजनक स्थान पर, जैसे महिला मंडल का कार्यालय, पंचायत कार्यालय, इत्यादि में इकट्ठा किया जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य कर्मचारी निश्चित दिनों को इन स्थानों पर जाकर बच्चों को टीके लगाते हैं।

(6) गांवों में टीके ले जाने से पहले स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को रोगों के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें प्रतिरक्षण के लाभ बताते हैं जिससे उनके मन में यदि कोई गलतफहमी और भय हो, तो वह दूर हो जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना में उन नवजात शिशुओं को प्रतिरक्षित करने का भी प्रयास किया जाएगा जो हर वर्ष पैदा होंगे। लक्ष्य यह होगा कि छठी योजना के अन्त तक लगभग 80–85 प्रतिशत नवजात शिशु प्रतिरक्षित हो जाएं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उप सहायक महानिदेशकों की सेवावधि बढ़ाना

5144. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशालय के वर्तमान दो उप सहायक महानिदेशकों की सेवावधि में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथियों के बाद उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण वृद्धि की गई, और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कार्य करते समय वे अधिकारी रोगियों के साथ दुर्व्यवहार, असावधानी के कारण कुछ रोगियों की मृत्यु तथा औषधियों के गबन के जैसे मामले में अंतर्ग्रत थे;

(ग) क्या आपात स्थिति के दौरान ये दोनों अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय और उसके अधीन औषधालयों को मनमाने ढंग से चला रहे थे जिससे उनमें कार्य करने वाले डाक्टरों को तंग किया जाता था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले का ब्योरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) कार्यकाल की वृद्धि भूतपूर्व मंत्री डा० कर्ण सिंह जी के समय में की गई थी। अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि इसके पीछे राजनैतिक कारण था कि नहीं।

(ख) से (घ) इसकी जानकारी के लिये समय की आवश्यकता है।

गांवों में डाकघर खोलना

5145. **श्री चौधरी मोतीभाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जिन गांवों में डाकघर की सुविधा नहीं है उनको डाक सुविधाएं प्राप्त करने के लिये डाक विभाग को 10 वर्ष तक घाटे को पूरा करने के लिये भुगतान करना पड़ता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन गांवों में नये डाकघर खोलने का है जिन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकी तथा जो अधिकांशतः पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं और यदि हां, तो क्या घाटे के मुआवजे के नाम पर उन गांवों के लिए दिये जाने वाले अंशदान की प्रथा को समाप्त किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जो डाकघर विभागीय मानदंडों पर पूरे उतरते हैं उन्हें बिना किसी रकम के भुगतान के खोल दिया जाता है।

जो डाकघर विभागीय मानदंडों पर पूरे नहीं उतरते उन्हें चंदे की रकम की अदायगी करने पर खोला जाता है जिसका ब्योरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ख) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत पिछड़े, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 865 डाकघर खोलने की योजना बनाई है। जो डाकघर विभागीय मानदंडों पर पूरे नहीं उतरते और जिन्हें किसी विशेष मांग पर खोला जाना हो उनके मामलों में चंदे की रकम जमा कराने की प्रथा को समाप्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए शर्तें

(क) सामान्य देहाती इलाका :

(i) प्रस्तावित डाकघर की उसकी नजदीक के मौजूदा डाकघर से दूरी तीन माल से कम नहीं होनी चाहिए, सिवाए ऐसे गांवों के मामलों में जो प्रशासनिक इकाइयों के मुख्यालय हों जैसे कि तहसील, तालुके, थाने, सामुदायिक परियोजनाएं या एन० ई० एस० ब्लाक या ग्राम पंचायतें या ऐसे गांवों के मामले में जहां जिला बोर्डों द्वारा या स्थानीय बोर्डों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हों, या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या सहायता प्राप्त स्कूल हों। ऐसे गांवों के मामले में नजदीक के मौजूदा डाकघर से दूरी 2 मील से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) यदि दो मील की अरीय दूरी के भीतर जिस आबादी को डाक सेवा मिलती हो उसकी संख्या 2,000 या इससे अधिक हो तो घाटे की स्वीकृत सीमा प्रति डाकघर प्रतिवर्ष 750 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) यदि दो मील की अरीय दूरी के भीतर जिस आबादी को डाक सेवा मिलती हो उसकी संख्या 2,000 से कम हो तो घाटे की स्वीकृत सीमा प्रतिवर्ष 500 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) प्रस्तावित डाकघर के खुलने पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके मूल डाकघर को घाटे की 500 रुपए की स्वीकृत सीमा से अधिक घाटे पर काम करना पड़े; और

(v) डाकघर से कम से कम गारंटीकृत आय उस पर आने वाली लागत की 25 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) बहुत पिछड़े इलाके :

(i) घाटे की स्वीकृत सीमा में ढील देकर इसे 500 रुपए या 750 रुपए से 1,000 रुपए तक और विशेष मामलों में 2,500 रु० तक कर दिया गया है।

(ii) कम से कम गारंटीकृत आय उस पर आने वाली लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ग) पहाड़ी इलाके :

कम से कम गारंटीकृत आय उस पर आने वाली लागत की 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

चंदे की रकम जमा कराने के आधार पर खोले जाने वाले डाकघर

यदि उपर्युक्त मानदंड पूरे उतरते हों तो डाक-तार विभाग एक स्वीकृत सीमा तक घाटा उठाता है और डाकघर खोल दिया जाता है। तथापि यदि घाटा स्वीकृत सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो इच्छुक पार्टी को घाटे की स्वीकृत सीमा से अधिक होने वाली घाटे की रकम

को चंदे के तौर पर जमा कराना पड़ता है और डाकघर खोल दिया जाता है। ऐसे डाकघर के घाटे का हर वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है और डाकघर तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि इच्छुक पार्टी घाटे की स्वीकृत सीमा से ऊपर के घाटे की रकम जमा कराती रहे।

ये डाकघर आज़माइशी डाकघरों के तौर पर चलाए जाते हैं और वार्षिक पुनरीक्षण के आधार पर इन्हें 10 साल तक बनाए रखा जाता है। यदि आज़माइशी डाकघर खोलने से 10 वर्ष की अवधि के बाद डाकघर घाटे की निम्नलिखित स्वीकृत सीमा के अंतर्गत काम करता हुआ पाया जाता है तो इन डाकघरों को स्थायी बना दिया जाता है और इच्छुक पार्टी से कोई मुआवज़ा नहीं लिया जाता :—

(i) 240 रुपए प्रतिवर्ष बशर्ते कि दो मील की दूरी के भीतर कोई डाकघर मौजूद न हो, या

(ii) 360 रुपए प्रतिवर्ष बशर्ते की तीन मील की दूरी के भीतर कोई डाकघर मौजूद न हो, या

(iii) 360 रुपए से अधिक लेकिन 500 रुपए तक प्रतिवर्ष बशर्ते कि 5 मील की दूरी के भीतर कोई डाकघर मौजूद न हो।

तथापि यदि घाटा 240 रुपए/360 रुपए/500 रुपए की स्वीकृत सीमा से अधिक हो तो डाकघर को बंद कर दिया जाता है।

यदि विभागीय मानदंड पूरे न उतरते हों और डाकघर इच्छुक पार्टी की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खोला जाना हो तो पार्टी को प्रस्तावित डाकघर पर आने वाले अनुमानित समूचे घाटे के बराबर की रकम चंदे के तौर पर जमा करानी होगी।

नर्सों के लिए रोज़गार के अवसर

5146. **श्री के० मालन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोज़गार नर्सों की संख्या कितनी है और इस समय उत्पन्न रोज़गार के अवसरों और आगामी वर्ष उत्पन्न होने वाले रोज़गार के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रशिक्षित नर्सों में विदेशों में जाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मामलों की उनके गुण-अवगुण के आधार पर जांच की जाती है और सामान्य नीति यह है कि जिन परा-चिकित्सा कार्मिकों की निश्चित रूप से कमी होती है, उनकी बड़े पैमाने पर विदेश नियुक्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

कोलिहन तांबे की खान में डायमण्ड ड्रिलिंग

5147. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलिहन तांबे की खान के अतिरिक्त मुख्य भू-गर्भ विज्ञानी की गलत आयोजना के कारण वहां डायमण्ड ड्रिलिंग कार्य रुक गया था; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाहीं की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं । कोलिहान खान में हीरक ड्रिलिंग का काम अयस्क उत्पादन हेतु खोज की जरूरत से काफी आगे है और इस काम को अगले खनन स्तर अर्थात् 306 मीटर स्तर पर नए ड्रिलिंग स्थलों की उपलब्धि होने तक अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

TAKING OVER OF PRIVATE MEDICAL COLLEGES OF BIHAR BY STATE GOVERNMENT

5148. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Bihar Government took over the five private medical colleges in the State in consultation with the Central Government;

(b) whether Government are aware that the future of about 4 thousand students of these colleges is in jeopardy because the Indian Medical Council has not accorded recognition thereto;

(c) whether Bihar Government have taken them over with a view to getting them recognised by the Indian Medical Council;

(d) whether he inspected the Nalanda and Shri Krishna Medical Colleges and whether he gave an assurance also for the removal of their difficulties; and

(e) if so, the action taken by Government in this direction ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes; the Bihar Private Medical Colleges (taking over of management) Ordinance was promulgated with the concurrence of the Central Government.

(b) Indian Medical Council is a statutory body which accords recognition to the medical colleges after satisfying itself that the norms in respect of teaching and other facilities are in accordance with the guidelines laid down by the Council. Out of the five colleges, the Jameshdepur Medical College has already been recognised by the Council. The other four colleges have been inspected earlier by the Council and are being inspected again in the course of the next few months at the time of University examination. The question of recognition will be considered keeping in view the availability of facilities and the standards of examination.

(c) The Bihar Government has taken over the management of these colleges with a view to providing (medical) facilities as prescribed by the Medical Council of India for training of under-graduate medical students. It is also the intention of the Government of Bihar to stop the practice of charging capitation fee.

(d) & (e) The Minister of Health and Family Welfare had visited the Nalanda and Shri Krishna Medical Colleges in Bihar recently. The question of providing additional allocation of funds in the State Annual Plan for the current financial year for running the private medical colleges taken over by the Government of Bihar is still receiving active consideration of the Central Government.

उड़ीसा में नसबंदी आपरेशन

5149. **श्री गोविंद मुण्डा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान उड़ीसा में कितने व्यक्तियों के नसबन्दी के आपरेशन किए गये;

(ख) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई;

(ग) नसबन्दी आपरेशन के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार मिले; और

(घ) उनके दुःखी परिवारों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) 1975-76 और 1976-77 के दौरान, जिसमें आपात स्थिति की अवधि भी आ जाती है, उड़ीसा राज्य में किए गए नसबन्दी आपरेशनों की संख्या क्रमशः 125,040 और 320,264 है। वर्ष 1976-77 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) उड़ीसा के छः जिलों में अर्थात् क्योंझाड़, मयूरगंज, फूलबनी, कालाहड़ी, सम्बलपुर, और सुन्दरगढ़ में. जहां की एक चौथाई से भी अधिक जन संख्या आदिवासी है, में किए गए नसबन्दी आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :—

1975-76	47,611
1976-77	113,045 (अनन्तिम)

आदिवासी क्षेत्रों के अलग-अलग आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1975-76 और 1976-77 के दौरान नसबंदी आपरेशनों के 51 मामलों में मौतें हुईं। जांच-पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि 38 मौतें नसबंदी की जटिलताओं के कारण हुई थीं और शेष 13 का कारण नसबन्दी नहीं था।

(घ) राज्य सरकार ने मई, 1977 में सूचित किया था कि दुःखी परिवारों की अनुग्रह-पूर्वक भुगतान करने का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य सरकार से शीघ्र भुगतान करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है।

इस्पात और खान मंत्रालय के उपक्रमों द्वारा किराये पर लिए जाने वाले आवास

5150. **श्री शिव नारायण :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले एच० एस० एल०, एम० ए० एम० सी० तथा अन्य विभिन्न उपक्रमों द्वारा; राजधानी में अतिथि गृहों के लिए गैर-सरकारी आवास किराए पर लेने हेतु उनके मंत्रालय ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं; यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) इन उपक्रमों द्वारा किराए पर लिए गए आवासों का विवरण, मासिक किराया तथा भुगतान किया गया अग्रिम किराया, अतिथि गृहों के क्षेत्र तथा स्थान और रखे जाने वाले कर्मचारियों का वेतन तथा दिन प्रतिदिन का रख-रखाव और कितने समय के लिए किराए पर लिए गए तथा स्टाफ कारों का रख-रखाव, जैसे प्रकीर्ण व्यय क्या हैं; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय के हाल के आदेशों के संदर्भ में व्यय को कम करने के विचार से इन उपक्रमों, विशेषतया एम० ए० एम० सी० जैसे छोटे उपक्रमों के सम्मुख मिल-जुल कर आवास की व्यवस्था करने के मामले में क्या कठिनाई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जबकि इस्पात और खान मंत्रालय ने इस बारे में ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए, हैं इस मामले में उपक्रमों से मितव्ययता बरतने के अपेक्षा की जाती है ।

(ख) इस्पात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी उपक्रमों के दिल्ली में केवल तीन अतिथिगृह हैं—दो हिन्दुस्तान स्टील लि० के तथा एक हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० का । उनका विवरण नीच दिया गया है :—

नाम	स्थिति	तल क्षेत्रफल	मासिक किराया	पट्टे की अवधि
हिन्दुस्तान स्टील लि०				
1. पार्लियामेंट स्ट्रीट का अतिथिगृह .	10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	1547 वर्ग फुट	506 रुपए प्रति मास	कोई पट्टा नहीं है (जीवन बीमा निगम की इमारत है) ।
2. सुन्दर नगर अतिथिगृह	60, सुन्दर नगर नई दिल्ली ।	3600 वर्ग फुट	2,000 रुपए प्रति मास।	पांच वर्ष जो 4-7-1979 को समाप्त होंगे ।
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि०				
अतिथिगृह .	ए-1, हौजखास एन्कलेव, नई दिल्ली ।	406 वर्ग मीटर	2,000 रुपए प्रतिमास	8-1-1976 से 3 वर्ष के लिए ।

वेतन तथा रख-रखाव

	वेतन	रख-रखाव
हिन्दुस्तान स्टील लि० . .	5194.42 रुपए मासिक (औसतन)	777.75 रुपए मासिक (औसतन)
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० .	953.64 रुपए मासिक ।	2,700 रुपए मासिक ।

स्टाफ कारों का रख-रखाव :

हिन्दुस्तान स्टील लि० :

(1) स्टाफ कारों की संख्या	तीन
(2) रख-रखाव का खर्च	
(क) पोल और मरम्मत	2722.25 रुपए प्रति मास (औसतन)
(ख) वेतन .	2305.58 रुपए प्रति मास (औसतन)

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०

(1) स्टाफ कारों का संख्या . .	दो
(2) रख-रखाव+पोल+ड्राइवरों का वेतन .	5,800 रुपए प्रति मास

खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी उपक्रमों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) इन तीन अतिथिगृहों का उपयोग केवल सम्बन्धित उपक्रम के अधिकारी ही नहीं करते बल्कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की विभिन्न अन्य सहायक कम्पनियां भी इनका उपयोग करती हैं । सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साथ भी पारस्परिक प्रबन्ध है । माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन भारी उद्योग विभाग के अधीन है ।

UNEMPLOYED SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

5151. SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the details of unemployed among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of the total population of India, State-wise; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to provide them employment ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) The available information relates to the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe job-seekers (all of whom are not necessarily unemployed) on the Live Register of Employment Exchanges, State-wise, as on 31-12-76 which is given in the statement attached.

(b) Government propose to follow employment oriented strategy and the Planning Commission have been asked to formulate the 6th Five Year Plan with a very high employment content. The Commission will propose concrete policies and programmes in due course for tackling the problems of unemployment including those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in consultation with appropriate agencies.

STATEMENT

Sl. No.	State/Union Territories	Number of job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges as on 31-12-1976	
		Scheduled Caste	Scheduled Tribe
1	2	3	4
STATES			
1.	Andhra Pradesh	63,926	6,905
2.	Assam	11,438	12,207
3.	Bihar	86,794	72,537

1	2	3	4
4.	Gujarat	51,349	19,128
5.	Haryana . .	40,943	27
6.	Himachal Pradesh .	15,862	1,611
7.	Jammu & Kashmir	2,904	2
8.	Karnataka .	45,781	1,100
9.	Kerala . .	55,086	4,964
10.	Madhya Pradesh	61,907	30,976
11.	Maharashtra	1,42,574	22,797
12.	Manipur	410	12,471
13.	Meghalaya	151	4,497
14.	Nagaland	17	1,426
15.	Orissa .	23,242	27,696
16.	Punjab .	64,244	3
17.	Rajasthan	35,356	13,805
18.	Sikkim* . .	—	—
19.	Tamilnadu .	1,15,577	1,615
20.	Tripura . .	2,881	4,062
21.	Uttar Pradesh	1,73,894	750
22.	West Bengal .	1,02,535	18,260
	UNION TERRITORIES		
1.	Andaman & Nicobar Islands	Nil	Nil
2.	Arunachal Pradesh* . .	—	—
3.	Chandigarh . . .	9,398	22
4.	Dadra & Nagar Haveli* .	—	—
5.	Delhi	28,737	853
6.	Goa, Daman & Diu .	327	2
7.	Lakshadweep . .	4	1,423
8.	Mizoram . .	Nil	5,262
9.	Pondicherry	1,694	4
	ALL INDIA TOTAL :	11,37,031	2,64,405

NOTE :—1. *No Employment Exchange is functioning in these States/Union Territories.

2. All the job-seekers on the live register of Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

3. Excludes figures for University Employment Information and Guidance Bureaux except for Delhi and Maharashtra.

ASSISTANCE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC RECONSTRUCTION OF VIETNAM

†5152. SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether with a view that assistance is provided by India in the work of industrial development and economic reconstruction of Vietnam, talks are going on between the two countries; and

(b) if so, the names of the industries for the development of which assistance would be provided ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b) The Government of India had several opportunities to exchange views with the leaders from Vietnam. Mr. Phan Hien, Special Envoy of the Vietnamese Prime Minister visited Delhi in February 1977. The Foreign Minister of Vietnam was in Delhi during the meeting of the Coordinating Bureau of the non-aligned countries in April 1977. During these visits discussions were held on the possibility of

economic co-operation between India and Vietnam. The actual areas in which such co-operation would be feasible will be decided in further consultations with the Vietnamese Government. A Vietnamese economic delegation will be visiting India in the near future. In addition, a delegation of private Indian industrialists sponsored by FICCI visited Vietnam recently to explore the possibility of co-operation for the establishment of joint ventures in Vietnam.

FINANCIAL ASSISTANCE FOR SETTING UP GANDHI MEMORIAL ESTABLISHMENT IN INDONESIA

†5153. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether financial assistance has been sought from India for setting up a Gandhi Memorial Establishment in Indonesia;

(b) the main activities of the Gandhi Memorial Establishment in Indonesia and the quantum of assistance so far given by the Government of Indonesia therefor; and

(c) the quantum of assistance proposed to be given by Government of India for the said purpose indicating the form thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) The Gandhi Memorial Foundation, Jakarta, established in 1974, has asked for assistance from the Government of India towards the establishment of Gandhi Memorial Institute which will include an international school, a research centre, library, auditorium, yoga and nature cure centre, etc.

(b) So far, the Foundation has not undertaken any activity. The Government of India has been informed that the Foundation has been promised some financial assistance by Indonesian authorities.

(c) The request has just been received from the Foundation and is under consideration.

EXTERNAL AFFAIRS MINISTER'S VISIT TO NEPAL

†5154. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether he visited Nepal during the second week of July, 1977;

(b) if so, the subjects discussed with Nepal Government; and

(c) the measures being taken to strengthen friendship between the two countries ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Foreign Minister has already made a detailed statement in the Lok Sabha on the 26th July, 1977, on his visit to Nepal covering the subject matter raised in this Question.

26 जून, 1975 से 20 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान स्त्रियों और पुरुषों के नसबन्दी आपरेशन

5155. **श्री रशीद मसूद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जून, 1975 और 20 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान स्त्रियों और पुरुषों के नसबन्दी आपरेशनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसे आपरेशनों पर कितनी धनराशि खर्च हुई और प्रोत्साहन-दाताओं को कितनी धनराशि दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 की अवधि की सूचना का विवरण, जो लगभग उसी अवधि का है, जिसके लिए सूचना मांगी गई है, संलग्न है।

(ख) व्यय के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो कि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(क) जुलाई, 1975 से मार्च 1977 के दौरान पुरुषों और स्त्रियों के नसबन्दी आपरेशनों की संख्या का विवरण :—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पुरुषों के नसबन्दी आपरेशनों की संख्या	स्त्रियों के नसबन्दी आपरेशनों की संख्या	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	595,414	286,359	881,773
2.	असम . .	324,867	38,230	363,097
3.	बिहार .	578,816	157,742	736,558
4.	गुजरात .	284,617	170,558	455,175
5.	हरियाणा . .	237,709	56,280	276,025*
6.	हिमाचल प्रदेश .	86,293	30,727	117,020
7.	जम्मू व कश्मीर .	12,184	7,640	24,038**
8.	कर्नाटक	252,313	283,838	536,151
9.	केरल	220,776	130,351	351,127
10.	मध्य प्रदेश	949,831	153,849	1,103,680
11.	महाराष्ट्र	862,877	575,162	1,438,039
12.	मणिपुर	6,214	804	7,018
13.	मेघालय	7,419	1,865	9,284
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा .	220,245	216,016	436,261
16.	पंजाब .	77,124	111,365	138,489
17.	राजस्थान .	373,558	69,670	443,228
18.	तमिलनाडु .	547,589	265,678	813,267
19.	त्रिपुरा .	15,857	520	16,377
20.	उत्तर प्रदेश .	748,794	215,200	958,994
21.	पश्चिम बंगाल . .	839,955	235,844	1,075,799
22.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह . .	903	737	1,640
23.	अरुणाचल प्रदेश . .	234	57	291
24.	चण्डीगढ़ . .	1,311	2,187	3,498
25.	दादर और नगर हवेली .	823	101	924
26.	दिल्ली . .	118,969	39,812	158,781
27.	गोआ, दमन व दीव .	1,409	6,420	7,829
28.	लक्ष्य द्वीप . .	199	4	203
29.	मिजोरम .	86	1,294	1,380
30.	पांडिचेरी .	6,715	5,402	12,117
31.	रक्षा मंत्रालय .	24,677	14,183	38,860
32.	रेल मंत्रालय . .	84,563	27,284	111,847
	अखिल भारतीय .	7,457,341	3,105,179	10,568,770***

*2,036 मामलों का लिंगवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

**4,214 मामलों का लिंगवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

***6,250 मामलों का लिंगवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

(ख) 1975-76 और 1976-77 के दौरान नसबन्दी आपरेशनों (दोनों पुरुष और स्त्रियों के) और लूप-निवेशन (प्रेरक को किए गए भुगतान सहित) के लिए मुआवजे के व्यय के ब्यौरे का विवरण :—

(रुपए लाखों में)*

राज्य	1975-76 के दौरान मुआवज़े के व्यय के विभागीय आंकड़े	1976-77 के दौरान मुआवज़े के लिए संस्वीकृत अनन्तिम भुगतान
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	88.75	715.90
2. असम	56.98	221.18
3. बिहार	78.72	603.54
4. गुजरात	84.20	308.44
5. हरियाणा	30.03	202.56
6. हिमाचल प्रदेश	9.77	94.49
7. जम्मू व कश्मीर	4.29	10.40
8. कर्नाटक	79.35	424.70
9. केरल . .	67.55	198.44
10. मध्य प्रदेश .	63.45	947.86
11. महाराष्ट्र .	323.62	863.40
12. मणिपुर .	0.37	7.30
13. मेघालय .	0.26	7.73
14. उड़ीसा .	64.15	297.38
15. पंजाब . .	31.77	127.55
16. राजस्थान . .	38.62	350.00
17. तमिलनाडु .	229.70	574.31
18. त्रिपुरा . .	1.22	13.31
19. उत्तर प्रदेश . .	65.27	705.24
20. पश्चिम बंगाल . .	110.80	880.56
21. नागालैण्ड . .	—	0.05
22. सिक्किम . .	—	0.24
योग . .	1428.87	7554.58

*ये आँकढ़े उस वित्तीय सहायता के बारे में हैं जो भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नसबन्दी और लूप-निवेशन के लिए मुआवजे की पूर्ति करने के लिए दी थी । इसमें प्रेरकों को दी गई रकम भी शामिल है । वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी तक नहीं मिले हैं ।

STAFF OF WILLINGDON AND SAFDARJANG HOSPITALS, NEW DELHI

5156. SHRI RAM SAGAR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be please to state :

(a) the number of employees in various categories, grades and posts in Willingdon and Safdarjang Hospitals, New Delhi and the number of Scheduled Castes employees in these hospitals;

(b) the number of temporary employees in said hospitals and the number of employees, out of them, belonging to Scheduled Castes and if there are some temporary Scheduled Castes employees, the time by which they would be made permanent;

(c) the number of employees working on various posts in these Hospitals who have been granted selection grade and whether these employees include Scheduled castes and Scheduled Tribes employees also and if so. the details thereof; and

(d) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees promoted against reserved posts in 1972 promotions and selections in these Hospitals, and whether non-cadre employees are also included therein and if so. post-wise details thereof ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) to (d) The information is given in the Statements at A, B & C [Placed in Library. *See* No. L.T.—855/77] in respect of Willingdon Hospital and at 'D' and 'E' [Placed in Library. *See* No. L.T.—855/77] in respect of Safdarjang Hospital, New Delhi.

रत्नागिरी जिले में दिपोली तालुका में हरनई डाकखाने की इमारत

5157. **श्री बापू साहिब परूलेकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में दिपोली तालुका में हरनई स्थित डाकखाना इस समय एक पुरानी किराए की इमारत में है, जो कार्यालय के प्रयोजनों के लिए बहुत अनुपयुक्त है ;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 में हरनई में विभागीय डाकघर की इमारत के निर्माण के लिए एक भूखंड खरीदा गया था और तब से भूखंड खाली पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी ग्रामोत्थान नीति को क्रियान्वित करने और उक्त डाकघर की इमारत का निर्माण शुरू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) हरनई का डाकघर एक पुरानी लेकिन किराए की उपयुक्त इमारत में है । इस इमारत की हाल ही में मरम्मत कराई गई है ।

(ख) जी हां । जमीन के प्लाट का अधिग्रहण वर्ष 1968 में किया गया था ।

(ग) और (घ) निधि की कमी के कारण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू करना संभव नहीं है । ऐसा प्रस्ताव है कि यह कार्य छठी योजना की अवधि में शुरू किया जाए बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो ।

TELEPHONES IN DELHI TELEPHONE EXCHANGES

†5158. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3572 on the 14th July, 1977 and state :

(a) the number of applications for OYT General and special category telephone connections pending with each Telephone Exchange in the Delhi Telephones District as on 31st May, 1977, separately; and

(b) the number of telephone connections proposed to be provided during the remaining period of the current financial year from each Telephone Exchange, category-wise ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) & (b) The information is given in Annexure.

The category-wise break-up of the telephones to be provided cannot be indicated as this will depend upon receipt of applications under OYT and Special category hereafter as 75% of the available connections are allotted to OYT category and 10% to special category.

STATEMENT

A statement showing the waiting list, exchange-wise in Delhi as on 31st May, 1977 and number of telephone connections proposed to be given during the remaining period of 1977-78, ctegory-wise.

Waiting list as on 31-5-77.

Sl. No.	OYT	Special	General	Approximate No. of connections likely to be given during the remaining period of 1977-78.	
1. Shahdra East (20) .	10	12	172	100	
2. Shadra (21) . .	215	611	2334	500	
3. Tis Hazari (32) .	662	389	3286	650	
4. Shaktinagar (24) .	416	315	640	550	
5. Delhi Gate (26/27) .	—	38	1604	250	
6. Secretariat (37) .	42	1	14	600	
7. Rajpath (38) . .	188	12	96	450	
8. Contonment (39) .	205	365	1134	200	
9. Karol Bagh (56/58) .	1459	2481	8671	2300	
10. Jor Bagh (61/62/69) .	1133	1152	3393	3700	
11. Okhla (36) . .	728	467	1670	2000	
12. Chankya Puri (67) .	11	184	678	350	
13. Hauz Khas (65) .	41	141	549	1200	
14. Narela (89) . .	—	—	—	—	No demand at present
15. Najafgarh (86) . .	—	—	—	—	
16. Janpath (31/32/34) .	1	—	8	—	Capacity will not be available in these exchanges. However, a few connections might be given if closure shiftouts result in a spare capacity.
17. Connaught Place (4)	24	1	64	—	
18. Idgah (51/52) . .	—	478	3202	—	
19. Alipur (801) . .	1	3	13	—	
20. Faridabad (81) . .	46	36	710	—	
21. Badarpur (82) .	13	33	45	—	
22. Bhadurgarh (83) .	3	38	55	—	
23. Ghaziabad (85) .	55	278	953	—	
24. Nangloi (87) . .	6	7	18	—	
25. Ballabgarh (88) .	69	97	245	—	
26. Badli (802) . .	234	34	63	—	
27. Jankpuri (803) . .	81	96	947	—	

Note :—The likely connections to be provided are on the basis of initial loading of 60% crossbar exchanges. More connections are likely to be provided gradually after stabilisation.

मैसर्स हिम्को लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा नकली हिमासाइक्लीन कैप्सूलों का उत्पादन

5159. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के जोनल अधिकारी ने मसर्स हिम्को लेबोरेट्रीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा नकली हिमासाइक्लीन कैंप्सूलो के मामले की रिपोर्ट औषध नियंत्रक हरियाणा को जांच पड़ताल और आवश्यक कार्यवाही के लिए की थी ;

(ख) इस जांच के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) इस कम्पनी के मालिकों के क्या नाम हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) औषधि नियन्त्रक (भारत) ने मैसर्स हिम्को लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा द्वारा बनाई गई कथित नकली हिमासाइक्लिन कैप्सूलों का मामला औषध नियंत्रक, हरियाणा के पास छानबीन और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजा था।

(ख) और (ग) नकली हिमासाइक्लिन कैप्सूलों का मामला उस कैप्सूल के नमूने से सम्बन्धित है जिसे औषधि निरीक्षक हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश द्वारा हैदराबाद के एक विक्रेता के अहाते से लिया गया था जिसमें आक्सीटेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड पाई गई थी जबकि उस पर टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड का लेबल लगा हुआ था औषध नियंत्रक, हरियाणा ने इस मामले की छानबीन की थी। उनकी छानबीन से यह पता चला कि मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा द्वारा बनाया गया कैप्सूल जो कि नकली दवाई वाले बैंच का ही था, स्टेण्डर्ड क्वालिटी का था अर्थात् इसके लेबल के अनुसार इसमें आक्सीट्रोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पाया गया। आगे यह पता चला कि निर्माता ने हैदराबाद के किसी व्यापारी को इस बैच की सप्लाई नहीं की थी।

हैदराबाद के व्यापारी द्वारा बेची गई इस नकली दवाई के बारे में और आगे छान-बीन की जा रही है।

1973 में मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा के मालिक श्री चमन लाल बंसल और श्री रवि प्रकाश थे।

BIHAR MINES PROPOSED FOR GRANT OF LEASE

†5160. SHRI R. D. RAM : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of limestone, Iron ore, Bauxite and Laterite mines in respect of which proposals for grant of lease have been recommended by Bihar Government and are under consideration of Union Government;

(b) whether Government propose to grant lease in the said propoals and return them soon; and

(c) if so, the time by which it would be done ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) 14 proposals submitted by the Bihar State Government in respect of grant of leases for limestone, iron ore and bauxite are pending with the Central Government. No proposal has been submitted by the State Government for grant of lease for laterite.

(b) and (c) The proposals are under examination of the Central Government and it is hoped to finalise the decision soon.

PORBANDAR AUTO-EXCHANGE

†5161. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Porbandar Chamber of Commerce and Industries have sent many representations to Government regarding auto-exchange in Porbander (Gujarat); and if so, when and the nature of the representations sent;

(b) the action taken so far or proposed to be taken now by Government thereon; and

(c) when the work of Porbandar auto-exchange would commerce and when it would be completed ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) to (c) Representations have been received by the Government from Porbandar Chamber of Commerce and Industries, pressing for early conversion of the manual telephone exchange at Porbandar to automatic working. A programme of conversion of large manual exchanges into automatic working is drawn up, taking into account the over-all availability of the automatic exchange equipment. It is expected that suitable equipment would be provided for Porbandar during the 6th Plan. Construction of building will be taken up to match with the availability of the equipment.

PAYMENT TO CONTRACTORS OF HINDUSTAN STEEL WORKS CONSTRUCTION LTD.

5162. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether large sums of money were paid to the local contractors by the Hindustan Steel Works Construction Limited, Shakespeare Sarani, Calcutta two months before the Lok Sabha elections (1977) so that it may be passed on the then ruling party;

(b) if so, the amount so paid and justification thereof and the person responsible for these payments; and

(c) whether during that very period small contractors were refused payment on ground of shortage of funds ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

चसनाला खान के जब्त किये गये सांविधिक नक्शे को दिल्ली में लाना

5163. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27-12-1975 को चसनाला खान दुर्घटना के बाद श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी और उनके मंत्रालय के अधिकारी चसनाला खान के जब्त किए गए एक महत्वपूर्ण सांविधिक नक्शे को दिल्ली में ले आए थे ;

ख) क्या यह भी सच है कि चसनाला दुर्घटना की जांच करने वाले अधिकारी को एक महीने के बाद यह नक्शा नई दिल्ली से सीधे ही धनबाद भेज दिया गया था ;

(ग) क्या इस नक्शे में अविदित जलमार्ग, जिससे दुर्घटना हुई थी, बिन्दु रेखा बनाकर पेंसिल से दिखाया गया था और 27-12-1975 को दुर्घटना से पूर्व नक्शे पर विद्यमान इन पेंसिल की रेखाओं को जांच न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था ; और

(घ) इन रेखाओं को किसने खींचा था और साक्ष्य तथा जब्त किए गए रिकार्ड में अनधिकृत परिवर्तन किया था और इसमें श्री रेड्डी ने क्या भूमिका निभाई थी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा चसनाला खान में 27-12-75 को हुई दुर्घटना की रात्रि को चसनाला के केन्द्रीय सर्वेक्षण कार्यालय से जब्त किए गए नक्शे को खान सुरक्षा निदेशक और खान सुरक्षा महानिदेशालय के जांच अधिकारी द्वारा 2 जनवरी, 1976 को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को सुरक्षित रूप से रखने के लिए तथा समुचित समय पर जांच न्यायालय को प्रस्तुत करने हेतु सौंपा गया था ।

(ख) नक्शे को जांच न्यायालय के पास 21 फरवरी, 1976 को नई दिल्ली से सीधा भेजा गया था ।

(ग) और (घ) जब्त किए गए नक्शे पर पैंसिल की धुंधली बिन्दुकित रेखाएं थीं। तथापि, 27 दिसम्बर, 1975 को चसनाला कोयला खान में घटित दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं दी है कि नक्शे पर बिन्दुकित रेखाएं किसके द्वारा और कब अंकित की गई ।

संयुक्त राज्य अमरीका स्थित भारतीय दूतावास द्वारा निभाई गई भूमिका

5164. **श्री के० एन० दास गुप्ता :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका स्थित भारतीय दूतावास की भारत का अच्छा चित्र प्रस्तुत करने के बारे में क्या मुख्य गतिविधियां रही हैं ;

(ख) पैम्फ्लेटों और पुस्तिकाओं के वितरण, प्रदर्शनियां आयोजित करने आदि रोजमर्रा के काम के अलावा, मिशन के प्रधान अधिकारी ने अपने विदेश सेवा के उन कर्मचारियों को, जो अत्यधिक प्रतिभा सम्पन्न हैं, दोनों देशों के बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए क्या निर्देश दिए थे; और

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका स्थित हमारे दूतावास की गतिविधियों का वार्षिक-विवरण हमें प्राप्त होता है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) राजदूतावास अमरीकी प्रशासन, सीनेट एवं कांग्रेस, शैक्षिक संस्थाओं, पत्रकारों और आम जनता से निरन्तर सम्पर्क बनाए रहा है । राजदूतावास 'इंडिया न्यूज' नाम से 4 पेज का एक साप्ताहिक समाचार-पत्र निकालता है जो अमरीका में 38,000 व्यक्तियों को भेजा जाता है । राजदूतावास के अधिकारी गोष्ठियों में भाग लेते हैं और सामान्य हित के सामयिक मसलों के बारे में भारत के मत का प्रचार-प्रसार करते हैं ।

(ख) राजदूत महोदय के मार्ग निर्देशन में राजदूतावास में इस स्थायी निर्देश का पालन किया जाता है कि सभी संगठनों के साथ, विशेष रूप से अमरीकी संगठनों के साथ, ऐसे परस्पर लाभकारी ढंग से व्यवहार किया जाए कि जिससे भारत को, उसकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा जाए । पिछले वर्ष अमरीकी द्विशत वार्षिकी के अवसर पर भारत-अमरीका सम्बन्धों पर 'दी यूनाइटेड स्टेट्स एण्ड इंडिया 1776-1976' नामक विशेष ग्रंथ प्रकाशित किया गया जो इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयत्न था ।

(ग) विशिष्ट दिलचस्पी के मामलों पर विशेष रिपोर्टों के अलावा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राजदूतावास से वार्षिक प्रतिवेदन भी प्राप्त होते हैं, जिनमें राजदूतावास की राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और कौंसल गतिविधियों का उल्लेख रहता है ।

ATROCITIES ON TRADE UNIONIST IN SWADESHI COTTON MILL

5165. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether atrocities are being committed on the trade Unionists in all the units of Swadeshi Cotton Mills of Jaipuria Industry and workers are being removed from service; and

(b) if so, the legal action being taken by Government in regard to the anti-labour policy of the management ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) & (b) The matter falls essentially in the State sphere and has been brought to the notice of the State Government. If specific cases are brought to the notice together with the relevant details these too can be taken up with the Government of U.P.

EXPORT OF STEEL

5166. SHRI MOHAN JAIN
SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the names of the countries together with the quantity of steel exported to each of them by the Steel Authority of India during 1975-76 and 1976-77 separately and the rate at which it was exported;

(b) the portion of the exported steel rejected by the importing countries;

(c) the rate at which rejected steel was sold later on;

(d) whether assistance of Commission Agents was taken in exporting abroad this steel or it was directly exported; and

(e) the amount paid as commission and the amount of loss suffered due to rejection of the steel ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) A statement is being compiled and will be placed on the Table of the House when the information has been collected.

(b) No portion of exported steel was rejected by the importing countries.

(c), (d) and (e) : In view of (b) above, this does not arise.

INCREASE IN NUMBER OF PATIENTS IN WILLINGDON HOSPITAL, NEW DELHI

5167. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the number of patients in the Willingdon Hospital, New Delhi, has increased many-fold during the past three years as a result, doctors are inconvenienced in discharging their duties; and

(b) if so, the number of patients and doctors there since 1974 todate ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes. The number of patients has increased.

(b) The number of patients and doctors since 1974 :

Year	Indoor Patients	Outdoor Patients	Medical Staff
1974	30,630	55,696	203
1975	36.930	84.334	203
1976 . .	37,077	97,382	203
1977 . . (upto June)	20.211	41,711	203

बिहार में मेडिकल कालेजों द्वारा केपिटेशन फीस का वसूल किया जाना

5168. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है और उनमें कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सभी मेडिकल कालेजों को मान्यता दे रखी है ;

(ग) चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कालेजों में से कौन से कालेज छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क (केपिटेशन फ़ी) वसूल कर रहे हैं ;

(घ) क्या कुछ कालेज छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के बाद भी उन्हें प्रवेश नहीं देते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) बिहार में 9 मेडिकल कालेज हैं और उनकी कुल प्रवेश क्षमता 949 है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने जिन 4 मेडिकल कालेजों अर्थात् (1) दरभंगा मेडिकल कालेज, लहेरीसराय, (2) पटना मेडिकल कालेज, पटना, (3) राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची, (4) एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, जमशेदपुर को मान्यता दी है, उनमें से केवल एम० जी० एम० मेडिकल कालेज ही छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल कर रहा है ।

(घ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई भी आरोप नहीं आया है कि छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के बाद उन्हें दाखिला न दिया गया हो ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

PROGRESSIVE PROVIDENT FUND STAFF UNION

5169. SHRI R. P. SARANGI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether a bogus union named the Progressive Provident Fund Staff Union is functioning in the Provident Fund Office, Kanpur in collusion with some officers as a result

of which the office bearers of the said Union are spoiling the atmosphere of the office and are spreading venom of casteism; and

(b) whether the office bearers of the above Union are claiming medical refunds which exceed their monthly salaries and this Union has been formed to suppress some irregularities ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) A Union styled as the Progressive Provident Fund Employees' Union, Uttar Pradesh has been formed in the Provident Fund Office, Uttar Pradesh on the 6th June, 1977. But the allegations made against it have been denied by the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh.

(b) Information regarding re-imbursement of medical expenses claimed by the office-bearers of the above named Union is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

SCHEME FOR OPENING OF TELEPHONE EXCHANGES AND POST OFFICES IN TRIBAL AREAS

†5170. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to open telephone exchanges and post offices in the tribal areas particularly in the tribal development blocks in the country; and

(b) if so, the State-wise details thereof ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VARMA) : (a) Yes Sir.

(b) A statement is laid on the table of the Lok Sabha.

STATEMENT

Statement showing telephone exchanges and post offices proposed to be opened in Tribal areas during 1977-78.

Sl. No.	State	No. of telephone exchanges	No. of post offices
1	2	3	4
1.	Andhra	Nil	20
2.	Assam	2	50
3.	Bihar	Nil	53
4.	Gujarat	9	43
5.	Haryana	Nil	Nil
6.	Himachal Pradesh	Nil	7
7.	J. & K.	Nil	Nil
8.	Karnataka	Nil	Nil
9.	Kerala	4	8
10.	Madhya Pradesh	4	308
11.	Maharashtra	Nil	20
12.	Manipur	3	13
13.	Meghalaya	7	16
14.	Nagaland	1	13
15.	Orissa	2	89
16.	Punjab	Nil	Nil
17.	Rajasthan	2	20
18.	Sikkim	Nil	Nil
19.	Tamilnadu	Nil	37
20.	Tripura	2	24
21.	Uttar Pradesh	Nil	15
22.	West Bengal	2	—

1	2	3	4
UNION TERRITORIES			
1.	Andaman Nicobar Island .	Nil	11
2.	Arunachal . .	4	22
3.	Chandigarh . . .	Nil	Nil
4.	Dadra Nagar Haveli .	Nil	Nil
5.	Delhi	Nil	Nil
6.	Goa, Daman Diu . .	Nil	Nil
7.	Lakshadweep . .	Nil	Nil
8.	Mizoram . .	2	8
9.	Pondicherry . .	Nil	Nil
	Total	44	777

सांगली में टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन

1171. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ्स, सांगली के क्षेत्राधिकार में चालू वर्ष के दौरान :—

(1) विभिन्न टेलीफ़ोन एक्सचेंजों के विस्तार और/अथवा परिवर्तन,

(2) टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना,

(3) लंबी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन लगाने,

(4) नए एक्सचेंज, और

(5) सम्मिलित कार्यालय

के प्रस्तावित कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उक्त कार्यक्रम में अपेक्षित स्टोरों के अभाव में विघ्न न पड़े ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) महाराष्ट्र सर्किल के सांगली इंजीनियरी डिवीजन में वर्ष 1977-78 के दौरान दूर-संचार सुविधाएं देने का कार्यक्रम क्रमानुसार इस प्रकार है :—

(1) नौ टेलीफ़ोन एक्सचेंजों का विस्तार करना जिससे एक्सचेंज क्षमता में 660 लाइनों की वृद्धि हो जाएगी;

(2) कोई नहीं ।

(3) लम्बी दूरी के चार सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर,

(4) 25 लाइनों की क्षमता वाला एक छोटा आटोमैटिक एक्सचेंज,

(5) सात संयुक्त डाक-तार घर।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए साज-सामान की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला

5172. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड अपने कार्यालय और प्रयोगशाला के लिए हैदराबाद में भवन निर्माण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कुल कितना खर्च आएगा ;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने एक ठेकेदार को, जो उसके वर्तमान प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित है, 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की भारी अग्रिम राशि का भुगतान किया है ;

(घ) प्राक्कलनों, भवनों और ठेकेदार को दी गई अग्रिम राशियों का क्या ब्यौरा है; और

(ङ) क्या यह भवन ठेकेदार से पट्टे पर लिया जाएगा अथवा यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की सम्पत्ति होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपनी अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला के लिए हैदराबाद में एक भवन का निर्माण कर रहा है । इस पर लगभग 26.75 लाख रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है । यह भवन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की सम्पत्ति होगी ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मैसर्स पायोनियर कमर्शियल इन्टरप्राइजिज द्वारा कार्यालय स्थान के लिए निर्मित किए जा रहे एक नए भवन में कार्यालय स्थान के लिए लगभग 48,000 वर्ग फीट तल क्षेत्र पट्टे के आधार पर किराये पर लेने के लिए भी एक करार किया है। इस करार की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को 16 लाख रुपए का पेशगी भुगतान करना है जिस पर ब्याज की दर वही होगी जिस पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बैंकों से उधार लेता है । आशा है कि यह भवन 1 अक्तूबर, 1977 तक तैयार हो जाएगा। 15.4 लाख रुपए का पेशगी भुगतान पहिले ही किया जा चुका है।

इन भवनों के ठेकेदार/पट्टाकर्ता का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

लोहे की नालीदार चादरों का मूल्य

5173. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिकांशतः छतों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नालीदार लोहे की चादरों के मूल्य बहुत अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी चादरों के मूल्य कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां। यद्यपि उत्पादकों के मूल्य स्थायी हैं तथापि मांग बढ़ जाने के कारण समस्त देश में (जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है), बाजार भाव बढ़ गए हैं।

(ख) सरकार इस बात के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है कि राउरकेला इस्पात कारखाने में अधिकाधिक उत्पादन किया जाए। 'सेल' ने पहले ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में माल का प्रेषण करने के लिए कदम उठाए हैं।

अमरीका के विमानों की हिंद महासागर पर उड़ानें

5174. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दमहासागर पर अमरीकी विमानों की हाल की उड़ानों की ओर दिलाया गया है, जिससे शान्ति को खतरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अन्य देशों के वायुयानों की तरह अमरीकी वायुयान भी अनेक वर्षों से हिन्द महासागर के ऊपर से उड़ते रहे हैं और सरकार को हाल ही की किसी ऐसी घटना की जानकारी नहीं है जिस पर चिन्ता हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-चीन सीमा विवाद का निपटारा

5175. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से निपटाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में पहल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार का ध्यान उस अखबारी खबर की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि चीन के उप विदेश मंत्री यूथान ने पीकिंग में एक भारतीय पत्रकार को दी गई भेंट के दौरान यह कहा था कि भारत और चीन के बीच सीमा समस्या शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा निपटाई जा सकती है।

(ख) यदि भारत और चीन के बीच की समस्याओं को हल करने के लिए, जिनमें सीमा का प्रश्न भी आता है, कोई पहल की जाती है तो भारत पंचशील के सिद्धांतों तथा अपने राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा के अनुरूप इन पर विचार करने को तैयार है। सीमा के प्रश्न पर भारत की स्थिति सुविदित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मालवीय नगर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय में औषधियों और आवास की कमी

5176. श्री के० लकप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विशेषकर मालवीय नगर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय में निर्धारित औषधियां कभी उपलब्ध नहीं होती हैं ;

(ख) क्या उक्त औषधालय का उचित आवास भी नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में बड़ी संख्या में रोगियों को होने वाली परेशानी दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, मालवीय नगर एक पुराने किराए के मकान में है और लाभार्थियों की बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह स्थान काफी नहीं है । इसके स्थान पर कोई दूसरी उपयुक्त जगह प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण

5177. श्री वसंत साठे : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उद्योगों और राज्यों में चल रही न्यूनतम मजूरी का बहुत लम्बे अरसे से पुनरीक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि जैसे संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में लगे गैर-कारीगर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके लिए न्यूनतम मजरी में उपयुक्त ढंग से पुनरीक्षण करने हेतु राज्य सरकारों को निदेश देने पर विचार करेगी ;

(ग) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की वर्तमान व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है ; और

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला प्रधानतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । तथापि, राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे अपने क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करें। लगभग सभी राज्य सरकारें कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी-दरों में संशोधन कर चुकी हैं । जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, अनुसूची में जोड़े गए सभी खनन रोज़गारों में और कृषि में 1976 के दौरान न्यूनतम मज़दूरी-दरें संशोधित की गई हैं।

(ग) और (घ) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 में अधिनियम के कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन के लिए आवश्यक उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी-दरों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाएं।

SETTING UP CANCER INSTITUTE IN PATNA

5178. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether in view of the fact that there are more than 150 Cancer patients in the Cancer Hospital of Bihar, Government feel the need for setting up of a cancer Institute at Patna; and

(b) if so, the time by which this institute will be set up and if not, the reason therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) and (b) : The requisite information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, दिल्ली द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण

5180. **श्री समर मुखर्जी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल फ़ूड लेबोरेटरी, दिल्ली में प्रतिमास खाद्य पदार्थों के कितने नमूनों का विश्लेषण होता है; और

(ख) उनके क्या परिणाम निकलते हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधार किये जा सकते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) दिल्ली में कोई केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के मेडिकल कालेजों में स्थानों की संख्या में वृद्धि करना

5181. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की राज्य सरकार ने राज्य में मेडिकल कालेजों में स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

DEMANDS OF WORKERS OF BIHAR

5182. SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether during his visit to Bihar he met some workers and discussed their demands with them and some decision was taken; and

(b) if so, the gist thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) Some workers or their union representatives have been meeting the Union Labour Minister during his visits to Bihar and drawing attention to their grievances. Such grievances are being looked into by the concerned authorities at the Centre or in the State as the case may be.

नीलाम्बूर, केरल में स्वर्ण निक्षेप

5183. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग, केरल के नीलाम्बूर में स्वर्ण अयस्क के निक्षेपों की किस्म तथा मात्रा का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) क्या वे केरल समुद्र तट पर चवारा के निकट खनिज निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या इन खनिजों की खुदाई के लिए सरकार ने कोई योजना आरम्भ की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) केरल के नीलाम्बूर इलाके में इस समय भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था (जी० एस० आई०) द्वारा कोई सर्वे नहीं किया जा रहा है। जी० एस० आई० ने 1964-65 के दौरान नीलाम्बूर घाटी में मुंगा और नदी बालू में 69,590 औंस सोने के संभावित भंडारों का अनुमान लगाया है।

(ख) चवारा में जी० एस० आई० कोई सर्वेक्षण नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

PURCHASE OF BUILDINGS FOR INDIAN EMBASSIES ABROAD

†5184. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for purchasing buildings for Indian embassies abroad and if so, country-wise details thereof and estimated expenditure thereof;

(b) the number of the countries in which India has her own embassy buildings at present; and

(c) the names of the countries in which buildings are proposed to be constructed or purchased ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) It is the policy of the Government of India to buy/construct buildings for office and residential purposes abroad depending upon the availability of financial resources and the economic feasibility of each transaction.

(b) and (c) The required information is furnished in the two statements attached. [Place in Library. *See* No. L.T.—856/77]

FILLING UP OF POSTS RESERVED FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

†5185. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the steps proposed to be taken by Government to fill the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Ministry of External Affairs ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : 15% and 7½% vacancies are reserved for Scheduled Castes and

4—765LSS/77

Scheduled Tribes respectively in the matter of direct recruitment to Groups A, B, C as well as recruitment to Group D. The same reservations apply for promotions to Groups A, B and C. If sufficient number of candidates from Scheduled Castes/Scheduled Tribes are not forthcoming, the left-over vacancies are carried forward in accordance with rules framed by the Department of Personnel and Administrative Reforms and applicable to Government as a whole.

फेरो मेंगनीज संयंत्र

5186. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेंगनीज और इंडिया लिमिटेड ने फ़ैरो मेंगनीज संयंत्र स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुरोध कब प्राप्त हुआ था और इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय किया गया; और

(ग) फ़ैरो मेंगनीज संयंत्र स्थापित करने के लिए इस कम्पनी को लाइसेंस देने में यदि कोई बाधाएं हैं तो वे क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) मैंगनीज और इण्डिया लि० ने फैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु 25-7-77 को औद्योगिक विकास मंत्रालय को आवेदन-पत्र भेजा है। इस आवेदन-पत्र पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा

5187. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अर्थात् 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान हज के लिए कितने व्यक्तियों ने सऊदी अरब की यात्रा की; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) लाटरी से दिसम्बर 1974, 1975 और 1976 में तीर्थयात्री पास पर मुगल जहाजों और हज के चार्टर हवाई जहाजों द्वारा हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले तीर्थयात्रियों का निर्धारित कोटा क्रमशः 19,000 17,000 और 17,500 था। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों की उपरोक्त संख्या में कुछ वृद्धि हो सकती है। जद्दा में हमारे राजदूतावास में प्राप्त संख्या के अनुसार उपरोक्त वर्षों में हज यात्रियों की संख्या क्रमशः 21,874, 18,863 और 17,510 थी।

(ख) इस वर्ष हज पर मुगल लाइन के जहाजों से जाने के लिए जिन व्यक्तियों ने हज समिति को आवेदन दिए हैं, उनकी संख्या 21,831 बताई गई है। इसमें हज चार्टर जहाजों की सीटों के लिए प्राप्त आवेदन शामिल नहीं हैं क्योंकि इनकी घोषणा बाद में की जाती है। इस वर्ष हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर, 18,000 कर दिया गया है।

बोकारो इस्पात 'कोल्ड रोलिंग' मिल उद्योग समूह

5188. **श्री समरेन्द्र कुण्डु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड में कोल्ड रोलिंग मिल उद्योग समूह का डिजाइन तैयार करने और निर्माण करने के लिए टर्की परियोजना के लिए सोवियत रूस सरकार से विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) क्या बातचीत असफ़ल रही क्योंकि सोवियत रूस ने उपकरण के प्रतिटन मूल्य में उतनी कमी करना स्वीकार नहीं किया जितनी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सुझाई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, बातचीत कब हुई थी, दोनों पक्षों ने कितने कितने मूल्य का सुझाव दिया था तथा अन्य शर्तें क्या हैं

(घ) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड ने एम० ई० सी० ओ० एन० और इंजीनियरिंग प्रोजैक्टस इंडिया और अमरीका मे किसी फर्म के साथ बोकारो मे इसी कोल्ड रोलिंग मिल उद्योग समूह के डिजाइन और निर्माण के लिये करार पर हस्ताक्षर किए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो क्या बाद में एम० ई० सी० ओ० एन० तथा ई० पी० आई० और अमरीका में कुछ फर्मों के साथ किया गया करार उस करार से महंगा पड़ेगा जो सोवियत रूस के साथ किया जाता और क्या बाद का करार, पूर्णतः भारत के हित में है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं। फ़िर भी बोकारो स्टील लि० की ठण्डी बेलन मिल (40 लाख टन चरण) की मुख्य प्रौद्योगिक लाइनों के लिए उपस्करों की सप्लाई करने के लिए दिए जाने वाले मूल्य के बारे में इस वर्ष सोवियत संगठन बी०/ओ० त्याजप्रोमेक्सपोर्त के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी।

(ख) जी, नहीं। जनवरी, 1977 में की गई बातचीत के फ़लस्वरूप सोवियत रूस तथा भारत द्वारा उत्कथित मूल्यों का अन्तर काफी हद तक कम हो गया था। इससे आगे की बातचीत मास्को में की जानी थी परन्तु इस बीच यह निर्णय लिया गया कि ठण्डी बेलन मिल की स्थापना का काम भारतीय संगठनों को दिया जाए।

(ग) यह बातचीत जनवरी, 1977 में हुई थी। अन्ततः सोवियत रूस द्वारा मांगा गया मूल्य 3000 रूबल प्रति टन जहाज तक निष्प्रभार था जबकि भारतीय प्रतिनिधियों ने 2750 रूबल प्रति टन जहाज तक निष्प्रभार मूल्य देने का प्रस्ताव रखा था। सोवियत रूस ने यह भी कहा था कि जहाज तक निष्प्रभार मूल्य में 13-1/2 प्रतिशत जोड़ कर बीमा भाड़ा मूल्य आंका जाएगा जबकि भारतीय प्रतिनिधियों ने भाड़े और बीमे पर किये गये वास्तविक खर्च अथवा भिलाई प्लेट मिल के मामले में तय किये गये मूल्य अर्थात् 290 रूबल प्रति टन को देने का प्रस्ताव रखा था।

(घ) बोकारो स्टील लि० ने ठण्डी बेलन मिल के रूपांकन, इंजीनियरिंग तथा उपस्करो की सप्लाई के लिए 'मेकन' तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया को आशय-पत्र जारी किये हैं। इस सम्बन्ध में बोकारो ने अमरीका की किसी फर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया है परन्तु 'मेकन' तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया दोनों के अमरीका के 'बीन यूनाइटेड' के साथ क्रमशः बेलन मिलों तथा प्रोसेसिंग लाइनों के बारे में लाइसेंस समझौते हैं।

(ङ) जी, नहीं। नए प्रबन्ध के अधीन बोकारो स्टील लि० को उस राशि से अधिक राशि नहीं देनी पड़ेगी जितनी राशि इस परियोजना को सोवियत रूस के सहयोग से पूरा करने पर खर्च होती। निःसन्देह यह परिवर्तन भारत के हित में है। यह कार्य भारतीय संगठनों को सौंपने से न केवल तकनीकी आधार का विस्तार होगा बल्कि इस्पात क्षेत्र में अत्यधिक संश्लिष्ट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त होगी। भारतीय संगठनों तथा भारतीय इंजीनियरों को इस संश्लिष्ट मिल की स्थापना करने का मौका मिलेगा जो उन्हें अन्यथा कई वर्षों तक नहीं मिल सकता था। अब वे उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के बारे में भी स्वतन्त्र हैं।

ADULTERATION OF BLOOD BY BLOOD DONORS

5189. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have received information or any complaint to the effect that the professional blood donors who sell blood to hospitals in various parts of the country also adulterate the blood; and

(b) if so, the details thereof and the action being taken by Government against the persons who sell adulterated blood ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सलेम जिले का भूगर्भीय सर्वेक्षण

5190. **श्री आर० कोलनथइवेलू : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सलेम जिले के भूगर्भीय सर्वेक्षण से लौह के अतिरिक्त अन्य खनिजों का भी पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के खनिज पाये गये हैं, अनुमानतः कितना भंडार है और व्यापक खनन के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्रीबीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप पाए गए खनिजों और उनके अनुमानित भण्डार (मिलियन टनों में) इस प्रकार हैं:—

(क) मैग्नेजाइट . . .	(43.0)
(ख) बाक्साइट	(8.0)
(ग) चूनापत्थर . . .	(50.0)
(घ) क्रोमाइट	(0.2)
(ङ) क्वार्टज	(3.0)
(च) फेल्स्पार	(1.0)
(छ) स्टीटाइट	(0.06)

बाक्साइट के लिए व्यापक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। क्रोमाइट और मैग्नेजाइट के लिए खोज शुरू की जा रही है।

बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों की समस्या

5191. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा हाल ही में किये गये एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1980 तक कम से कम 14,000 डाक्टर बेरोजगार होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने देश में बेरोजगार डाक्टरों की संभावित संख्या के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार देना

5192. **श्री रोबिन सेन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि विभिन्न तकनीकी स्कूलों में प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर लेने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार पड़े रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उद्योगों में उनको रोजगार दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों के बीच बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता से सरकार अवगत है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक रोजगारोन्मुख नीति के अनुसरण करने का इसका प्रस्ताव है। तकनीकी तथा शिक्षित कार्मिकों सहित बेरोजगारी की समस्या का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त एजेन्सियों के साथ परामर्श करके योजना आयोग यथासमय ठोस नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रस्ताव करेगा।

संचार के लिए भारतीय उपग्रह की स्थापना

5193. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार कार्यों के लिए प्रस्तावित भारतीय उपग्रह की स्थापना के बारे में अन्य देशों के साथ विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन देशों ने सहयोग दिया है?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) स्थान रूस और अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह संगठन, इण्टलसेट (अमरीका) के सहयोग से तय किया गया है। इस सिलसिले में इण्डोनेशिया के साथ बातचीत चल रही है।

मज़दूरों के लिये न्यूनतम मज़ूरी

5194. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतिहर मजदूरों, कृषि उद्योग मजदूरों, कुटीर उद्योगों, पशु पालन, मुर्गी पालन, भेड़ व्यापार, मछली उद्योग के मज़दूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के बारे में क्या स्थिति है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक व्यापक और निश्चित नीति बनाये जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 में अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट या जोड़े गए विभिन्न रोजगारों (खेतिहर रोज़गारों सहित) में न्यूनतम मज़दूरी दरें निर्धारित करने तथा उनमें संशोधन करने की व्यवस्था है।

कलकत्ता में मच्छर

5195. **डा० सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में ढोर रखने के अनेक शेड (खटाल) और नहरों की तरह कीचड़ होने के कारण बहुत मच्छर पैदा होता है; और

(ख) यदि हां, तो मच्छरों को मारने के लिए रसायनों का प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने कलकत्ता नगर निगम को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (नगर) के अन्तर्गत लार्वा-रोधी कार्यों को चलाने के लिए मच्छरमार तेल और अन्य रसायन लार्वा-नाशक सप्लाई किए हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का विस्तार

5196. **श्री विजय कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं;

(ख) जिन स्थानों पर यह योजना कई वर्षों से चल रही है वहां पर इस योजना के कार्यकरण में कौन-कौन से दोष, कमियां पाई गई हैं;

(ग) क्या इस योजना को अधिक व्यापक बनाने और इसे ऐसे स्थानों तथा कस्बों में आरम्भ करने के विचार से, जहां यह अब तक नहीं है, इस योजना पर पुनर्विचार किया गया है या पुनर्विचार करने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जिन शहरों में केन्द्रीय सरकार सरकारी कर्मचारियों की संख्या 7,500 अथवा इससे अधिक होती है, उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने पर विचार किया जाता है बशर्ते कि इसके लिए साधन, स्थान आदि उपलब्ध हों।

(ख) यद्यपि सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है और जिसके लिए सरकार सदैव प्रयत्नशील है फिर भी इस योजना के कार्यकरण में कोई खास दोष या कमियां ध्यान में नहीं आई हैं।

(ग) और (घ) इस योजना के ढांचे पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस योजना को और क्षेत्रों में आरम्भ करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

WOMEN GIVEN VOCATIONAL TRAINING DURING 1975-76

5197. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of women who were given training at National Vocational Training Institute, New Delhi during 1975-76; and

(b) the expenditure incurred thereon every year ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) Nil. The National Vocational Training Institute came into being only in May, 1977.

मालंगटोली आयरन ओर फीजिबिलिटी (ओक्स टोस)

5198. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालंगटोली आयरन ओर फ़ीज़ीबिलिटी (ओक्सटोस) एस० ए० आई० एल० की सहायक एन० एम० डी० सी० लिमिटेड के एक यूनिट से 10,000 रुपए की जनवरी/मार्च, 1975 में गड़बड़ी की गई थी;

(ख) निगम ने वर्ष 1974-75 के अपने संतुलन पत्र में उक्त गड़बड़ी की गई राशि को कैसे दर्शाया ;

(ग) निगम ने दोषी व्यक्ति से राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या वर्ष 1974-75 के तुलन पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) यह राशि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 31 मार्च, 1975 तक के तुलन-पत्र में "ऋण और अग्रिम" शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई गई थी।

(ग) दोषी व्यक्ति के, जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, भविष्य निधि तथा उसको देय अन्य राशियों के लगभग 10,000 रुपए कारपोरेशन ने रोक रखे हैं।

(घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की 1974-75 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खनिज विकास नियम का तुलन-पत्र भी शामिल है 29-4-76 को लोक-सभा के पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

MEDICAL FACILITIES IN ADIVASI AREAS

5199. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the doctor-population ratio in India, State-wise; and

(b) the scheme formulated by Government to provide better medical services in the Adivasi areas ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) A statement showing the doctor-population ratio in India State-wise as on 1-1-1975 is enclosed.

(b) This matter was discussed in the 3rd Joint Meeting of the Central Council of Health and Central Family Planning Council held at New Delhi on 15th to 17th April, 1976. It was recommended that one Primary Health Centre for a population not exceeding 20,000 and a Sub-Centre not exceeding 5,000 be established tribal and hilly areas.

On the basis of this resolution the matter was taken up with the State Health Authorities to include this in the preparation of Tribal Sub Plans and also to give priority for sanctioning health programmes for the tribal/hill areas. The question of providing additional funds for the establishment of Primary Health Centres and Sub Centres in the Tribal Areas is under consideration of the Government of India.

STATEMENT

State-wise doctor—population ratio as on 1-1-1975

States/Union Territories	Doctor-Population ratio (1.1.1975)
1. Andhra Pradesh	1 : 4425
2. Assam	1 : 2790
3. Bihar	1 : 5975
4. Gujarat	1 : 5627
5. Haryana	1 : 6088
6. Himachal Pradesh	1 : 6468
7. Jammu & Kashmir	1 : 5456
8. Karnataka	1 : 4836
9. Kerala	1 : 5369
10. Madhya Pradesh	1 : 10656
11. Maharashtra	1 : 2941
12. Manipur	1 : 6964
13. Meghalaya	1 : 7955
14. Nagaland	1 : 5912
15. Orissa	1 : 7989
16. Punjab	1 : 2804
17. Rajasthan	1 : 9003
18. Sikkim	1 : 8400
19. Tamil Nadu	1 : 2186
20. Tripura	1 : 7318
21. Uttar Pradesh	1 : 8234
22. West Bengal	1 : 1954
23. A. & N. Islands	1 : 2440
24. Arunachal Pradesh	1 : 3067
25. Chandigarh	1 : 631
26. Dadra & Nagar Haveli	1 : 11286
27. Delhi	1 : 1323
28. Goa, Daman & Diu	1 : 1425
29. Lakshadweep	1 : 2615
30. Mizoram	Included under Assam
31. Pondicherry	1 : 1580
India Total	1 : 4200

गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ मिलाने की परियोजना

5200. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री और बंगला देश के राष्ट्रपति की बैठक में, भारत के प्रधान मंत्री ने बंगला देश के राष्ट्रपति को गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ मिलाने की संयुक्त परियोजना को स्वीकार करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल और बंगला देश दोनों को सन्तुष्ट करने के लिए फ़रक्का से गंगा और पद्मा के माध्यम से जल-सप्लाई का प्रश्न प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए ऐसी परियोजना का सुझाव दिया गया था;

(ग) क्या ऐसी परियोजना से असम और बंगला देश की बाढ़ समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में बंगला देश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिए क्या कारण बताये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के विगत सम्मेलन में लंदन में अपनी भेंट के दौरान भारत के प्रधान मंत्री ने बंगला देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय विषयों पर बातचीत की थी। फ़रक्का के पास गंगा की जलराशि में वृद्धि करने की एक अर्से से चली आ रही समस्या को सुलझाने के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन के सभी प्रस्तावों में और दोनों देशों में बाढ़-नियंत्रण, बिजली-उत्पादन, सिचाई आदि दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने हमेशा दिलचस्पी ली है। इस समय दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर पर जो बातचीत चल रही है यह विषय उस बातचीत का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

STATEMENT

RELATION OF POLITICAL DETENUS REMOVED FROM SERVICE

5201. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of relations of political detenus, removed from service in the Government undertakings;

(b) the action taken to reinstate the workers so removed; and

(c) in case no action has been taken in this direction, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Nil.

(b) and (c) Do not arise.

HINDI IN U. N. O.

†5202. SHRI UGRASEN
SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the details of the steps taken, so far, for giving a place to Hindi in the U.N.O.;

(b) the recurring and non-recurring expenditure to be incurred on this work, the amount of assistance to be given by U.N.O. itself for the purpose and whether any correspondence has been made with U.N.O. Secretariat in this regard; and

(c) the time by which this work is likely to be completed ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) to (c) The non-recurring expenditure on the introduction of an additional language as an official language of the United Nations has been estimated at approximately Rs. 90/- lakhs. The recurring expenditure per annum on interpretation and translation has been estimated at Rs. 3.37 crores for the first year which could be expected to increase every year by an annual inflationery rate of 7.5%. Apart from the costs involved, the introduction of an additional language of the United Nations would require an affirmative decision of the United Nations General Assembly. It is for the United Nations to decide whether any portion of the expenditure would be met from the regular budget of the United Nations.

Government have been examining the feasibility of the proposal from U.N. budgetary and procedural angles. Further course of action would be decided upon after the forthcoming visit of the Minister of External Affairs to New York during the 32nd Session of the UN General Assembly. In the meantime, the Minister has indicated in the Lok Sabha on 30th June, 1977 that it is his desire to make his first speech at the United Nations in Hindi.

कवि काजी नजरुल इस्लाम को बंगला देश से वापस भारत लाया जाना

5203. **श्री रोबिन सेन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह यह जांच करायेंगे कि महासचिव, नजरुल अकादमी, डाकखाना चुरुलिया, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल ने एक पत्र, संदर्भ संख्या 3409 एन० ए०, तारीख 17-7-74, तत्कालीन भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा था जिसमें उनसे काजी नजरुल इस्लाम (जिनका अब निधन हो गया है) को बंगला देश से वापिस भारत लाने के लिए बंगला देश की सरकार के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया गया था;

(ख) क्या तत्कालीन भारत सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान सरकार यह जांच करायेगी कि तत्कालीन भारत सरकार ने इस तथ्य के बावजूद भी कवि को भारत वापस लाने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की कि कवि के निकट सम्बन्धी और भारत में उनके प्रशंसक कवि को भारत वापस लाने के बहुत उत्सुक थे क्योंकि कवि अपने छोटे पुत्र के निधन के कारण वहां बड़े मानसिक कष्ट में रह रहे थे और ढाका में उनकी देखभाल के लिए उनका कोई निकट सम्बन्धी नहीं था ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न पर नजरुल इस्लाम साहब के पुत्र, काजी सव्यसाची से सलाह की गयी थी और उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि उनके कवि पिता का स्वास्थ्य चूंकि बहुत नाजुक है इसलिए उन्हें इस अवस्था में लाना और फिर उनके जन्म-स्थान के गांव की अकादमी में उन्हें रखना, जहां चिकित्सा की सुविधाएं सहज उपलब्ध नहीं हैं, ठीक नहीं होगा। इसलिए इस विषय पर फिर आगे विचार नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक चिकित्सा

5204. **श्री बलदेव सिंह जसलोकन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने संबंधी सरकार की भावी नीति क्या है ?

(ख) प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को ग्रायुर्वेदिक, होम्योपैथिक ग्रौर योग पद्धति की भाँति मान्यता कब तक प्राप्त होगी;

(ग) पूना में प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा संस्था कब से ग्रारम्भ की जायेगी;

(घ) क्या सरकार की प्राकृतिक चिकित्सा डाक्टरों को प्रशिक्षण देने के लिए निकट भविष्य में प्राकृतिक चिकित्सा कालेज खोलने की योजना है; ग्रौर

(ङ) क्या स्कूलों ग्रौर कालेजों में योग ग्रौर प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम है?

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) ग्रौर (ग) भारत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा को यथासम्भव बढ़ावा देने में सहमत है। भारत सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा पर एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति नियुक्त की है जो उन्हें इस सम्बन्ध में सलाह देगी। शीघ्र ही एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोलने का उसका विचार है। वह प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाग्रों को ग्रध्ययन पलंगों के रख-रखाव, ग्रनुसंधान ग्रौर प्रशिक्षण के लिए तथा ग्रावश्यक उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें ग्रादि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी देती है।

(ख) प्राकृतिक चिकित्सा मात्र एक चिकित्सा पद्धति के बजाय जीवन की एक पद्धति है। फिर भी ग्रान्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ग्रादि जैसी राज्य सरकारों ने इसकी प्रैक्टिस कर रहे व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान कर दी है।

(घ) प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की जाएंगी।

(ङ) स्कूलों ग्रौर कालेजों में योग की शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या का एक मसौदा तैयार कर लिया गया है ग्रौर उस पर इस समय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के ग्रधीन राष्ट्रीय व्यायाम शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान की सोसाइटी द्वारा गठित की गई योग मूल्यांकन समिति विचार कर रही है।

जनरल मैनेजर, टेलीफोन्स की नियुक्ति

5205. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार निदेशालय में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पदों को प्रवर प्रबंध संवर्ग में स्तर-1 तथा स्तर-2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; ग्रौर

(ग) क्या स्तर-2 के कनिष्ठ ग्रधिकारी को जनरल मैनेजर टेलीफोन्स के रूप में जो स्तर-1 का बहुत ही वरिष्ठ पद है, नियुक्त किया गया है?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) ग्रौर (ख) डाक-तार विभाग में, निदेशालय या क्षेत्र में ग्रभी तक किन्हीं विशेष वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों को स्तर-1 या स्तर-2 के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। प्रशासन में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए इस समय ऐसे वर्गीकरण पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक पौधों और बूटियों की खेती और उनका विकास

5206. **श्री जगन्नाथ शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में जहां प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है आयुर्वेदिक पौधों और बूटियों की खेती करने और उनका विकास करने की संभावना का पता लगाने हेतु अध्ययन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के पास पहले ही एक प्रायोगिक उद्यान है जो ताड़ी खेत (उत्तर प्रदेश) स्थित एकीकृत यूनिट से सम्बद्ध है और जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के कुछेक महत्वपूर्ण औषधीय पदार्थों और जड़ी-बूटियों की वृद्धि के स्वरूप और उपज प्रतिशतता पर अध्यन किए गए हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

SELECTION COMMITTEE FOR APPOINTMENT/PROMOTION IN NATIONAL LABOUR INSTITUTE

5207. SHRI RAMJI LAL YADAV : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the names of members of each Selection Committee, constituted for selection/appointment/promotion of employees of each wing of the National Labour Institute; and

(b) the brief account of the programmes undertaken so far ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b) Astatement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.TT—857/77]

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी नीति में संशोधन

5208. **डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम (गांव-गांव जाने वाले डाक्टर) के बारे में छपी टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इन टिप्पणियों के प्रकाश में सरकार नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस योजना पर अभी विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के वरिष्ठ मैनेजर (पर्सोनल) की हत्या

5209. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के वरिष्ठ मैनेजर (पर्सोनिल) की मेरठ में 6 जुलाई, 1977 को हत्या कर दी गई थी जहां वह न्यायाधिकरण के समक्ष एक श्रमिक विवाद में उपस्थित होने के लिए गये थे;

(ख) यदि हां, तो घटना के पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस घटना में नियोक्ताओं और अधिकारियों में बड़ी घबराहट फैल गई है; और

(घ) यदि हां, तो कारखाने के मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों मे हिंसा तथा अव्यवस्था को रोकने के लिए तुरन्त क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) वस्तुतः यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के उप कार्मिक प्रबन्धक, श्री एस० जे० गांवकर की, जो 5 जुलाई, 1977 को औद्योगिक अधिकरण, मेरठ के समक्ष गवाही देने गए थे, अधिकरण के गेट पर गोली मार कर हत्या कर दी गई। सूचना मिली है कि इस हत्या के अभियोग में राज्य पुलिस प्राधिकारियों ने कम्पनी के एक श्रमिक को गिरफ्तार किया है और वे इस मामले की आगे जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी के डाक्टरों के बीच विषमता

5210. **श्री रामप्रसाद देशमुख :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में एलोपैथी पद्धति के डाक्टरों को मिलने वाला प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता, समयमान पदोन्नति और अन्य लाभ उनके साथ होम्योपैथी तथा आयुर्वेद पद्धति के डाक्टरों को नहीं मिलते हैं;

(ख) क्या एलोपैथी के डाक्टरों की तुलना में उनके पदोन्नति के अवसर भी बहुत कम हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उत्तरी क्षेत्र में कुछ होम्योपैथी औषधालय को भारसाधक के अधीन ही रखा गया है जबकि चिकित्सा की ये दोनों पद्धतियां पूर्णतया भिन्न हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो चिकित्सा की दोनों पद्धतियों के कार्यकरण में ऐसी विषमता तथा होम्योपैथी और आयुर्वेद के डाक्टरों के साथ किये जाने वाले सौतेली मां का सलूक करने के क्या कारण हैं और उनके उच्च तथा समय-मान पदों के लिए पदोन्नति के अवसर जुटाने तथा अन्य लाभ देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (घ) होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता नहीं मिलता है। इन्हें प्रैक्टिस-बन्धी-भत्ता

मंजूर करने पर अभी विचार किया जा रहा है यद्यपि तीसरे वेतन आयोग ने इन चिकित्सकों को किसी प्रकार का पैक्टिस-बन्दी भत्ता न देने के बारे में सिफारिश की थी। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सकों तथा एलोपैथिक डाक्टरों के वेतन-मानों में असमानता है क्योंकि तीसरे वेतन आयोग ने चिकित्सकों के इन दो वर्गों की अर्हताओं, प्रशिक्षण, अवधि और सेवा संबंधी शर्तों को देखते हुए अलग-अलग वेतन निर्धारित किए थे। चिकित्सकों को स्नातकोत्तर भत्ता ग्राह्य है।

एलोपैथिक डाक्टर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से लिए जाते हैं जो काफी बड़ा है और जिसमें विभिन्न ग्रेड हैं। अतः ये डाक्टर उस संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति के अवसरों का लाभ उठाते हैं। एलोपैथिक डाक्टरों की तुलना में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है, और उनका कोई संवर्ग नहीं है, इसलिए उनकी पदोन्नति के अवसर बहुत कम होते हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक औषधालय दो प्रकार के हैं। दिल्ली में सर्वांगपूर्ण होम्योपैथिक औषधालय पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं वैसे दिल्ली में दो होम्योपैथिक यूनिटें हैं और दिल्ली से बाहर 10 ऐसी यूनिटें हैं व जिन्हें प्रयोग के तौर पर एलोपैथिक औषधालयों के एक अभिन्न अंग के रूप में खोला गया है। ये यूनिटें एलोपैथिक औषधालय के मेडिकल अफसर इंचार्ज के पूर्णतः प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। यद्यपि, उपचार आदि के प्रयोजनों के लिए इन यूनिटों के होम्योपैथिक प्रभारी चिकित्सक पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं।

जगतदल (पश्चिम बंगाल) में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना

5211. **श्री सौगत राय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बैरकपुर सब-डिवीजन, पश्चिम बंगाल में पटसन मजदूरों के लाभ हेतु जगतदल में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि जगतदल या नार्थ 24-परगना में किसी अन्य उपर्युक्त स्थान पर एक अस्पताल स्थापित करने का विचार है। भू-खण्ड के चयन तथा अन्य ब्यौरे की सूचना की पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

कोलिहन तांबे की खान का विकास

5212. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलिहन तांबे की खानों का प्रति माह विकास निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोलिहन तांबे की खान कब तक 304 एम० एल० तक नीचे चली जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) कोलिहन तांबे की खान अप्रैल, 1977 में पहले ही 306 एम० एल० तक नीचे चली गई है।

यमुना पार क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

5213. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लक्ष्मीनगर और शकरपुर (यमुनापार) क्षेत्र में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में लगभग पांच हजार सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं।

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों में दो औषधालय हैं--एक शाहदरा में और दूसरा गांधी नगर में है जिनके अन्तर्गत जमनापार का अधिकांश क्षेत्र आ जाता है। जो क्षेत्र इन औषधालयों के अन्तर्गत नहीं आता है, उसमें तीसरा औषधालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नेत्र विज्ञानसंस्थान की क्षेत्रीय संस्थान में परिवर्तित करना

5215. **श्री रशीद मसूद :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नेत्र विज्ञान संस्थान को क्षेत्रीय संस्थान में बदले जाने के प्रस्ताव की सम्भाव्यता का निर्धारण करने के लिए जो विशेषज्ञ समिति भेजी गई थी, उसने प्रस्ताव के पक्ष में सिफारिश की थी और यह सुझाव दिया था कि गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ में प्रस्तावित क्षेत्रीय संस्थान के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) केन्द्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नेत्र विज्ञान संस्था को क्षेत्रीय संस्थान में बदलने के प्रस्ताव की संभावना का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नहीं भेजी थी। फिर

भी, दृष्टि-विकास निवारण और अन्धता नियंत्रण की राष्ट्रीय योजना में अलीगढ़ समेत देश में चल रहे 6 नेत्र विज्ञान संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में विकसित करने की बात कही गई है।

दिपोली डाकघर की इमारत का निर्माण

5216. **श्री बापू साहिब परूलेकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिपोली स्थित डाकघर 110 वर्ष पुरानी विभागीय इमारत में है और वह इमारत जीर्ण स्थिति में है तथा कार्यालय में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए उस में उपलब्ध स्थान न्यूनतम जरूरत से भी कम है;

(ख) क्या इमारत के विस्तार और नवीकरण का प्रस्ताव वर्ष 1971-72 में लिया गया था और योजनायें तथा प्राक्कलन भी तैयार किये गये थे और इस प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारियों की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई थी; और

(ग) सरकार का विचार उक्त इमारत के विस्तार और नवीकरण कार्य को किस वर्ष में प्रारम्भ करने और पूरा करने का है?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) दिपोली स्थित डाकघर एक विभागीय इमारत में है जो कि 110 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह इमारत प्रयोग में लाए जाने की स्थिति में है लेकिन इसमें उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है।

(ख) जी हां। तथापि, डाकघर की इमारतों पर लगे प्रतिबन्ध के कारण इस इमारत का निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका। वर्ष 1975-76 में प्रतिबन्ध हट जाने पर भी, निधि की कमी के कारण यह कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) ऐसा प्रस्ताव है कि यह कार्य छठी योजना की अवधि में हाथ में लिया जाए, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

चांदमारी तांबा परियोजना द्वारा बेलचों और डम्परों की खरीद

5217. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदमारी तांबा परियोजना द्वारा सभी प्रकार के बेलचों और डम्परों की खरीद पर अतिरिक्त पुर्जों पर और इन मशीनों के रखरखाव पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इन बेलचों और डम्परों का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सभी प्रकार के बेलचे और डम्पर—लगभग 1.76 करोड़ रु० (अनुमानित) फ़ालतू पुर्जों और इन मशीनों के रख रखाव पर (31-3-77 तक) 37 लाख रुपए (अनुमानित)।

(ख) बेलचों और डम्परों का काम कुल मिलाकर सन्तोषजनक है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

DELHI TELEPHONE DIRECTORY

†5218. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3574 on 14th July, 1977 regarding Delhi Telephone Directory and state :

(a) the number of copies of Hindi and English versions of Delhi Telephone Directory published in 1977 separately;

(b) the price prescribed for Hindi and English versions of Delhi Telephone Directory, separately; and

(c) whether the price thereof was less earlier and if so, the reasons for increasing its price ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) 2,25,000 copies of English version and 15,000 copies of Hindi version of Delhi Telephone Directory will be published, in 1977.

(b) The present sale price of Delhi Telephone Directory in English or in Hindi is Rs. 12/- per copy.

(c) Earlier price was Rs. 4/- per copy in each case. The price was increased due to substantial increase in the cost of paper, printing and labour charges.

USE OF GHEE

5219. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Ghee occupied a very high place in the Indian System of Medicine and has been acclaimed to be essential for a happy and long life and great nutritious value, but its demand is so much in the country that it is difficult to meet it despite increasing popularity of Allopathy on the influence of Western sciences and their strong criticism against 'Ghee', and

(b) whether Government would urge upon the Institute of Medical Sciences to seek the opinion of the experts of all systems of medicine and research institutious as to how far the use of Ghee is beneficial or injurious for health ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Ghee has generally been given a high place in Indian diets. In the Indian Systems of Medicine, ghee is often used as a vehicle for administration of medicines in small doses as well as in pure and medicated form. Ghee is, however, expensive and its production in the country is linked up with the production of milk. Since the availability of milk in the country as a whole is limited, availability of ghee is similarly limited. Since the requirement of ghee for use in Indian Systems is small there is no evidence to suggest that its availability for this purpose is a problem.

(b) Results of several studies carried out both in our country and outside by Scientific Institutions have shown evidence that consumption of large amounts of ghee which belongs to the saturated type of fats increases serum cholesterol. Increased serum cholesterol level is known to be one of the several risk factors in the development of atherosclerosis and heart disease. When consumed in small amounts the nutritive value of ghee is essentially similar to that of other vegetable fats except that it contains small amounts of Vitamins A & D.

आपातकाल के दौरान मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिवों को परेशान किया जाना

5220. **श्री के० ए० राजन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान बहुत से मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों को परेशान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

5—765LSS/77

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि वे सरकारी और निजी क्षेत्र के ऐसे सभी कर्मचारियों को, जिनकी नौकरी आन्तरिक सुरक्षा कानून 1971 और भारतीय रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 या ऐसे कुछ संगठनों के साथ उनका संबंध होने से जिन पर पिछली केन्द्रीय सरकार ने या तो प्रतिबन्ध लगा दिया था या उनसे नाराज थी, नियोजकों द्वारा तुरन्त सेवा में फिर से लिया जाए। अन्य ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर, जिन्हें नियोजक ने आपातकाल के दौरान आपातकाल के वातावरण का लाभ उठाकर और कानून की उचित प्रक्रिया तथा निर्धारित कार्याविधि के बिना एवं स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन न करके बर्खास्त या पदच्युत किया गया है, नियोजक द्वारा पुनरीक्षा करना तथा संबंधित कर्मचारियों को अपना बचाव करने के अवसर देना आवश्यक है। यह अनुदेश मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव पर भी लागू होते हैं। औषधीय उद्योग में ऐसे बिक्री कर्मचारी, जो कि बिक्री वर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आते हैं, यदि अभी तक नौकरी पर बहाल नहीं हुए हैं तो संबंधित संराधन तंत्र के साथ औद्योगिक विवाद उठा सकते हैं। सताये जाने के बारे में प्राप्त कुछ अभ्यावेदन संबंधित राज्य सरकारों/प्रशासनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं।

'इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी' में भ्रष्टाचार

5221. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1977 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में "कोरप्शन रूलिंग दि रोस्ट इन इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। मुख्य आरोपों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) यह सच है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है उनकी इस प्रकार की जांच आरम्भ करने के पश्चात् पदोन्नति की गई है।

(2) इस्पात की सप्लाई में 'पैकेज डील' की प्रथा व्यापार की एक सामान्य प्रथा है। यह प्रथा इसलिए अपनायी जाती है जिससे ऐसा माल जिसकी मांग अधिक होती है और जो बाजार में अधिक भाव पर बिकता है, ऐसे माल के साथ बेचा जाता है जिसकी मांग कम होती है और जो अन्यथा अलग से नहीं बिक पाता। फिर भी इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(3) कुछ व्यापारियों के प्रति पक्षपात करने के बारे में लगाए गए आरोप भी तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। किसी विशेष व्यापारी को 1845 टन जस्ती नालीदार

चादरों की सप्लाई के बारे में न तो कोई पेशकश पहिले की गई थी और न ही इस समय कोई है।

(4) इस समय सामान्य उधार देने की सुविधा नहीं है। व्यापारियों को उधार केवल बैंक गारन्टी पर दिया जाता है। इस नीति का सभी मामलों में समान रूप से पालन किया जा रहा है।

SALE OF STEEL BY H. S. C. L.

5222. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the management of H.S.C.L. had sold steel at the rate of rupees six hundred per metric tonne in 1976 to Messrs. Shammi Construction Company, National Fabricators and Messrs. Patel Engineering Company for the fabrication of Steel structures in Bhilai which it was sold to Messrs Veekay Engineering Corporation at the rate of rupees 1400 per metric tonne in 1977 for similar work if so, the loss sustained by the company and the names of the persons responsible for it; and

(b) whether Government propose to take any action against the persons responsible for it ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खाद्य अपमिश्रण के कारण मौत

5223. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, खाद्य अपमिश्रण के कारण देश में, राज्यवार, कितने व्यक्ति मरे; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

EXPENDITURE INCURRED ON THE MEETING OF THE BOARD OF HINDUSTAN ZINC LIMITED, UDAIPUR

5224. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred at the time of the present financial hardship on the meeting of the Board of Hindustan Zinc Limited, Udaipur held on 27th and 28th June, 1977 in Delhi;

(b) the number of cars hired on the occasion of this meeting; date-wise; and

(c) whether information in this regard will be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) to (c) An expenditure of Rs. 9219.21 was incurred by Hindustan Zinc Ltd. in connection with its Board meeting held at New Delhi on 27th and 28th June, 1977. This *inter alia* includes travel and daily allowances of the Directors and other officers of the Company who were required to be present at the time of the meeting and the charges for hiring of the cars on the different dates are as under :—

Date	No. of cars hired
25-6-1977	2
26-6-1977	3
27-6-1977	7
28-6-1977	7

SALE OF ZINC-CATHODES BY HINDUSTAN ZINC LIMITED

5225. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the parties to which Zinc-Cathodes were sold by Hindustan Zinc Limited, Udaipur, in September, 1973 and the quantity of Zinc-Cathodes sold and the rate at which this was sold;

(b) whether all those small-scale industries or companies to which this Zinc-Cathodes was sold, were bogus or these industries or companies were closed down before they purchased it; and

(c) whether C.B.I. had investigated the matter and if so, the reasons for closing them later on ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) The required information is given in statement attached. [Placed in Library. *See* No. L.T.—858/77]

(b) The Zinc-Cathodes were supplied to the different parties both in the small and large scale sectors on the recommendations made by their sponsoring authorities *viz.*, the Directorate General of Technical Development and the Development Commissioner, Small Scale Industries, who generally Scrutinise the requirements of the units looked after by them and borne on their books.

(c) The C.B.I. did not register any case with regard to the sale of Zinc-Cathodes by the Hindustan Zinc Limited during September, 1973 and the matter was not investigated by them.

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बारे में भारत-सोवियत सेमिनार

5226. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बारे में भारत-सोवियत सेमिनार मास्को में आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार का क्या परिणाम रहा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर भारत-सोवियत गोष्ठी मास्को में 27 जून से 4 जुलाई, 1977 तक हुई थी।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बारे में यह गोष्ठी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय कानून सोसाइटी तथा सोवियत अन्तर्राष्ट्रीय कानून संघ और विज्ञान अकादमी के प्रतिनिधि मण्डलों के बीच विशुद्ध वैज्ञानिक एवं शैक्षिक स्तर पर विचार-विनिमय के लिए हुई थी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया था :--

(i) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उत्तरोत्तर विकास और वर्गीकरण ;

(ii) अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित कानून ;

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कानून ; और

(iv) समुद्र कानून।

हिन्द महासागर में सातवां अमरीकी बेड़ा

5227. **डा० बापू कालदाते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्द महासागर के सातवें अमरीकी जहाजी बेड़े की गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन गतिविधियों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य एवं श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार को हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना की गतिविधियों के स्तर पर कोई खास वृद्धि होने की जानकारी नहीं है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन कोई तटवर्ती देश महासागरों में विदेशी युद्ध पोतों के आने-जाने पर आपत्ति नहीं कर सकता। अतः विरोध करने का प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय ईंजीनियरिंग कर्मचारी संघ, मंडल शाखा, उज्जैन का आन्दोलन का नोटिस

5228. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय**
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री सुभाष आहूजा : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ मंडल शाखा, उज्जैन ने अपनी मांगों के समर्थन में दिए गए आन्दोलन के नोटिस से उत्पन्न होने वाली गम्भीर स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) वस्तुतः यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे मध्य प्रदेश सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

PERSONS PUNISHED FOR SPURIOUS DRUGS

5229. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

The number of persons apprehended for manufacturing spurious drugs during the last three years and the number of persons out of them punished therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : The information is being collected and will be laid on the Table of Sabha.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के रोगियों को धनराशि की मंजूरी

5230. **डा० बापू कालदाते** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पातालों को प्रति रोगी 12 रु० प्रतिदिन के हिसाब से धनराशि मिलती है;

(ख) क्या विभिन्न अस्पतालों अथवा चिकित्सा संगठनों ने इस राशि को बढ़ाने की मांग की है;

(ग) वे प्रति रोगी प्रति दिन कितनी धनराशि की अपेक्षा करते हैं ; और

(घ) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है :--

(क) जी हां, बम्बई में अस्पतालों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभ भोगियों के लिए आरक्षित प्लंगों के लिए प्रति रोगी प्रतिदिन 12 रुपये की दर से आरक्षण खर्च दिया जा रहा है ।

(ख) इस मामले में निगम के पास कोई सूचना नहीं है। उन्हें राज्य सरकार से जो कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अधीन डाक्टरी देख-रेख संबंधी प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, आरक्षण खर्च की दरों में वृद्धि के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात, उद्योग में कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

5231. **डा० बापू कालदाते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग में कामगारों के श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को 5 जुलाई, 1977 को बातचीत के लिये दिल्ली आमंत्रित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो एजेन्डा क्या था; और

(ग) इस बातचीत में कौन-कौन आमंत्रित किये गये थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें/सुझाव देने के लिए निम्नलिखित 6 कार्यकारी दल बनाये गये हैं :--

1. उत्पादन और उत्पादिता ।
2. सभी स्तरों पर कामगारों की भागेदारी ।
3. कल्याण-कार्य तथा सामाजिक उद्देश्य ।
4. विपणन, मूल्य निर्धारण तथा वित्त ।
5. प्रत्येक कारखाने के लिए एक यूनियन बनाना और राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग के लिए एक यूनियन बनाना ।
6. बाहर से प्राप्त किये गये धन के आधार पर इस्पात कारखानों का विस्तार और नये इस्पात कारखानों की स्थापना ।

इन दलों में इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों और मजदूर संघों (केन्द्रीय मजदूर संघ नामतः इन्टक, एटक, सीटू, एच० एम० एस०, बी० एम० एस०, यू० टी० यू० सी०, यू० टी० यू० सी० (लेनिन सरणी) तथा एन० एफ० आई० टी० यू० तथा इस्पात कारखानों के मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं।

पहिले इन दलों की बैठक अप्रैल तथा मई, 1977 में हुई थी। अपने विचार-विनियम को जारी रखने के लिये पुन: इनकी बैठक दिल्ली में 5 से 7 जुलाई, 1977 को हुई थी।

विभागेतर कर्मचारी

5232. **श्री बयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री 30 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 2281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विभागेतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको गत तीन वर्षों में डाक तथा तार विभाग में श्रेणी चार संवर्ग में ले लिया गया है ; और

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग में और अधिक विभागेतर कर्मचारी लेने के लिए नियमों में ढील देने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्री (ब्रजलाल वर्मा) : (क) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

EXPENDITURE ON STAFF SEMINARS ORGANISED BY NATIONAL LABOUR INSTITUTE

5233. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in paras 4 and 5 on page 46 in January, 1977 issue of the Bulletin of the National Labour Institute under the caption "Staff Seminar";

(b) if so, the names of the prominent persons who participated in these seminars alongwith views in each case in this regard; and

(c) whether Government will make arrangements for the publication of detailed proceedings of these seminars and accounts of receipt and expenditure thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes.

(b) and (c) In the National Labour Institute there is no practice of maintaining any list of participants or records of proceedings of such staff seminars. The total expenditure involved for the two seminars was Rs. 46/- approximately.

OPENING A POSTS AND TELEGRAPH HEAD POST OFFICE IN KANKROLI CITY RAJASTHAN

†5234. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether sanction has been accorded for a Posts and Telegraph Head Post Office in Kankroli city in Udaipur (Rajasthan) and if so, when; and

(b) whether Government are aware that J.K. tyre factory set up at the cost of Rs. 35 crores is functioning this city and even then this city has not been provided with a Posts and Telegraph Head Office ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) Orders for upgradation of Kankroli Sub Office into a Head Post Office have been issued on 22-7-77.

(b) The Government is aware of the importance of this city and therefore action has been taken to provide a Head Post Office.

विभागेतर तथा डिलीवरी एजेंटों के लिए छुट्टी

5235. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेतर तथा डिलीवरी एजेंटों के लिए कोई निर्धारित छुट्टी की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) विभागेतर एजेंट उन नियमों और विनियमों से शासित नहीं होते जो विभाग के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तथापि, एक वर्ष के दौरान वे 18 दिन की छुट्टी ले सकते हैं।

विभागेतर वितरण एजेंट को अपने एवजी की स्वयं व्यवस्था करनी होती है और छुट्टी के दौरान एवजी को भत्तों का भुगतान किया जाता है।

कोयला खानों में बचाव सेवाओं के लिए संगठन

5236. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में बचाव सेवाओं का संचालन करने के लिए कोई संगठन है ;

(ख) यदि हां, तो उस संगठन का क्या नाम है; और

(ग) उसने खानों में खतरा कम करने के लिए क्या काम किया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन गठित केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति देश के सभी कोयला क्षेत्रों में बचाव समिति स्टेशनों की स्थापना, अनुरक्षण और ठीक कार्य के लिए उत्तरदायी है। इस समिति के अधीन 12 बचाव स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इन स्टेशनों का कार्य खान श्रमिकों को भूमि के नीचे बचाव तथा रिकवरी कार्य में प्रशिक्षित करना, बचाव उपस्करों और अन्य उपकरणों की देख भाल करना, खानों में बचाव और रिकवरी कार्य करना तथा किसी विस्फोट या आग लग जाने या विषाक्त अथवा ज्वलनशील गैसों के निकलने के बाद खानों में खतरे को कम करने के लिए सभी व्यावहारिक कार्यवाही करना है।

2. किसी कोयला खान जहां वातावरण अश्वासनीय बन जाता है, में दुर्घटना के शीघ्र बाद ही बचाव कार्य में प्रशिक्षित व्यक्ति सर्वप्रथम खानों में प्रवेश करते हैं और खान के क्षतिग्रस्त भागों में खोज करते हैं और बचाव और रिकवरी संक्रियाएं करते हैं। इस प्रकार की संक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने में सहायता देती हैं। जोकि खान में और आगे के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक ह। इस प्रकार की संक्रियाएं केवल सही तरीके से प्रशिक्षित बचाव व्यक्तियों द्वारा ही सम्भव हैं। समिति ने अबतक खानों में 4336 श्रमिकों को बचाव और रिकवरी कार्य में प्रशिक्षित किया है। ऐसी आपात स्थितियों, जिनमें खानों में नियोजित व्यक्तियों के प्राणों को खतरा होता है, का सामना करने के अतिरिक्त

बचाव संगठन जब कभी खान में आग लगी चाहे उसमें व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त नहीं थे, खानों से बुलावा आने पर कार्य करता आ रहा है। ऐसे अवसरों पर बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों ने सुरक्षित रूप से और शीघ्रता से आग बुझाने के कार्य में खान प्रबन्धकों की सहायता की। भूमि के नीचे आग के शीघ्र ही अलगाव के परिणामस्वरूप खान का शेष भाग सुरक्षित बच जाता है और खान के शेष भाग तथा आस पास के खानों को भी आगे खतरे कम हो जाते हैं। आज की तारीख तक बचाव संगठन के लिए ऐसे 98 व्यक्तियों को बचाना सम्भव हो गया जो विस्फोट के बाद बदबूदार वातावरण में फंस गए थे। संगठन द्वारा किए गए सामयिक तथा तेज रिकवरी कार्यों के परिणामस्वरूप 2410 लाख टन से अधिक कोयला की उपलब्धि हुई है।

EXPENDITURE ON INTRODUCING HINDI IN U.N.O.

†5237. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 266 on the 30th June, 1977 regarding non use of national language for official work in Indian Embassies abroad and state :

(a) the details of the estimated expenditure of Rs. 6 crores required to be incurred as arrangements for making speeches in Hindi in U.N.O.;

(b) whether small member countries cannot make speeches in their respective official languages in U.N.O.; and

(c) whether they have also to make similar expensive arrangements ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) to (c) It is open to delegates of all member-countries of the United Nations to make statements in any language of their choice, without incurring any expenditure, provided advance copies of the translation into one of the official languages of the United Nations are made available to the interpreters.

However, the non-recurring expenditure on the introduction of an additional language as an official language of the United Nations has been estimated at approximately Rs. 90 lakhs. The recurring expenditure per annum on interpretation and translation has been estimated at Rs. 3.37 crores for the year which could be expected to increase every year by an annual inflationary rate of 7.5%.

Apart from the expenditure involved, the introduction of an additional language as an official language of the United Nations would require an affirmative decision of the United Nations General Assembly.

BAILADILA PROJECT

5238. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the estimate of expenditure initially prepared by the National Mineral Development Corporation Limited, for the Bailadila Project and the time fixed for its completion;

(b) the expenditure so far incurred on the project and estimated to be incurred;

(c) the original expenditure estimated for mining iron ore per tonne and the expenditure per tonne being incurred at present; and

(d) the reasons for this variation and who is responsible for it ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) The Project Report prepared by the NMDC in 1969, envisaged development of the Bailadila Deposit No. 5 project at an estimated capital outlay of Rs. 38.25 crores. The project was originally scheduled to be completed by mid 1973;

(b) Against the revised project cost estimates of Rs. 67.49 crores, an expenditure of Rs. 61.55 crores has been incurred up till 30-6-1977, leaving a balance of Rs. 5.94 crores yet to be incurred.

(c) Based on the original estimates and 100% capacity utilisation, the cost of mining lump ore was estimated at Rs. 20.50 per tonne. On the basis of the revised cost estimates and at 90% capacity utilisation, the cost of mining lump ore is now expected to be Rs. 42.20 per tonne.

(d) The principal reasons for the increase in capital cost are :—

(i) increase due to extension of construction period;

(ii) increase in prices of equipment and increase in wages;

(iii) increase in scope of work; and

(iv) increase in quantities.

The elongation of the construction period of the project was caused mainly by the technological problems encountered in the drivage of a 2025 metre long tunnel through fissured and difficult rock strata and delays in supply of essential equipment by indigenous manufacturers.

श्रमिक शिक्षा योजना की पुनरीक्षा के लिए समिति

5239. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसरण में श्रमिक शिक्षा योजना की पुनरीक्षा के लिये एक समिति गठित की गई थी ;

(ख) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा और सदस्यों में वितरित किया जायेगा; और

(घ) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(घ) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और उन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

अखिल भारतीय खान सम्मेलन

5240. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में एक अखिल भारतीय खान सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या देश में खनन उद्योग का सम्मिलित विकास करने के बारे में निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) राज्य खनिज निगमों की परिषद्, जो एक गैर-सरकारी संस्था है, ने 2 और 3 जुलाई, 1977 को नई दिल्ली में अपना पहला अखिल भारतीय खनिज सम्मेलन किया था।

(ख) व (ग) खनिज सेक्टर के बारे में भारत सरकार की नीति खनिज उद्योगों के व्यवस्थित और सम्मिलित विकास की है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य खनिज निगमों के साथ-साथ गैर-सरकारी पट्टेदारों को भी भूमिका निभानी होती है। राज्य खनिज निगमों की परिषद् और प्राईवेट खान मालिक संघ को यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि उनसे कहा गया है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वे अपने-अपने क्षेत्रों में खानों का विकास करें।

CONSTRUCTION OF BUILDING FOR AUTOMATIC EXCHANGE IN JUNAGARH CITY

†5242. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a new building for the Automatic Exchange in Junagarh city of Gujarat State; if so, the total estimated cost thereof and the amount which has already been spent thereon;

(b) the expenditure likely to be incurred during 1977-78; and

(c) the time by which this construction work is likely to be completed ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) to (c) In accordance with a phased programme of conversion of large manual exchanges to automatic working, plans are in hand for establishing an automatic exchange at Junagarh. Taking into account the overall availability of automatic exchange equipment, it is expected that suitable equipment would be available by early 1981.

To match with this, plans have been drawn up to construct an automatic exchange building at an approximate cost of Rs. 31 lakhs. The actual building construction will be taken up during the next financial year, which should enable it to be ready in time for installation of the exchange.

चिकित्सा सेवाओं में रिक्त पद

5243. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार तथा संघ क्षेत्र वार राज्य केन्द्र की चिकित्सा सेवाओं में रिक्त पदों की संख्या कितनी है ; और

(ख) कितने पदों का निर्माण किया जायेगा तथा आगामी तीन वर्षों के दौरान कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौरंघी रोड, कलकत्ता के भूमि परिसर के अर्जन के बारे में चल रही कार्यवाही

5244. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या संचार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के महानिदेशालय ने वर्ष 1975 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को चौरंघी रोड, कलकत्ता के भूमि परिसर संख्या 33 ए के अर्जन से संबंधित कार्यवाही को समाप्त करने की सलाह दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित विभाग को उक्त सलाह पर अभी कार्यवाही करनी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है और इसे यथा समय पेश कर दिया जायेगा।

चीन को कच्चे लोहे का निर्यात

5245. **श्री निहार लास्कर**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार चीन को कच्चे लोहे का निर्यात करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

PROVISION OF LIFTS IN HOSPITALS OF DELHI

5246. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether, in most of the high multi-storeyed Government hospitals in capital, either the lifts have not been provided or where these have been provided these are reserved only for patients; and

(b) if so, the reasons for which lifts have not been provided there for the convenience of the common people ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Lifts have been provided in various multi-storeyed Government hospitals in the capital. These are primarily meant for patients only and are marked as such.

(b) Snce the needs of the patients for the use of lifts in hospitals are paramount, it is considered essential that the lifts provided in the hospitals should at all times remain available for use by the patients. As such the members of the public other than the patients are not encouraged to use the lifts. Nor is it practicable to instal additional lifts for use by the persons other than the patients.

SEEKING OF PERMISSION FOR LOCK-OUT BY HINDALCO

5247. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the management of the Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot (Uttar Pradesh) had sought permission from Government for resorting to lock-out for one month in May, 1974;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the legal action being taken by Government against the company; and

(d) the employees of the staff association removed from service in 1974 and the main grounds therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

ARBITRATION AWARD FOR DISMISSED EMPLOYEES OF HINDALCO RENUKOOT, U.P.

5248. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether an arbitrator was appointed for the employees of the Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot (U.P.) who were removed from the service of the Corporation in May, 1974;

(b) if so, when the arbitrator is likely to announce his award;

(c) whether the management has challenged the arbitration award in the High Court, and

(d) whether Government have fixed any time limit within which the arbitrator is required to give his award ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes, Sir.

(b) The arbitrator expects to give his award by the end of 1977 if the parties cooperate with him.

(c) As the award is yet to be given this question does not arise.

(d) No, Sir.

पारपत्रों के लिए राज्यों में कार्यालय खोलना

5249. **श्री लालजी भाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारपत्र बनाने वाले कार्यालय केवल दिल्ली तथा बम्बई में हैं जिसके परिणामस्वरूप साधारण व्यक्ति को पारपत्र बनवाने के लिए आने जाने में काफी धन व्यय करना पड़ता है और कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कार्यालय राज्यों में खोलने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं । क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भारत के निम्नलिखित सात नगरों म स्थित हैं :

कार्यालय	से
1. दिल्ली	फरवरी, 1956
2. बंबई	फरवरी, 1956
3. मद्रास	फरवरी, 1956
4. कलकत्ता	फरवरी, 1956
5. लखनऊ	फरवरी, 1956

6. चंडीगढ़—अक्तूबर, 1969
7. अहमदाबाद—नवम्बर, 1969
8. अर्नाकुलम—अप्रैल, 1975
9. हैदराबाद—सितम्बर, 1976

(ख) काम के बोझ को देखते हुए जब जरूरत होती है विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाते हैं।

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के अधिकारियों को दूरसंचार गोष्ठी के लिए जापान भेजना

5250. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 1976 के आस पास दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के कुछ अधिकारियों को जापान स्थित क्योतो में दूरसंचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके पूरे नाम अर्हताएं, अनुभव आदि क्या हैं और क्या विदेशों में भेजे गए इन अधिकारियों में से कोई अधिकारी संचार मंत्रालय के सचिव का नजदीकी संबंधी था;

(ग) इस दल को जापान भेजने से सरकार को हुए ठोस लाभ क्या हैं और उस पर कुल कितनी लागत आई; और

(घ) क्या वहां पर आयोजित की गई गोष्ठी के समय डाक व तार विभाग के बहुत से अधिकारी पहले ही जापान में प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे और यदि हां, तो क्योतो गोष्ठी में इन प्रशिक्षणार्थियों में से एक या अनेक प्रशिक्षणार्थियों को न भेजने के क्या कारण ह और भारत से विशेष रूप से अधिकारियों को भेजने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा): (क) जी हां। डाक-तार विभाग के तीन अधिकारियों का एक दल भेजा गया था। इन अधिकारियों में से दो अधिकारी दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टी० आर० सी०) से थे और एक अधिकारी डाक-तार निदेशालय से था।

(ख) इन अधिकारियों के पूरे नाम, उनकी योग्यताएं, अनुभव आदि इस प्रकार हैं:

(i) श्री गुन्डू बन्दोपंत मीमांसी, बी० एस० सी० (आनर्स)—डी० आई० आई० एस० सी० अपर निदेशक दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र। ये 1954 में तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी-1 में प्रविष्ट हुए। ये टेलीफोन स्विचिंग प्रणालियों और इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियों और तकनीकों में विशेषज्ञ हैं।

(ii) श्री विजय कुमार, बी० एस० सी०, बी० ई०, उप निदेशक, दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र। ये 1963 में तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी-1 में प्रविष्ट हुए। ये टेलोफोन स्विचिंग प्रणालियों और इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियों व तकनीकों में विशेषज्ञ हैं।

(iii) श्री दिनकर राधाकृष्ण महाजन, बी० ई० डाक-तार निदेशालय की योजना शाखा में निदेशक हैं। 1957 में तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी-1 में प्रविष्ट हुए। ये टेलोफोन स्विचिंग प्रणालियों और इलक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियों व तकनीकों म विशेषज्ञ हैं।

इन तीन अधिकारियों में से श्री विजय कुमार संचार मंत्रालय के सचिव के संबंधी हैं।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्विचिंग संगोष्ठी हर तीन वर्ष म एक बार होती है । 1976 में यह संगोष्ठी क्योटो में हुई थी । संगोष्ठी का मुख्य विषय था इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियां और तकनीकें । उक्त संगोष्ठी में 50 देशों के 1100 विशेषज्ञों ने भाग लिया था।

भारत के लिए इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियों के विकास का बड़ा महत्व है और ऐसी प्रणालियों की डिज़ाइन और विकास का कार्य, जो कि भारत की आवश्यकताओं के उपयुक्त हो, दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के चार्ज में है । दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र की डिज़ाइन पर आधारित एक स्टोर्ड, प्रोग्रामड कंट्रोल टाइप का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज दिल्ली में पहले से ही स्थापित किया जा रहा है ।

इसलिए हमारे अपने विशेषज्ञों के लिए, जो कि इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग प्रणालियों के विकास और उनकी योजना बनाने में लगे हुए हैं, इस बात का बड़ा महत्व है कि वे इलेक्ट्रानिक स्विचिंग के क्षेत्र में विश्व की नवीनतम प्रगति की जानकारी प्राप्त करें और अन्य देशों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करें ।

जो दल क्योटो गया था, उसने संगोष्ठी के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया । दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र से जो दल गया था उसने भारत में विकसित की जा रही इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली के संबंध में एक लेख भी प्रस्तुत किया जिसकी बहुत सराहना की गई और जिसमें विशेषज्ञों ने काफी रुचि दिखलाई और चर्चा भी की । दल ने जापान के इस दौरे का लाभ उठाते हुए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का निरीक्षण किया और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया । इस दल ने सी० सी० आई० टी० टी० के एक अध्ययन दल के विचार विमर्श में भी सक्रिय रूप से भाग लिया । यह अध्ययन दल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग और सिग्नलिंग तकनीकों के बारे में काम कर रहा था ।

भारत में इन विशेषज्ञों द्वारा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की डिजाइन तैयार करने और उनका विकास करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसकी प्रगति में इस दल द्वारा किए गए दौरे से बहुत लाभ पहुंचा ।

इस दल पर कुल 51,805 रु० खर्च हुए थे ।

(घ) जापान में उस समय अन्य डाक-तार अधिकारी क्रासबार स्विचिंग प्रणालियों की तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । चूंकि वे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणालियों के विकास या उनकी योजना से संबद्ध नहीं थे, इसलिए इस विषय पर हुई एक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में उनके भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

भारत-अमरीका संयुक्त आयोग

5251. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट डा० हेनरी किसिंजर तथा भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री के बीच हुई फलदायक बातचीत के परिणामस्वरूप भारत-अमरीका संयुक्त आयोग गठित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के सदस्यों और कृत्यों तथा इसके तीन उप आयोगों का पूरा ब्यौरा क्या है तथा अब तक हुई उनकी बैठकों और निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नई जनता सरकार ने उक्त संयुक्त आयोग तथा सभी उप-आयोगों का पुनर्गठन किया है; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(घ) मार्च और जून 1977 के बीच भारत तथा/अथवा अमरीका में हुई विभिन्न उप-आयोगों की बैठकों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक वक्तव्य सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण)

भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की स्थापना 28 अक्तूबर 1974 को एक करार द्वारा की गई थी जिस पर भारत सरकार की ओर से तत्कालीन विदेश मंत्री (श्री वाई० बी० चव्हाण) और अमरीका सरकार की ओर से तत्कालीन राज्य सचिव (डा० हैनरी किसिंजर) ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों में सहयोग के द्विपक्षीय प्रस्ताव शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री और अमरीका के राज्य सचिव इसके सह-प्रधान हैं। संयुक्त आयोग के अधीन तीन उप-आयोग हैं जो सम्बद्ध मामलों के लिए हैं।

(1) शिक्षा और संस्कृति पर भारत-अमरीकी उप-आयोग

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी उप-आयोग

(3) आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग।

एक भारत अमरीका संयुक्त बाणिज्य आयोग भी है जिसमें कि दोनों देशों के वाणिज्य चेम्बरों के व्यापारी हैं।

इस वर्ष संयुक्त राज्य अमरीका और भारत की सरकारों में परिवर्तन हो जाने की वजह से इस संयुक्त आयोग के दो नये सह-प्रधान बने हैं जिनके नाम हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत सरकार के विदेश मंत्री और श्री सायरस वान्स जोकि अमरीका के विदेश मंत्री हैं।

भारत अमरीकी आयोग के अन्तर्गत सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र तय किए जाते हैं और सहयोग की विशिष्ट योजनाएं विस्तार के साथ तैयार की जाती हैं जैसे कि अनुसंधान परि-योजनाएं आदि। सम्बद्ध सरकारों का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद दोनों पक्षों द्वारा निर्णयों पर अमल करने की दिशा में आगे कदम उठाए जाते हैं।

संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक अक्तूबर 1975 में वाशिंगटन में हुई। भतपूर्व विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें तीन उप-आयोगों के नेता शामिल थे। भूतपूर्व राज्य सचिव ने अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें तीन उप-आयोगों के अमरीकी नेता शामिल थे।

संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक 1976 में नहीं हो सकी, इसे अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था। नई दिल्ली में इस बैठक के होने की तारीख अभी दोनों पक्षों में परस्पर विचार-विमर्श के बाद तय होनी है। बहरहाल, इस बात की आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त में नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की बैठक होगी।

(1) **आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग :**

भारत की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव इस उप-आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी तक इस उप-आयोग की दो बैठकें हुई हैं पहली जनवरी, 1975 में वाशिंगटन में और दूसरी मार्च 1976 में नई दिल्ली में। इसकी तीसरी बैठक इस वर्ष के अंत में वाशिंगटन में होने वाली है।

उर्वरकों और कीटनाशकों की सप्लाई, मांग और कीमत के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिए, खासकर भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के संदर्भ में, इस उप-आयोग के अन्तर्गत रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कृषि निविष्टि से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। अब तक इस दल की तीन बैठकें हो भी चुकी हैं जिनमें आखिरी सत्ताईस मार्च 1976 को नई दिल्ली में हुई थी।

(2) **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उप-आयोग :**

श्री जी० पार्थसारथी को, जो पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति थे और बाद में विदेश मंत्रालय की नीति-निर्धारण समिति के अध्यक्ष, भारतीय पक्ष की ओर से इस उप-आयोग का नेता नामजद किया गया। अब तक इस उप-आयोग की तीन बैठकें हुई हैं : पहली फरवरी 1975 में नई दिल्ली में, दूसरी मई 1976 में न्यूयार्क में और तीसरी मई 1977 में नई दिल्ली में। इस उप-आयोग के लिए सचिवालय की व्यवस्था भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् करता है।

(3) **वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उप-आयोग :**

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति डा० बी० डी० नागचौधरी को भारतीय पक्ष की ओर से इस उप-आयोग का नेता नामजद किया गया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को वैकल्पिक नेता नामजद किया गया।

अब तक इस उप-आयोग की तीन बैठकें हुई हैं, पहली जनवरी 1975 में वाशिंगटन में, दूसरी जनवरी 1976 में नई दिल्ली में, और तीसरी जून 1977 में वाशिंगटन में।

मार्च, 1977 में नई सरकार द्वारा सत्ता संभाल लेने के बाद विदेश मंत्री ने भारत-अमरीकी उप-आयोगों और उनके काम पर पुनर्विचार किया। यह निर्णय हुआ कि इन उप-आयोगों को काम करते रहना चाहिए हालांकि भारतीय पक्ष की ओर से इसकी सदस्यता में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उप-आयोग तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उप-आयोग, इन दो आयोगों की मार्च 1977 के बाद से क्रमशः नई दिल्ली और वाशिंगटन में बैठक हो चुकी है। इसकी बैठक में लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उप-आयोग में भारतीय पक्ष का वर्तमान गठन नीचे लिखे अनुसार है।

प्रो० एम० एस० गोरे, नेता, प्रो० पी० जी० मावलंकर, संसद सदस्य तथा हेराल्ड लास्की के निदेशक, प्रो० ए० एन० बोस, कुलपति यादवपुर विश्वविद्यालय, प्रो० एम० एन० श्रीनिवास, इन्स्टीट्यूट ऑफ़ सोशल एण्ड इकनोमिक चेंज, प्रो० राजकृष्ण दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकानामिक्स, प्रो० मंजूर आलम, उस्मानिया विश्वविद्यालय और अन्य अधिकारीगण।

6—765LSS/77

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उप-आयोग की स्वरूप रचना निम्न प्रकार से है :—

डा० ए० रामचन्द्रन, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग—नेता । डा० सी० गोपालन, महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, डा० डी० आर० भूम्बला, उपमहानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, डा० आर० डी० देशपांडे, निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इनके अतिरिक्त वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के अधिकारीगण ।

शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उप-आयोग के निर्णय—मई, 1977

उप-आयोग में इस बात पर सहमति थी कि इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग तथा आदान-प्रदान की आवश्यकता है । उप-आयोग यह नहीं चाहता था कि वह अपने प्रयासों को शैक्षिक और बौद्धिक क्षेत्रों तक ही सीमित रखे बल्कि चाहता था कि दोनों देशों में आम लोगों में रुचि पैदा की जाए । उप-आयोग ने अपने इस समर्थन की पुन: पुष्टि की कि आगामी वर्षों में विद्वानों और अभ्यागतों का आदान-प्रदान होना चाहिए । उप-आयोग ने विगत वर्ष में हुई गोष्ठियों पर अपना सन्तोष व्यक्त किया और यह इच्छा व्यक्त की कि गोष्ठियों का यह सिलसिला और संपर्क तथा इसके अनुवर्ती कार्यक्रम चलते रहने चाहिए।

अगले वर्ष की तीन गोष्ठियों के विषय स्वीकार किए जा चुके हैं। इनमें विश्वविद्यालयीन अनुसंधान एवं विज्ञान, शिक्षा एवं विद्यार्जन में अनुसंधान तथा सांस्कृतिक दृष्टि में भिन्न-भिन्न समाजों में जातीय संघटन उप आयोग ने संयुक्त संग्रहालय समिति के काम की सराहना की । इस वर्ष अमरीकी औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर एक प्रदर्शनी भी भारत में दिखाई जाने वाली है और संयुक्त राज्य अमरीका में एक 'पूर्व औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर एक भारतीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी । फ़िल्म-रेडियो और टेलीविजन में सहयोग की गुंजाइश पर सहमति हुई ।

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उपायों के निर्णय

वाशिंगटन में मध्य जून 1977 में इस उप-आयोग की बैठक के बाद जोकि अत्यंत सौहार्द-पूर्ण वातावरण में हुई, नीचे लिखे निर्णय लिए गए । संयुक्त राज्य अमरीका ने सहकारी अनुसंधान के चार नये क्षेत्रों का प्रस्ताव किया : वन्य-जीवन एवं आवास, मौसम प्रक्रिया से सम्बन्धित सौर-गतिविधि, समुद्रविज्ञान और पृथ्वीगत विज्ञान जिनमें ऋतु विज्ञान, भूगर्भ-विज्ञान, जल-विज्ञान और निर्जल भूमि अनुसंधान भी शामिल हैं । भारत ने लघु उद्योग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहकारी अनुसंधान का प्रस्ताव किया और स्वास्थ्य, कृषि एवं जल-संसाधन तथा ऊर्जा के पूर्ण सहमत प्राथमिकता के क्षेत्र में नये-नये कदम उठाने की पेशकश की । इस उप-आयोग की विशिष्ट नालिका की बैठक कृषि एवं जल-संसाधन, ऊर्जा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, सामग्री एवं इलेक्ट्रोनिकी, सूचना विभाग एवं संस्थागत आदान-प्रदान की दिशाओं में सम्मिलित प्रयासों के लिए योजनाओं को समन्वित करने के लिए हुई ।

लारी चालक को टेलीफोन एक्सचेंज टेकनीशियन के रूप में ओमान भेजना

5252. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफ़ोन विभाग के एक लारी चालक को पश्चिम एशिया के किसी देश या ओमान में टेलीफ़ोन एक्सचेंज टेक्नीशियन के रूप में भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो विभाग में तकनीशियन के रूप में कार्य कर रहे प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता न देकर इस व्यक्ति को वहां भेजने का क्या कारण है;

(ग) क्या दिल्ली टेलीफ़ोन विभाग और डाक तार निदेशालय में ऐसे और भी अप्रशिक्षित, अर्ध-प्रशिक्षित या अर्ध-कुशल कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति गुण की अपेक्षा भाई-भतीजावाद के आधार पर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि, ओमान के एक दल ने कई डाक तार कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया था और दिल्ली टलीफ़ोन के एक लाइनमैन/ड्राइवर को चुना था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खनिज विकास योजना

5253. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य खनिज निगम से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी केन्द्रीकरण होने के कारण खनिज विकास योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) खनिज विकास के मार्ग में बाधा के अन्य कौन से कारण हैं;

(ग) क्या अनेक राज्य खनिज सहकारी समितियां अपेक्षित पूंजी के अभाव में नई खनिज परियोजनाएं आरम्भ नहीं कर सकी हैं; और

(घ) देश में खनिज विकास में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) यह मामला राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

(घ) पांचवीं योजना (1974—79) में खनिज विकास संबंधी केन्द्रीय कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए बढ़े हुए परिव्यय का प्रावधान है। निम्न ग्रेड अयस्कों के संरक्षण और उपयोग के दीर्घकालीन हितों के संदर्भ में खनिज-श्रोतों के समन्वित विकास हेतु राज्यों और निजी पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अलौह धातुओं की मांग

5254. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अलौह धातुओं की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) गत वर्ष इसका वास्तविक उत्पादन कितना था और चालू वर्ष के लिए उत्पादन का लक्ष्य क्या है; और

(ग) लक्ष्य पूरा करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) मुख्य अलौह धातुओं के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) **एल्यूमिनियम** : एल्यूमिनियम के उत्पादन के मुख्य बाधा एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को बिजली की अपर्याप्त पूर्ति की है। केन्द्र सरकार ने एल्यूमिनियम उत्पादन हेतु बिजली की पूर्ति को लगातार बनाए रखने और बढ़ाने के मामले में संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत बोर्डों से बातचीत की है।

इस समय हिन्दुस्तान कापर लि० को तांबा उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है :—

(1) अपर्याप्त बिजली पूर्ति जिसके लिए सरकार संबंधित राज्य सरकारों और विद्युत बोर्डों से बातचीत कर रही है, तथा

(2) खेतड़ी में प्रद्रावक के बारे में प्रौद्योगिकी समस्याएं। समस्याओं से निपटने के लिए हिन्दुस्तान कापर लि० एक विख्यात विदेशी धातु परामर्शी फ़र्म की सेवाएं प्राप्त करने का प्रबंध कर रहा है।

जस्ता और सीसा के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	अलौह धातु का नाम	गत वर्ष 1976-77 में वास्तविक उत्पादन (टनों में)	चालू वर्ष 1977-78 में अनुमानित मांग (टनों में)	चालू वर्ष 1977-78 के लिए नियत उत्पादन लक्ष्य (टनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एल्यूमिनियम	2,08,687	2,20,000	2,23,000
2.	तांबा .	22,424	65,000	27,670
3.	सीसा .	6,181	49,000	10,050
4.	जस्ता .	27,033	1,05,000	42,400 (पिंड) 17,100 (कैथोड)

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा भेजे गए अयस्क-खेप

5255. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में विभिन्न प्रकार के अयस्कों का कितना उत्पादन किया, कितना अयस्क उसके द्वारा जहाज से तथा अन्य प्रकार से भेजा गया और पहले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े, कम हैं अथवा अधिक,

(ख) वर्ष 1976-77 में इससे कितनी वित्तीय आय हुई और उससे पहले कितनी हुई थी; और

(ग) आन्तरिक खपत और निर्यात हेतु खनिज निकालने का चालू वर्ष में कितना लक्ष्य रखा गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया गया लौह अयस्क का उत्पादन, प्रेषण तथा जहाज द्वारा भेजा गया माल निम्न सारणी में दिखाया गया है :

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	प्रेषण	जहाज द्वारा निर्यात के लिए भेजा गया माल
1975-76 . .	70.25	69.19	48.19
1976-77 . .	81.98	77.26	51.14

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की चल रही परियोजनाओं के वैत्तिक परिणामों में 67.7 लाख रुपये का लाभ दिखाया गया है। वर्ष 1976-77 के दौरान उन्हीं परियोजनाओं के वैत्तिक परिणाम में 116 लाख रुपये का लाभ दिखाया गया है । फिर भी, वर्ष के अन्त में राजस्व खाते में एक नई परियोजना बेलाडीला निक्षेप संख्या 5 के में शामिल किये जाने के कारण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के वर्ष 1976-77 के अस्थायी खातों में 176.7 लाख रुपये की हानि दिखाई गई है।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के वर्ष 1977-78 के लिए लौह अयस्क (डले और चूरे) के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

(1) आन्तरिक खपत के लिए	25.80	लाख टन
(2) निर्यात के लिए	88.12	लाख टन
कुल	113.92	लाख टन

OPENING OF NEW HOSPITALS IN CURRENT FIVE YEAR PLAN

5256. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of hospitals with 500 or more beds in the country; and

(b) the target set by Government for opening new hospitals under the current Five Year Plan and the extent to which success has been achieved ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) :

(a) Number of hospitals with 500 or more beds in the country is 110.

(b) During the Fifth Five Year Plan period a target to create an additional strength of 40,000 beds has been set. Regarding opening of new hospitals under the current Five Year Plan, the information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

देश में होम्योपैथी के डाक्टर/कालेज

5257. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में होम्योपैथी के कितने डाक्टर पंजीकृत हैं ;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में होम्योपैथी के कालेजों और अस्पतालों की संख्या क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होम्योपैथी के कितने कालेज और अस्पताल खोले जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जिन राज्यों में इस प्रयोजन के लिए कानून लागू हो चुका है, उसमें पंजीकृत हुए होम्योपैथिक डाक्टरों की संख्या राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जिन राज्यों से सूचना मिल चुकी है उनमें 31-5-76 को जितने मान्यताप्राप्त होम्योपैथिक कालेज थे उनकी संख्या इस प्रकार है :—

आंध्र प्रदेश	4
असम	1
बिहार	19
दिल्ली	1
गुजरात	2
कर्नाटक	4
केरल	4
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	16
उड़ीसा	2
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	16
पश्चिम बंगाल	8
जोड़ . .	93

होम्योपैथिक अस्पतालों की राज्यवार संख्या से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्योंही उपलब्ध हो जाएगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना की है जो होम्योपैथिक शिक्षा, अनुसंधान तथा उपचार की सुविधाएं प्रदान करेगा। राज्य सरकार के प्रस्तावों से संबंधित सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण

होम्योपैथिक बोर्डों/परिषदों में पंजीकृत होम्योपैथी की संख्या

राज्यों के नाम	पंजीकृत		
	अर्हता प्राप्त	अनुभव के आधार पर	योग
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
31-1-77 की स्थिति के अनुसार .	339	803	1142

1	2	3	4
असम			
1-1-77 की स्थिति के अनुसार	46	1805	1851
बिहार			
1-1-77 की स्थिति के अनुसार	2745	13242	15987
चण्डीगढ़			
25-1-77 की स्थिति के अनुसार	22	224	246
दिल्ली			
4-4-77 की स्थिति के अनुसार	980	276	1256
गुजरात			
1-2-77 की स्थिति के अनुसार	164	225	389
हरियाणा			
4-4-77 तक	9	1053	1062
कर्नाटक	218	1220	1438
केरल			
10-2-77 तक	1393	1489	2882
मध्य प्रदेश			
1-6-76 की स्थिति के अनुसार	2592	4647	7239
महाराष्ट्र			
1-1-77 की स्थिति के अनुसार	3772	2043	5815
उड़ीसा			
1-6-76 की स्थिति के अनुसार	204	1355	1559
पंजाब 1-1-77 तक	60	2823	2883
राजस्थान 1-1-77 तक	70	2441	2511
तमिल नाडू 1-1-77 तक	26	11574	11600
उत्तर प्रदेश			
1-6-76 की स्थिति के अनुसार	1799	13251	15050
पश्चिम बंगाल			
1-6-76 की स्थिति के अनुसार	3730	11637	15367

LEPERS IN THE STATES

5258. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained information from various States as to the number of lepers;

(b) if so, their number, State-wise and the State in which their number has been increasing during the past three years; and

(c) the measures being taken by Government to control this dreadful disease ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) and (b). Yes, a statement showing the required information is enclosed.

As adequate number of studies have not yet been carried out to find out the rate of incidence of Leprosy, it is difficult to say with any exactness whether the disease has increased or decreased during the past 3 years in a State. However, due to improved arrangements under the National Leprosy Control Programme more Leprosy patients are being detected and provided treatment.

(c) Government of India have sanctioned National Leprosy Control Programme as a Centrally sponsored scheme. Under that programme, so far, 364 Leprosy Control Units, 4480 Survey, Education and Treatment Centres, 285 Urban Leprosy Centres, 56 Reconstructive Survey Units and 124 temporary Hospitalisation Wards each having 20 beds for indoor treatment of actually ill and complicated cases of leprosy have been established. 37 Leprosy Training Centres have been establishd to train medical and para-medical personnel for the Programme. Since last year the Programme has been made target oriented one.

STATEMENT

National Leprosy Control Programme

(Figures in lakhs)

States/Union Territories	Estimated cases of leprosy as on 31-3-71	Leprosy cases detected till 31-3-1977	Leprosy cases brought under treatment till 31-3-77.
1. Andhra Pradesh	6·28	3·000	2·535
2. Assam	0·12	0·045	0·043
3. Bihar	3·39	1·236	1·226
4. Gujarat	0·25	0·301	0·266
5. Haryana	0·01	—	—
6. Himachal Pradesh	0·15	0·060	0·058
7. Jammu & Kashmir	0·05	0·044	0·044
8. Karnataka	1·74	0·863	0·843
9. Kerala	0·75	0·608	0·487
10. Madhya Pradesh	0·32	0·689	0·170
11. Maharashtra	2·80	2·606	1·880
12. Manipur	0·06	0·051	0·030
13. Meghalaya	0·06	0·017	0·011
14. Nagaland	0·05	0·015	0·015
15. Orissa	2·37	0·906	0·906
16. Punjab	0·02	0·006	0·006
17. Rajasthan	0·10	0·031	0·015
18. Sikkim	0·016	—	—
19. Tamil Nadu	7·83	5·662	4·550
20. Tripura	0·10	0·020	0·019
21. Uttar Pradesh	1·68	1·600	1·494
22. West Bengal	3·80	2·474	1·002
23. A. & N. Islands	0·01	0·002	0·002
24. Arunachal Pradesh	0·01	0·008	0·008
25. Chandigarh	—	—	—
26. D. & N. Haveli	0·001	0·004	0·004
27. Delhi	0·01	0·004	0·004
28. Goa, Daman & Diu	0·05	0·014	0·014
29. Lakshadweep	0·01	0·005	0·005
30. Mizoram	0·01	0·002	0·002
31. Pondicherry	0·19	0·123	0·115
INDIA	32·237	20·3924	15·7504

COMPENSATION PAID TO FAMILIES OF WORKERS WHO DIED IN CHASNALA MINE ACCIDENT

5259. SHRI HARIKESH BAHADUR
SHRI P. S. RAMALINGAM : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether compensation has since been paid to the families of the workers who died in the Chasnala Mine accident; and

(b) if so, the number of families who have been paid compensation and the total amount paid thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b). As per available information, the dependants of 93 workers who were getting salaries upto Rs. 500/- p.m. have already been paid the amount of compensation due to them according to the rates of compensation under the Workmen's Compensation Act 1923, before its amendment in 1976. 270 deceased workers who were in receipt of wages between Rs. 500/- to Rs. 1000/- per month were not previously covered by the Act. However, the dependants of these workers were given an ex-gratia payment at the rate of Rs. 10,000/- per worker.

The wage limit for coverage under the Workmen's Compensation Act was raised from Rs. 500/- to Rs. 1000/- per month with retrospective effect from 1-10-1975 by the Workmen's Compensation Amendment Act, 1976. The rates of compensation under the Act were also enhanced from the same date. Consequently, the dependants of the workers in receipt of wages upto Rs. 500/- per month have become entitled to the difference of amount between the old rates and the new rates of compensation. The dependants of the workers drawing wages between Rs. 501/- to Rs. 1,000/- per month have also become eligible for compensation under the Act.

The employer is reported to have already deposited the full amount of difference of compensation payable in respect of those drawing wages upto Rs. 500/- per month and the amount of compensation due minus the amount of ex-gratia payment, in respect of those drawing wages between Rs. 501/- to Rs. 1000/- per month. Further, action for recovery of the amount of ex-gratia payment deducted by the employer/payment of compensation to the dependants is being taken by the concerned Commissioner for Workmen's Compensation.

रेल डाक सेवा के 'हैड सार्टर' को विशेष भत्ते का भुगतान

5260. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा में काम करने वाले मुख्य "हैड सार्टर" को विशेष भत्ता दिया जाता है जबकि एस० आर० सी० को ऐसा भत्ता नहीं दिया जाता है हालांकि उसका काम हैड सार्टर से अधिक है और वह उनसे वरिष्ठ भी होता है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विषमता दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (बृज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं । रेल डाक सेवा के सभी समयमान मुख्य सार्टर और उप सब रिकार्ड क्लर्क विशेष वेतन पाते हैं । जब वे लोवर सेलेक्शन ग्रेड में होते हैं तब भी उन्हें विशेष वेतन मिलता है, बशर्ते कि वे अपने कार्यालय में उसी ग्रेड के अन्य कर्मचारी के काम पर्यवेक्षण करते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेलीफोन कनेक्शन के लिये नीति

5261. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ता से टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये 1200 रुपये की राशि पेशगी के रूप में मांगी जाती है ;

(ख) क्या इस अग्रिम राशि लेने के बावजूद लंबे समय तक और कभी कभी तो एक वर्ष बाद भी, उन्हें टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निश्चित नीति निर्धारित की जायगी ताकि कनेक्शन चाहने वालों को वह शीघ्र ही मिल जाये ?

संचार मंत्री (बृज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं । बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में अग्रिम जमा की रकम और ओ० वाई० टी० आवेदकों के लिये 1000/- रु० और ओ० वाई० टी० आवेदकों के मामले में 5,000/-रु० है । छोटी एक्सचेंज प्रणालियों में अग्रिम जमा की रकम इससे कम है ।

(ख) और (ग) सभी आवेदकों से अग्रिम जमा की रकम अर्जियों के रजिस्ट्रेशन के समय ली जाती है । आवेदकों को टेलीफोन के लिये तब तक इन्तजार करना पड़ता है जब तक कि एक्सचेंज में उनके लिये क्षमता उपलब्ध न हो । कुछ एक्सचेंज इलाकों में क्षमता उपलब्ध कराने में एक वर्ष से अधिक का समय लग सकता है । टेलीफोन की मांग पूरी करने के लिए टेलीफोन एक्शचेंज प्रणालियों में उनकी क्षमता उललब्ध साधनों के अंतर्गत यथासंभव लगातार बढ़ाई जा रही है ।

MISMANAGEMENT OF AYURVEDIC AND UNANI MEDICAL TIBBIA COLLEGE, NEW DELHI

5262. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA, SHRI RAM LAL RAHI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether many complaints have been received by Government in regard to the mismanagement of Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi in which the difficulties found by the students and its disaffiliation from Delhi University have been mentioned;

(b) whether cent per cent grant is given by Central Government for running college;

(c) whether because of its mismanagement and misuse of Government grant and aid a representation has been received from the Students Union of the college for its taking over by Government; and

(d) if so, the facts mentioned in the representation and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes. The students have represented against mismanagement of the Ayurvedic and Unani Tibbia College, New Delhi. There is no proposal regarding its disaffiliation from the Delhi University.

(b) No. But substantial financial assistance is given to the College by the Delhi Administration.

(c) Yes.

(d) The students have represented against the mismanagement of the College and for taking over of the College and its allied institutions by the Central Government. The Delhi Administration had recommended on 29-4-1977 for taking over of the College by the Central Government but on 20-7-1977 they have decided that the Central Government be approached to make necessary amendments in the Tibbia College Act, 1952 for taking over of the College by that Administration.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फारमेसिस्टों को सुविधाएं

5263. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़ार्मेसी परिषद ने दिल्ली के विभिन्न औषधालयों और अस्पतालों में काम करने वाले फ़ारमेसिस्टों को कोई सुविधायें नहीं दी हैं और न ही किसी सामाजिक गतिविधि का लाभ दिया है ;

(ख) क्या ऐसी गतिविधियों के लिए उनसे शुल्क के रूप में 25 रुपये की राशि वसूल की जा रही है ; और

(ग) इस कमरतोड़ शुल्क को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) फ़ार्मासिस्टों के लिए वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। इस शुल्क का मन्तव्य किसी प्रकार की सुविधाएं देना नहीं है।

(ग) दिल्ली प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहा है।

श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर के रोगियों का उपचार

5264. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर अनुसंधान में कैंसर के अनेक रोगियों को ठीक कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कुल कितने रोगी ठीक किये गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) इस संस्थान का यह दावा है कि उसने संस्थान में कैंसर के रोगियों को ठीक किया है। किन्तु भारत सरकार ने इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) इस संस्थान के अनुसार पिछले दो वर्षों में 21 रोगियों को ठीक किया गया है। संस्थान द्वारा भेजा गया एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 859/77]।

ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को काम पर लगाया जाना

5265. **श्री वसन्त साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की लौह अयस्क की खानों में बहुत से श्रमिकों को ठेकेदारों के माध्यम से काम पर लगाया जाता है और ये ठेकेदार भिन्न-भिन्न कदाचारों में लिप्त हो जाते हैं तथा श्रमिकों को घाटे में रख कर समृद्ध बनते हैं,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार काम पर लगाये गये श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की खानों में ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को नियुक्त करने पर रोक लगाने का है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की लौह अयस्क की खानों में विभागीय श्रमिकों की तुलना में ठेकेदारों तथा द्वारा लगाए गए श्रमिकों का प्रतिशत नीचे दिखाया गया है :—

1. भिलाई इस्पात कारखाना	60.98 प्रतिशत
2. राउरकेला इस्पात कारखाना	47.52 प्रतिशत
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	55.86 प्रतिशत
4. बोलानी ओर्स (इंडिया) लि०	45.78 प्रतिशत
5. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	12 प्रतिशत से 17 प्रतिशत

ठेकेदारों के श्रमिकों को काम पर लगाने की शर्तें ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र की खानों के प्रबन्धक यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ठेका श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाय और कानूनी व्यवस्थाओं का पालन किया जाय।

सामान्यत: ठेका श्रमिक अर्द्ध-यंत्रीकृत अथवा अयंत्रीकृत खानों और ऐसी खानों में लगाए जाते हैं जहां कार्य स्थायी अथवा वर्षानुवर्षी आधार पर नहीं होता है। खान के यंत्रीकृत हो जाने पर ठेका श्रमिकों के स्थान पर विभागीय श्रमिक लगा दिए जाते हैं और इस वर्ष के अन्त में भिलाई इस्पात कारखाने की दिल्ली की यंत्रीकृत खानों के चालू हो जाने पर ऐसा ही किया जायेगा जब ड्रिलिंग और लौह अयस्क निकालने के कार्यों में कोई भी ठेका श्रमिक नहीं रहेगा। अन्यथा भी सरकारी क्षेत्र की खानों के प्रबन्धक ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी और वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाले कार्यों के लिए यथासंभव प्रावस्थाभाजित तरीके से ठेका श्रमिकों के स्थान पर विभागीय श्रमिकों को लगाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं।

(ग) अन्य प्रतिष्ठानों की भांति सरकारी क्षेत्र की खानों में ठेका श्रमिकों की नियुक्ति ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम. 1970 के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जा रही है।

खान सुरक्षा महानिदेशक के पद का भरा जाना

5266. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गत तीन वर्षों से खान सुरक्षा महानिदेशक का पद नहीं भरा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ; और

(ग) सरकार का इस पद को कब तक भरने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) खान सुरक्षा महा निदेशक का पद 26-8-74 से खाली पड़ा हुआ था और उपयुक्त उम्मीदवार के अभाव में यह पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सका। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति ने तत्कालीन खान सुरक्षा उप महानिदेशक को महानिदेशक के रूप में पदोन्नति के लिए तब योग्य नहीं पाया। दिनांक 12-10-76 से यह पद अस्थायी रूप से आस्थगन में रख दिया गया है और इसके स्थान पर खान सुरक्षा उप-महा निदेशक का दूसरा पद निर्मित किया गया है। खान सुरक्षा उप महानिदेशक के नव निर्मित पद पर एक उपयुक्त विभागीय अधिकारी नियुक्त किया गया है जो खान सुरक्षा महा निदेशक की अनुपस्थिति में संगठन की अध्यक्षता 19-10-76 से करता रहा है। खान सुरक्षा महा निदेशक के पद का चयन व्यापक आधार पर करने के लिए, इस पद संबंधी भरती नियमों को संशोधित किया जा रहा है। जैसे ही संशोधित भर्ती नियम अधिसूचित होंगे, खान सुरक्षा महा निदेशक का पद फिर चालू किया जायेगा और संशोधित भरती नियमों के अनुसार भरा जायेगा।

REPAIR OF MACHINES OF PATNA CANCER INSTITUTE

5267. SHRI YUVRAJ : Will the Minister for HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether nine useful machines of Patna Cancer Treatment Centre *viz.* Cobalt, Isotope, simulator, deep X-ray, superficial X-ray and other machines are getting rusted for six years;

(b) whether it would have been useful for the Cancer Centre and would have benefited many patients if one less machine and all the parts of the remaining machines would have been purchased; and

(c) if so, the cost of the aforesaid nine machines and the time by which the remaining parts of the machines lying idle would be purchased and repairs done to them and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) to (c). The requisite information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

RADIUM TREATMENT IN CANCER HOSPITAL, PATNA

5268. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether cancer patients are given radium treatment only in the cancer Hospital, Patna, recognised by the Central Government;

(b) whether this treatment is already being given in Radium Institute of Patna Cancer Treatment Centre but all kinds of treatment is not given there; and

(c) when arrangements for all kinds of treatment will be made and if it will not be provided, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) to (c). The requisite information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

INDO-BANGLADESH AGREEMENT ON FARAKKA BARRAGE

†5269. SHRI YUVRAJ
SHRI JAGADAMBI PRASAD YADAV
SHRI CHITTA BASI
} :Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether an agreement has been entered into between India and Bangladesh on Farakka Barrage; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) At the end of the ministerial level talks held on Dacca from 15-18 April, 1977, an understanding was reached on elements of a possible agreement between the two countries on this question;

(b) The details of the agreement are still being worked out in official level negotiations between the two countries. The first round of talks at the level of officials was held in New Delhi from 7-11 May, 1977 and the next round is scheduled to be held in Dacca from 28th July, 1977.

तंजानिया में बोहरा पादरी की समाज विरोधी गतिविधियां

5270. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजानिया से डवूडी बोहरा सम्प्रदाय के विदेश रहने वाले भारतीयों ने उन्हें भारतीय नागरिक बोहरा पादरी की समाज विरोधी गतिविधियों के बारे में पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है तथा तथ्यों का पता लगाया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दारे सलाम स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस मामले में क्या राय व्यक्त की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) हमें दारेस्सलाम, तंजानिया से बोहरा समाज के सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें बड़े पुजारी द्वारा धन एकत्र किये जाने और उसे गैर-सरकारी तरीकों से विदेश हस्तांतरित करने तथा अल्पसंख्यकों को तंग करने के आरोप लगाये गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन पत्रों में लगाये गए आरोपों को प्रमाणित किया गया है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को दंड

5271. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले कितने व्यक्तियों को अब तक 'आजीवन कारावास' का दण्ड दिया गया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावाट करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार का तथा कितने मामलों में कड़े से कड़ा दण्ड दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वियतनाम को तकनीकी सहायता

5272. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 अप्रैल, 1977 को वियतनाम को तकनीकी सहायता देने के बारे में वियतनाम के विदेश मंत्री, श्री एन्गुएन डी० ट्रिन्ह के साथ वार्ता की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1977 में वियतनाम के विदेश मंत्री, श्री डुयेन दुई त्रिन्ह की यात्रा के दौरान हमारे विदेश मंत्री ने उनके साथ द्विपक्षीय हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत की थी और इसमें ऐसे क्षेत्रों के विषय में विचार-विमर्श शामिल है जिनमें कि तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान से दोनों को फ़ायदा पहुँच सकता हो। इस संबंध में दोनों देशों के बीच ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

बिहार के डाक-तार कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर

5273. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में डाकतार कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों की संख्या इन कर्मचारियों की आवश्यकता से बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) बिहार में डाक-तार कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों की जो सुविधा उपलब्ध है वह देश में अन्य जगहों पर उपलब्ध ऐसी सुविधा के अनुरूप ही है। तारीख 31-3-77 को बिहार में 2,444 रिहायशी क्वार्टर थे जबकि वहां विभागीय कर्मचारियों की कुल संख्या 25,088 थी।

क्वार्टरों के निर्माण के लिये अलाट किये गये संपूर्ण साधनों के अन्तर्गत बिहार में भी अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिये कार्रवाई की जा रही है। 66 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है और 266 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिये हाल ही में मंजूरी दी गई है।

खनन उपकर निधि

5274. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्रों का विकास करने के लिए नियमित रूप से एक खनन उपकर निधि बना रखी है ;

(ख) यदि हां, तो क्योंजागढ़, उड़ीसा में जोड़ा लौह अयस्क खानों में खनन श्रमिकों के लिये 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) खनन क्षेत्रों के विकास के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा कोई उपकर एकत्र नहीं किया जाता। तथापि, लोहा अयस्क खानों में नियोजित श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों और नियोजकों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना की गई है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था इस्पात सयंत्रों द्वारा उपभोग किए गए या देश से बाहर भेजे गए सारे लोहा अयस्क पर 25 पैसे प्रति टन की दर से उपकर लगाकर की जाती है।

(ख) अस्पताल का निर्माण कार्य पहले ही काफ़ी हो चुका है।

(ग) अस्पताल कम्पलैक्स की स्थापना के लिए लगभग 51.85 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। चूंकि इस अस्पताल का निर्माण कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, इस लिए यह सुचारू रूप से किया जा रहा है और इसमें संतोष-जनक प्रगति हो रही है।

REHABILITATION OF REFUGEES FROM BANGLADESH AND PAKISTAN

†5275. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of refugees who came to India from Bangladesh and Pakistan as a result of Indo-Pak war in 1971;

(b) the number of refugees out of them who went back to their respective countries;

(c) the policy of Government in regard to the rest of the refugees;

(d) whether they would be given Indian citizenship and rehabilitated here or would be sent back; and

(e) the reasons given by these refugees for their unwillingness to return to their respective countries ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Government is not aware of any persons falling in the category of "refugee" having come to India from Bangladesh after the December 1971 conflict. The number of refugees who entered India from Pakistan was 74,753.

(b) On the basis of reports received from State Governments, 53,117 refugees from Pakistan are still staying in India. It is estimated that around 21,000 refugees have gone back to Pakistan.

(c) to (e) These refugees are citizens of Pakistan. The Government of India will create the necessary conditions to enable these persons to return to their homes in Pakistan in safety and honour. The names of some 5,000 persons who expressed their willingness to return to Pakistan have been forwarded to the Government of Pakistan in the past but there has been no positive response from that side so far.

भारत-पाकिस्तान बैठक

5276. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच मैत्री को सुदृढ़ बनाने के विचार से पाकिस्तानी नेताओं से मिलने का प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) दोनों देशों के नेताओं के बीच ऐसी किसी बैठक का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, दोनों सरकारें इस कोशिश में विभिन्न विषयों पर एक दूसरे से संपर्क बनाए रखती हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो जाएं।

बंगला देश सरकार द्वारा शत्रु-सम्पत्ति घोषित की गई शरणार्थी-सम्पत्ति

5277. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार द्वारा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से बाहर गये लोगों की सम्पत्ति को शत्रु-सम्पत्ति घोषित कर दी गई है;

7—765LSS/77

(ख) क्या बंगला देश में रहे अल्पसंख्यकों के ऐसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति भी शत्रु-सम्पत्ति घोषित की गई है जिसका कोई भी सदस्य भारत चला गया पाया गया था ;

(ग) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से बाहर गए लोगों की सम्पत्ति सरकार द्वारा या कुछ अल्पसंख्यक विरोधी जनता द्वारा जबरन जब्त की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे कार्य 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते और बंगला देश की मुक्ति के बाद उसके साथ 1971 में हुए समझौते के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और हमारी सरकार द्वारा ऐसे लोगों की सम्पत्ति के बारे में बंगला देश द्वारा किये जा रहे कार्य के विरुद्ध क्या राजनयिक कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने जिन सम्पत्तियों का अधिग्रहण शत्रु-सम्पत्ति के रूप में कर लिया था वे सम्पत्तियाँ बंगलादेश की सरकार के 1974 के एक अध्यादेश द्वारा बंगलादेश की सरकार के अधीन कर दी गई।

(ग) सरकार को इस संबंध में अपुष्ट समाचार और शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) और (ङ) इस विषय को सरकारी स्तर पर बंगलादेश के साथ हुई बातचीत में सामान्य रूप से उठाया गया। लेकिन अभी तक इस प्रकार की सम्पत्तियों के प्रश्न पर दोनों देशों की सरकारों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के भवन का निर्माण

5278. **श्री मनोहर लाल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण हेतु फ़ायर ब्रिगेड लेन, बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली पर एक प्लाट के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय को वर्ष 1968-69 में 7 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय कार्यालय ने प्लाट पर बनी इमारत को गिराने पर 27,000 रुपये व्यय किये तथा भूमि के किराये के रूप में 16,000 रुपये वसूल किये गये परन्तु संगठन को प्लाट नहीं दिया गया और धनराशि बिना ब्याज दी गई ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर इतनी भारी राशि की हानि वहन करने के लिए क्यों और किस प्रकार दबाव डाला गया तथा संगठन को प्लाट दिलाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इसमें कितना समय लगेगा?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अगस्त, 1970 में निर्माण और आवास मंत्रालय को बाराखम्बा, लेन, नई दिल्ली में भूमि के प्लाट के लिये प्रीमियम के रूप में 6,37,002.00 रुपये की धन-राशि दी गई थी।

(ख) भूमि के लिये दी गई प्रीमियम की राशि के अतिरिक्त, भूमि पर बने 2 पुराने बंगलों की लागत के रूप में 27,379 रुपये की धनराशि दी गई थी। 27,379 रुपये की धन-राशि में से, बंगलों की सामग्री बेचने से 10,055 रुपये की धन-राशि प्राप्त की गई। 5-8-1970 से 4-8-1972 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए भूमि के किराए के रूप में 15,925.05 प्रति वर्ष की दर से 31,850.10 रुपये की धन-राशि का भी भुगतान किया गया।

12-2-1971 को भूमि का प्लाट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंप दिया गया। मार्च, 1973 में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आवंटन को रद्द कर दिया गया और उन्होंने भूमि का कब्जा 30-6-1973 को वापिस ले लिया।

प्रीमियम की धन-राशि बिना ब्याज के वापिस की गई।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उस अवधि का 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा अन्य खर्चों का दावा किया जब तक धन सरकार के पास रहा, परन्तु निर्माण और आवास मंत्रालय ने दावा अस्वीकार कर दिया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना से सम्बद्ध परिवार कल्याण (सामाजिक) कर्मचारी की छंटनी

5279. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना से सम्बद्ध परिवार कल्याण (सामाजिक) कर्मचारियों की छटनी के लिए परिपत्र जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों की छटनी की गई है ; और

(ग) उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात कर्मचारियों की समस्याओं सम्बन्धी समिति

5280. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात कर्मचारियों की समस्या के लिए पुनर्विचार समिति के द्वारा क्या परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) तथा (ख) इस्पात कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान मात्र के लिये किसी पुनरीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया है फ़िर भी इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा इसके

कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार को अपनी सिफ़ारिशें/सुझाव देने के लिए निम्न-लिखित कार्यों के लिए 6 कार्यकारी दल बनाए गये हैं। इन कार्यकारी दलों में इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों और मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं:—

1. उत्पादन और उत्पादिता।

2. सभी स्तरों पर कामगारों की भागेदारी।

3. कल्याण कार्य तथा सामाजिक उद्देश्य।

4. विपणन, मूल्य-निर्धारण तथा वित्त।

5. प्रत्येक कारखाने के लिए एक यूनियन बनाना और राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग के लिए एक यूनियन बनाना।

6. बाहर से प्राप्त किये गये धन के आधार पर इस्पात कारखानों का विस्तार और नये इस्पात कारखानों की स्थापना।

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES EMPLOYEES IN COMMUNICATION DEPARTMENT

5281. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in different categories of posts in the Department; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to fill in the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) :

(a) CATEGORY	SCHEDULED CASTES	SCHEDULED TRIBES
GROUP A	45	12
GROUP B	327	18
GROUP C	46,487	11,835
GROUP D	18,264	4,182

(b) Every effort is made to fill up the reserved vacancies. Whenever recruitment is made in any grade, the vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are communicated to the U.P.S.C./Employment Exchanges including the Central Employment Exchange or are advertised, as the case may be. The vacancies are also intimated to the recognised associations and organisations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for sponsoring suitable candidates according to the prescribed procedure.

Rosters for reservation of vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are regularly maintained.

अमरीका के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग

5282. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूत-पूर्व सरकार की प्रेरणा पर हमारे टेलीफ़ोन उद्योग ने अमरीकी बहु-राष्ट्रीय कारपोरेशन आई० टी०टी० से जिसने चिली की एलेन्डे सरकार को उखाड़ फेंकने का षड़यंत्र रचा था, तकनीकी और वित्तीय सहयोग करार किये थे ;

(ख) क्या आई० टी० टी० के साथ किये गये वित्तीय सहयोग करार अभी तक समाप्त नहीं किये गये ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार उक्त करार तत्काल समाप्त करने पर विचार करेगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (घ) भारत सरकार और इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) ने इण्टरनेशनल टेलीफ़ोन और टेलीग्राफ़ कार्पोरेशन (आई० टी० टी०) ग्रुप के साथ 21 मई, 1964 को दो करारों पर हस्ताक्षर किए थे।

पहला करार न्यूयार्क की इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन (जो कि आई० टी० टी० ग्रुप की एक सहायक कम्पनी है) के साथ, भारत में पेंटाकोंटा किस्म के क्रासबार स्विचिंग उपस्कर बनाने का लाइसेंस देने और आई० टी० आई० को 10 लाख अमरीकी डालरों का ऋण देने तथा पेंटाकोंटा क्रासबार उपस्कर निर्माण प्रायोजना के वित्त पोषण के लिए, आई० टी० आई० की साम्य पूंजी में 1.25 लाख अमरीकी डालरों के निवेश के लिए था।

दूसरा करार एण्टवर्प बेल्जियम की बेल टेलीफ़ोन मैन्युफ़ैक्चरिंग कम्पनी (जो कि आई० टी० टी० ग्रुप के इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी है) के साथ भारत में पेंटाकोंटा क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर के निर्माण के लिए 'तकनीकी जानकारी' और उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए था।

आरम्भ में, दोनों करार 21-5-1964 से 7 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य थे। आई० टी० आई० द्वारा करार में परिकल्पित निर्माण क्षमता प्राप्त करने और डाक-तार विभाग द्वारा पेंटाकोंटा क्रासबार एक्सचेंजों के संचालन में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए, करारों की अवधि, 20 मई, 1971 के बाद एक-एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई गई थी। आई० टी० आई० ने करार की बढ़ी अवधि के दौरान इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन को कोई स्वामित्व नहीं दिया।

इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन से मिला 10 लाख अमरीकी डालर का ऋण, इस वर्ष से शुरू होने वाली तीन किस्तों में अदा किया जाना है। आई० टी० आई० ने पहली किस्त 23 मई, 1977 को अदा कर दी है।

आई० टी० आई० में इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के साम्य पूंजी हिस्सों को खरीदने का प्रश्न, सरकार के विचाराधीन है।

कलकत्ता से मच्छर उन्मूलन के लिये कार्यवाही

5283. डॉ० सरदीश राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता की लगभग सभी बस्तियों में मच्छरों ने धावा बोल रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां, कलकत्ता में मच्छरों का उत्पात बढ़ रहा है।

(ख) उष्णकटिबंधी जलवायु में मच्छरों को खत्म करना कठिन हो सकता है किन्तु लार्वा-रोधी कार्यों के जरिये मच्छरों के उत्पात पर नियंत्रण पाने के उपायों को तेज कर दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (नगरीय) के अन्तर्गत कलकत्ता नगर निगम को मच्छर लार्वा नाशक तेल तथा अन्य लार्वा-नाशक रसायन सप्लाई किए गए हैं।

VOCATIONAL TRAINING INSTITUTES FOR WOMEN IN RURAL AREAS

5284. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up units of Vocational Training Institute for women in rural areas;

(b) if so, their number and the proposed locations; and

(c) the expenditure involved thereon and the number of persons to be trained ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (c) : The rural component of the Vocational Training Programme for Women has not yet been finalised. A detailed Feasibility Study in collaboration with Swedish international Development Authority and International Labour Organisation, is proposed to be taken up during 1977-78 to assess the training needs of women in rural areas and to formulate a separate project parallel to the urban programme.

कर्नाटक राज्य विद्युत प्राधिकरण को एल्यूमिनियम का आवंटन

5285. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य विद्युत प्राधिकरण को सीधे एल्यूमिनियम का आवंटन करने का है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : जी नहीं। उन केबुल और कन्डक्टर्स निर्माताओं को एल्यूमिनियम सप्लाई के बारे में कोई समस्या नहीं है जिन्हें राज्य बिजली बोर्डों से पक्के आर्डर प्राप्त हैं।

संजय गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा

5286. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री संजय गांधी ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में तथा बिहार के सिंहभूम जिले में स्थानों का किन-किन तिथियों को दौरा किया,

(ख) क्या उक्त अवसरों पर एन० एम० डी० सी० ने वाहनों, आदि की सुविधाओं की व्यवस्था की थी और उन जिलों में स्थित परियोजनाओं में आंशिक छुट्टी घोषित की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) श्री संजय गांधी ने बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री के साथ 18 दिसम्बर, 1976 को सिंहभूम जिले के हाटगुमरिया का तथा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री और तत्कालीन केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ 22/23 जनवरी, 1977 को बस्तर जिले में जगदलपुर/दांतेवाड़ा का दौरा किया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों की मांग पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की थीं :—

हाटगुमरिया में	दांतेवाड़ा/जगदलपुर में
24 गाड़ियां	2 आग बुझाने वाली गाड़ियां।
1 अस्पताल गाड़ी	1 डोजर।
4 बसें	4 पानी के टेंकर।
3 ट्रक	3 ट्रक
	1 अस्पताल जीप।
	उद्घोषक (माईक), शामियाने, सोफ़ा सेट आदि।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने उपर्युक्त सुविधाओं के लिए 20,169 रुपये और 17,998 रुपये के बिल क्रमशः मध्य प्रदेश और बिहार को राज्य सरकारों के प्राधिकारियों को भेज दिए हैं।

छुट्टी की घोषणा नहीं की गई थी लेकिन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के उन कर्मचारियों को जो 23-1-1977 को 1430 बजे होने वाली सभा में सम्मिलित होने के इच्छुक थे, कार्यालय से जाने की अनुमति दे दी गई थी।

PAYMENT OF WAGES TO WORKERS BY C.M.I. LTD.

5287. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether 8,000 workers of big mica company, owned by M/s. Christian Mica Industries Ltd., Domchanch (Bihar) have not been paid their wages for the last 1½ years;

(b) whether the workers' contribution deducted from their wages and the company's share have not been deposited in the Provident Fund since 1967;

(c) whether all the Directors of the Company belong to one family and due to disputes among them and indifference of Central Labour Department, the workers are not paid their wages and they have been rendered jobless;

(d) whether hundreds of mines, spread over an area of 80 square miles, owned by the Company are being damaged and the number of workers is dwindling; and

(e) whether Government propose to take over the management of the Company and if not, the steps proposed to be taken by Government to protect the employment of thousands of workers and save this national wealth ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) It has been reported that about 3,000 workers belonging to Mica mines and Mica factories owned by M/s. Christian Mica Industries Ltd. and Eastern Manganese and Minerals Ltd. (Sister concern) have not paid wages to workers for periods ranging from 6 months to 1½ years.

(b) A sum of Rs. 18.76 lakhs towards Provident Fund contribution is reported to be due from the six sister concerns of the C.M.I. Ltd.

(c) to (e) : It has been reported that the production and sale proceeds from the mica-mines and factories are not adequate to meet all the obligations of the Company including the wages for the employees. It is proposed to discuss all the relevant problems at a meeting of all the interests concerned on 30th July, 1977 at New Delhi.

डाक्टरों को औषध लाइसेंस जारी करना

5288. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 से पूर्व अर्हता प्राप्त प्राइवेट डाक्टरों को औषध अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया का अभी भी पालन किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

P. F. OUTSTANDING AGAINST EMPLOYERS

5289. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the amount of provident fund outstanding against the employers and break-up thereof for the years 1974-1975 and 1976;

(b) the names of employers and firms against whom arrears amounting to more than Rs. 10 lakh are outstanding on this account; and

(c) the steps taken to realise these arrears ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b). Two statements are laid on the Table of the Sabha (Annexures A & B).

(c) (i) Action has been taken by the Provident Fund Authorities against the defaulting employers under section 8 (recovery of dues as arrears of land revenue), and section 14, 14A. 14AA (prosecutions) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. Additionally prosecutions under sections 406/409 of the Indian Penal Code (breach of trust and criminal misappropriation) are instituted by them where the employers deduct employees' share of the provident fund from the employees' wages but do not remit the same to the Provident Fund. The Courts are approached under section 110 of the Criminal Procedure Code for binding the defaulting employers for good behaviour.

(ii) 77,412 prosecution cases have been launched from the date the Act came into force upto the 31st March, 1977 against the employers of covered establishments. During the same period, 846 complaints have been filed under section 406/409 of the Indian Penal Code against defaulters.

STATEMENT-I

Provident Fund arrears (in lakhs of rupees) outstanding against employers of unexempted factories/establishments.

As on	Employer's Share	Employees' share	Total (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
31-3-1974	1155·53	750·43	1905·96
31-3-1975	1143·95	789·95	1933·90
31-3-1976 . . .	1210·18	853·36	2063·54

STATEMENT-II

Names of defaulting unexempted establishments in arrears of Rs. ten lakhs and above as on 31-3-1977.

S. No.	Name of the establishments	Amount of arrears (in lakhs of rupees)
(1)	(2)	(3)
	ANDHRA PRADESH	
1.	The Azam Jahi Mills, Ltd., Warangal	17·88
	BIHAR	
2.	M/s. Reliance Fire Bricks & Factory Co. .	13·22
3.	M/s. R. B. Hurdutroy Motilal Jute Mills .	32·98
	MADHYA PRADESH	
4.	Hira Mills, Ujjain	21·89
5.	Indore Malwa United Mills . .	73·25
6.	Kalyanmal Mills, Indore . .	17·51
7.	New Bhopal Textile Mills, Bhopal .	14·23
8.	Swadeshi Cotton & Flour Mills, Indore	12·10
	MAHARASHTRA	
9.	The Appolo Mills	32·24
10.	M/s. Bradburi Mills Ltd.	39·62
11.	M/s. Digvijay Spg. & Wvg. Co. Ltd., Bombay . . .	11·70
12.	M/s. Bharat Textile Bombay	14·94
13.	M/s. India United Groups of Mills Bombay . .	177·20
14.	M/s. Jaya Shankar Mills Barsi Ltd., Sholapur . . .	10·09
15.	M/s. New Pratap Spg. & Wvg. Mills Co. Bhulia . .	10·46
16.	M/s. Kaiser-I-Hind Spg. & Wvg. Mills Bombay . .	16·15
17.	M/s. Osmanshahi Mills Ltd., Nanded	20·87
18.	M/s. Sholapur Spg. & Wvg. Mills, Sholapur	30·84
19.	M/s. Saksaria Cotton Mills Ltd., Bombay	12·29

1	2	3
	TAMIL NADU	
20.	Keleeswarar Mills Ltd	10·39
21.	The Somasundaram Mills Ltd.	19·11
22.	Shri Bharathi Mills Ltd.	13·87
	UTTAR PRADESH	
23.	M/s. Atherton West Co. Ltd. Kanpur	33·50
24.	M/s. Bijli Cotton Mills Ltd.	11·15
25.	M/s. Jaswant Sugar Mills, Meerut	11·68
26.	M/s. Laxmi Rattan Cotton Mills Ltd., Kanpur	22·98
27.	M/s New Victoria Mills Ltd., Kanpur	35·96
	WEST BENGAL	
28.	M/s. Bengal Fine Spg. & Wvg. Mills Ltd. (Factory No. 1)	10·42
29.	M/s. Bengal Laxmi Cotton Mills	20·89
30.	M/s Bird & Co	14·31
31.	M/s. Canton Carpentry Works	11·06
32.	M/s. Luxmi Narayan Cotton Mills & H. Office	10·77
33.	M/s. National Iron & Steel Co.	29·02
34.	M/s. Rampooria Cotton Mills	19·60
35.	M/s. Sree Mahalaxmi Cotton Mills	11·12
36.	M/s. Shalimar Works Ltd	22·97
	Total	888·26

NON-PAYMENT OF WAGES TO BIDI WORKERS IN NALANDA DISTRICT, BIHAR

5290. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of workers engaged in the production of bidi in the country as a whole as also the number thereof in Bihar and Nalanda District;

(b) whether the factory owners in Nalanda District are giving to bidi workers very few hours' work and are also not paying their wages in time as a result of which the workers are facing starvation; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (c) : No reliable data on the total number of persons employed or engaged in the Bidi industry in the country are available. However, it is estimated to be about 30 lakhs in the country as a whole. The information on other parts of the Question is being obtained from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House.

BHILAI STEEL PLANT EXPANSION

5291. SHRI BHAGIRATH BHANWAR
SHRI RAGHAVJI
: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the period originally fixed for the completion of Bhilai Plant expansion project and the revised time schedule therefor; and

(b) whether the completion of the project is being delayed and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) and (b) : The original schedule for completion of Bhilai expansion to 4 M.T. stage was December, 1976. A critical review made in May, 1974 of the various activities of design, construction etc. had indicated that the commissioning was likely by 1979. Subsequently, in February,

1975, having regard to all relevant factors such as resource availability, projected deliveries of equipment and other inputs from various sources and collection of design data from suppliers etc., the schedule was revised to December, 1981.

ALUMINIUM PLANT IN SARGUJA

5292. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Russian experts have submitted a report in regard to setting up of an export-oriented aluminium plant in Sarguja District of Madhya Pradesh;

(b) if so, the details of the project; and

(c) the preliminary action taken on this report and the time by which a decision regarding setting up of this plant is likely to be taken ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) to (c) : The Soviet experts in their report for setting up an export-oriented alumina plant based on the Mainpat deposits had concluded that exploitation of these deposits will not be economical for export of alumina. Our experts agree with this view in the light of transport problems and the international market. It is, therefore, not possible to proceed further with the export-oriented alumina project at Sarguja.

MALANJKHAND COPPER PROJECT

5293. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Russian Experts had submitted a detailed project report for setting up a copper plant at Malanjkhand in Madhya Pradesh some time in May-June, 1975;

(b) if so, the salient features of the report;

(c) whether Government have taken any decision for allocating money for the purpose; and

(d) if so, the amount earmarked therefor during 1977-78 ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Soviet experts had submitted the Detailed Project Report for Malanjkhand Copper Project in Madhya Pradesh in two instalments in January, 1975 and in January, 1976.

(b) The salient features of the report are given in the Statement attached.

(c) Yes, Sir.

(d) A provision of Rs. 5.40 crores has been made during 1977-78 for the project. Besides, a sum of Rs. 20 lakhs has been provided during the year 1977-78 for giving a loan to the State Government of Madhya Pradesh for the Banjar River Scheme which will supply water to the Malanjkhand Copper Project.

STATEMENT

Salient features of the Detailed Project Report on the Malanjkhand Copper Project, prepared by the Soviet Consultants are given below :—

(1) This Project is likely to cost Rs. 91.90 crores.

(2) This will be the first large-sized open pit mine in hard rock in the country. Mining will be fully mechanised, and will employ heavy earth-moving equipment.

(3) The development of the mine envisages a preparatory period of 16 months, after which the actual mine construction work will commence.

(4) The ore production of 1 million tonnes per annum (15,200 tonnes equivalent metal) will be achieved during the fourth year from the start of construction. It will be increased to 2 million tonnes (23,000 tonnes equivalent metal) in the sixth year from start of construction of the mine.

(5) Apart from the mine, there will be a concentrator plant to treat annually 2 million tonnes of ore. The construction of the concentrator will be for treating 1 million tonnes of ore per annum in the first phase, to be increased later to 2 million tonnes.

(6) The concentrates will be transported from Malanjkhand to the Khetri Smelter.

(7) The Project is expected to provide employment to 1862 persons at full operation stage.

CONSTRUCTION OF TELEPHONE EXCHANGES IN JUNAGARH, RAJKOT AND JAMNAGAR DISTRICTS OF GUJARAT

†5294. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of the cities, towns and villages, together with their names in Junagarh, Rajkot and Jamnagar districts of Gujarat in which construction of telephone exchanges is in progress at present and the time by which the work would be completed as also the number of connections to be provided under each telephone exchange;

(b) the number of places, together with their names, at which new telephone exchanges would be set up in 1977-78 and when work thereon would be undertaken and completed; and

(c) the names of the places in these three districts where new telephone exchanges would be set up in the remaining two years of the Fifth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) At present no telephone exchange is under construction in these districts.

(b) & (c) : Feasibility studies are being undertaken for opening of telephone exchanges at 27 stations as per list annexed. If found financially viable, exchanges are proposed to be opened at these stations progressively during the current and the next financial year.

STATEMENT

LIST OF STATIONS

District	Sl. No.	Station
JUNAGADH	1.	BAGAVADAR
	2.	BEDAN
	3.	BHESAN.
	4.	DALASA.
	5.	FATANA.
	6.	GHANDWAD
	7.	KHIRSARA
	8.	RANPUR.
	9.	RANAKANDORNA
	10.	SASANGIR
	11.	SUDARPADA
	12.	TIMBI
RAJKOT .	13.	BHUPGADH
	14.	DAHISARA
	15.	HALINDRA
	16.	JIYANA
	17.	KHARCHIA
	18.	LATH
	19.	MAKANSAR
	20.	MADHOPUR
	21.	MOVIYA
	22.	RIBDA
	23.	SANOSARA
	24.	SHIVRAJGARH
JAMNAGAR	25.	BALACHADI
	26.	BET
	27.	JAMVALI

SETTING UP MEDICAL COLLEGE/HOSPITAL AT PURNEA, BIHAR

5295. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether North Bihar is backward in all fields and particularly the condition of Kosi region is pitiable; and

(b) whether Government propose to take any steps for setting up a Medical College and hospital at Purnea district headquarter ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) and (b) : There are already nine medical colleges in the State of Bihar. According to the information for 1975-76, available with Medical Council of India, the number of students admitted in these colleges in 1,000.

There is at present no scheme in the Central Sector for opening of any new medical college during the Fifth Five Year Plan as according to Planning Commission, the out-turn from existing medical colleges is considered adequate to meet the requirement of doctors.

TALKS BETWEEN INDIA AND IRAN ON RAIL PROJECT FROM EUROPE TO INDIA

†5296. SHRI UGRASEN
SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Financial Times published from London that the Shah of Iran has expressed deep interest for talks between Iran and India on the rail project from Europe to Calcutta so that relations between the two countries could further be strengthened; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) Yes, Sir.

(b) During his recent stopover at Tehran enroute to London, the Prime Minister of India had wide ranging discussions with the Shahanshah of Iran which included expansion in the field of railway cooperation between the two countries with a view to ultimately develop an overland route linking the Indian subcontinent with Iran. The various aspects of the issue are under consideration of the two governments.

"प्रोविडेन्ट फंड आर्गेनाइजेशन काइन्ड टू कांग्रेस फ्रैण्ड्स" शीर्षक समाचार

5297. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 8 जून, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में "प्रोवीडेन्ट फ़न्ड आर्गेनाइजेशन काइन्ड टू कांग्रेस फैण्ड्स" (भविष्य निधि, संगठन का कांग्रेस मित्रों के प्रति उदार होना) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

इस्पात पिण्डों का उत्पादन

5298. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 से 1976-77 में, वर्षवार, इस्पात पिण्डों तथा विक्रय योग्य इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ,

(ख) 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के अन्त में कितना तथा कितने मूल्य का माल बिना बिका पड़ा था,

(ग) 1975-76 और 1976-77 के दौरान प्रत्येक किस्म के कितने तथा कितने मूल्य के इस्पात का निर्यात किया गया,

(घ) 1975-76 और 1976-77 में निर्यात किये गये इस्पात की प्रत्येक किस्म की प्रति टन उत्पादन लागत क्या थी,

(ङ) 1975-76 और 1976-77 के दौरान प्रत्येक किस्म के इस्पात का किस मूल्य पर (प्रति टन) निर्यात किया गया, और

(च) 1975-76 और 1976-77 के दौरान इस्पात के निर्यात में सरकार को यदि कोई हानि हुई है तो कुल कितनी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वर्ष 1974-75 से 1976-77 के दौरान छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड तथा विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन निचे दिया गया है :—

(हजार टन)

वर्ष	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
1974-75	6,264	4,900
1975-76	7,251	5,778
1976-77	8,427	6,922

(ख) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के अन्त में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में बिना बिके हुए इस्पात की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (हजार टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1974-75	543.0	7,287.75
1975-76	1243.8	18,579.33
1976-77	1417.6	22,053.39

(ग) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान निर्यात किए गए प्रत्येक किस्म के इस्पात की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

इस्पात की किस्म	1975-76		1976-77	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
पिण्ड/सिल्लियां	9,978	1.34	—	—
बिलेट	1,75,336	25.50	4,50,233	62.53
छड़ें तथा गोल छड़ें	2,49,915	42.84	7,28,462	134.34
संरचनात्मक	45,408	9.61	83,493	16.73
रेल की पटरी	16,198	4.81	1,15,497	39.48
गर्म बेलित प्लेटें/चादरें/ स्ट्रिप	—	—	13,491	2.69
गर्म बेलित क्वायल	—	—	2,986	0.55
ठंडे बेलित क्वायल	—	—	47	0.01
जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें	8,271	2.42	1,265	0.39
तार	1,035	0.39	9,841	2.93
गर्म बेलित सिलिकन चादरें	—	—	—	—
पाइप	—	—	328	0.13
टिन प्लेटें	—	—	72	0.04
विशेष इस्पात	—	—	3,537	0.70
कुल :	5,06,141	86.91	14,09,252	260.52

(घ) और (ङ) निर्यात किये गये इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत तथा जिस मूल्य पर निर्यात किया गया के बारे में जानकारी देना वणिज्यिक हित में न होगा।

(च) कुल मिला कर स्थिति यह है कि वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान निर्यात किये गये लोहे तथा इस्पात पर कोई हानि नहीं हुई है।

श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मारुती लिमिटेड पर मुकदमा

5299. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लंघन के लिए मारुति लिमिटेड पर मुकदमे चलाये गये थे ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मारूति लिमिटेड द्वारा फ़ैक्टरी अधिनियम, बोनस का भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजूरी भुगतान अधिनियम आदि का उल्लंघन करने के मामले सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कायवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जहाँ तक कारखाना अधिनियम का सम्बन्ध है, राज्य निरीक्षणालय के कर्मचारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान किसी प्रकार के उल्लंघन की जानकारी नहीं हुई। तथापि, राज्य-सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए मुकदमें चलाए जा रहे हैं :

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए 28 श्रमिकों की सेवा की अभिकथित अवैध समाप्ति ; और

(2) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश अधिनियम, 1946) के उपबन्धों के उल्लंघन में एक सर्विस इंजीनियर की सेवा की अभिकथित अवैध समाप्ति।

राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र द्वारा मई, 1977 के माह के लिए मजदूरी के देर से किए गए भुगतान के बारे में 440 श्रमिकों की ओर से 1,08,659.05 रुपये के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के समक्ष दावा आवेदन दायर कर दिया गया था किन्तु यह सूचित किया गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कथित इस निदेश का, कि मई और जून, 1977 के मासों के लिए श्रमिकों को आधी मजदूरी दी जानी चाहिए, प्रबन्धकों द्वारा अनुपालन किए जाने के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के मौखिक अनुरोध पर बाद में यह दावा आवेदन वापस ले लिया गया।

DIRECT DIALLING TELEPHONE FACILITY BETWEEN INDIA AND ENGLAND

5300. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide facility of direct dialling of telephone between India and England; and

(b) if so, the time by which this facility will be provided and the names of the cities of England for which this facility will be available ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) and (b) : Subscriber direct dialling telephone service, which is presently available from Bombay to London between 0000/1200 IST and New Delhi to London between 0100/1200 IST is proposed to be extended to the whole of United Kingdom on a 24-hour basis by the end of September, 1977.

AYURVEDIC HOSPITALS IN THE COUNTRY

5301. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the state-wise number of Ayurvedic hospitals being run by the Central Government and how they compare with allopathic hospitals in regard to medicines, hospitals, doctors, nurses, houses and allocations ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : It is not the responsibility of the Central Government to establish or run hospitals in the States except for providing medical relief to Central Government employees. As such no Ayurvedic hospital is run by the Central Government in any State. The latter part of the question does not arise.

WAITING LIST OF TELEPHONE CONNECTIONS IN DISTRICTS OF KARNATAKA

†5302. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the district-wise number of persons in the waiting lists for telephone connections in Karnataka indicating the dates since when they are in the waiting lists; and

(b) the time by which they are likely to get telephone connections ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) & (b) : As on 1-7-77, 3863 persons were on the registered waiting list in Bangalore Metropolitan City and 514 in rest of the Karnataka State. A district-wise break of these is indicated at Annexure-I.

In Bangalore, the earliest application pending is from December, 1971. In rest of the State only 63 applications are pending from before 31-3-77. It is hoped to provide telephone connections to all existing applicants except some long distance connections by September, 1978.

STATEMENT

Sl. No.	Name of District	Waiting List
1.	Bangalore excepting Metro-politon town .	3
2.	Bangalore Metropoliton town .	3863
3.	Belgaum . . .	57
4.	Bellary	10
5.	Bidar .	1
6.	Bijapur .	10
7.	Chitradurga .	4
8.	Chickmangalore	57
9.	Coorg . .	66
10.	Dharwar	43
11.	Gulbarga	Nil
12.	Hassan	27
13.	Kolar .	11
14.	Mandya .	18
15.	Mysore .	68
16.	North Kanara	9
17.	Raichur .	9
18.	South Kanara	115
19.	Shimoga	6
20.	Tumkur .	Nil
	Total	4377

कुछ विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीय समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापन

5303. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्थित रूसी उत्तर कोरियाई, क्यूबा तथा अन्य कम्युनिस्ट दूतावासों को भारतीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने और समाचार तथा अन्य प्रचार सामग्री सप्लाई करने की मुक्त रूप से अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की स्वतन्त्रता उपरोक्त कम्युनिस्ट देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को प्राप्त है,

8—765LSS/77

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या ह और ऐसे कौन से अवसर थे जब इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों ने इन देशों के समाचार-पत्रों को विज्ञापन, समाचार अथवा प्रचार सामग्री जारी की थी ;

(घ) क्या भारतीय दूतावासों द्वारा सप्लाई की गई यह सामग्री उन देशों के समाचार-पत्रों में बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित की गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इन दूतावासों द्वारा भारत में प्रचार अभियान की एक पक्षीय स्वतन्त्रता देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री : (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। विदेश स्थित भारतीय मिशन को भी यह सुविधा प्राप्त है।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसार विदेश स्थित भारतीय मिशन सरकार की ओर से सशुल्क विज्ञापन देकर प्रचार नहीं करते। लेकिन अखबार कभी कभी कुछ हमारी प्रेस विज्ञप्तियों को निःशुल्क छापते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जापान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा सम्बन्धी विवरण और केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जापान के विदेश मंत्री की 19 से 22 जुलाई, 1977 तक भारत यात्रा सम्बन्धी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय मे रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 843/77]

(2) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 844/77]।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICE

THAKUR BALDEV SINGH (Jammu) : Sir, I want to draw the attention of the Government towards the firing resorted to by Pakistani forces along Jammu border.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

किरिबुरु लौह अयस्क खान में हड़ताल

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानोर) : मैं समझौता प्रयासों के विफल हो जाने के कारण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की किरिबुरु लौह-अयस्क खानों में अनिश्चित हड़ताल के समाचार की ओर इस्पात और खान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : किरिबुरु की खान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की लौह अयस्क की मुख्य यंत्रीकृत खानों में से एक है। यह खान बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित है तथा इसमें लगभग 1,600 कर्मचारी काम करते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 11.7 लाख टन खनिज के डलों तथा 26.6 लाख टन बारीक खनिज के उत्पादन के लिए इस खान में फ़ेर-बदल करने और इसका विस्तार करने के लिए बनाई गई एक योजना का काम हाल में पूरा हुआ है और इसे चालू करने के लिए परीक्षण किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कामगारों को मजदूरी उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की उपस्थिति में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मजदूर संघों और प्रबन्धकों के बीच मजदूरी के बारे में हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार दी जा रही है। इस समझौते के अनुसार निम्नतम श्रेणी के कामगार को न्यूनतम मजदूरी के रूप में मूल वेतन 290.00 रुपये मासिक, नियत मंहगाई भत्ते के रूप में 62.00 रुपये मासिक और परिवर्ती मंहगाई भत्ते के रूप में 55.30 रुपये मासिक--कुल मिलाकर 407.30 रुपये मासिक--दिये जाते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 70% कर्मचारियों को रियायती किराये पर मकान भी दिये जाते हैं और जिन कर्मचारियों को मकान नहीं दिये जाते हैं उन्हे मकान-किराया-भत्ता दिया जाता है। निवास स्थान से कार्य स्थल तक परिवहन सुविधाएं भी दी जाती हैं।

1 जून, 1977 को झारखंड मजदूर संघ, एन० एम० डी० सी० वर्कर्स यूनियन एन० एम० डी० सी० श्रमिक संघ किरिबुरु ने मिलकर नोटिस दिया था जिसमें कहा गया था कि यदि उनके द्वारा रखी गयी 46 मांगें स्वीकार न की गई तो वे 18-7-77 से हड़ताल कर देंगे। प्रबन्धकों ने यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत आरम्भ की और 8 और 9 जुलाई, 1977 को समझौता कार्यवाही में भी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) चाईबासा द्वारा यह मामला उठाया गया। समझौता कार्यवाही विफल रही लेकिन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबन्धकों ने विवाद को हल करने के प्रयत्न में 13-7-77 को मजदूर संघों से फिर बातचीत की।

16-7-77 को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने यूनियन के प्रतिनिधियों को उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली अथवा हैदराबाद आने का निमन्त्रण दिया और मामले को और आगे न बढ़ाने और बातचीत होने तक हड़ताल स्थगित रखने की अपील की। मजदूर संघों ने हड़ताल स्थगित करने से इंकार कर दिया और वे चाहते थे कि उनकी सभी मांगें मान ली जाएं। फ़िर भी, प्रबन्धकों ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी 46 मांगों पर बातचीत की और उनमें से 26 मांगें स्वीकार कर लीं। 16 जुलाई, 1977 की रात को मजदूर संघों ने सूचित किया कि यदि उनकी आठ मांगें विशेष रूप से प्रति कामगार 2,000 रुपये का तदर्थ भुगतान करने की मांग मान ली जाए तो वे हड़ताल स्थगित कर सकते ह।

17-7-77 को मजदूर संघों ने आगे सूचित किया कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग नकद भुगतान की है जिसे मान लिया जाए। उन्होंने सभी कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान के आधार पर नकद भुगतान की राशि घटाकर 1,000 रुपये कर दी जिसका उन्होंने कोई औचित्य नहीं बताया। हड़ताल को टालने के प्रयत्न में प्रबन्धकों ने 17-7-77 को यह पेशकश की कि वे केवल तदर्थ आधार पर प्रत्येक कामगार को 15 दिन की मजदूरी देने को तैयार हैं जिसका समायोजन विभिन्न मांगों के बारे में अन्तिम रूप से समझौता हो जाने पर कामगारों को देय राशि में किया जायेगा।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मजदूर संघों द्वारा यह पेशकश अस्वीकार कर दी गई और उन्होंने 18-7-1977 को 06.00 बजे से किरिबुरु में हड़ताल शुरू कर दी।

सेल के महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) जिनके साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निदेशक (उत्पादन) और क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त, धनबाद भी थे, इस हड़ताल को समाप्त करने के बारे में पुनः बातचीत करने के लिए 21-7-77 को किरिबुरु गए थे। 15 दिन की मजदूरी तदर्थ आधार पर पेशगी के रूप में देने की पेशकश पुनः दोहराई गई और प्रबन्धकों ने चालू वर्ष से उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन बोनस देने पर विचार करना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन मजदूर संघ हड़ताल समाप्त करने पर राजी नहीं हुए। सेल के अध्यक्ष 30 जुलाई, 1977 को हैदराबाद में बातचीत का अगला दौर शुरु कर रहे हैं और किरिबुरु से मजदूर संघों के नेताओं को बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

हड़ताल में 1265 नियमित कर्मचारी और 146 दैनिक आधार पर रखे गए कर्मचारि भाग ले रहे हैं। 207 कामगार अनिवार्य सेवाओं का काम कर रहे हैं। 26 जुलाई, 1977 तक उत्पादन की कुल हानि 60,000 टन हुई है जिसका मूल्य 16 लाख रुपये बैठता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए प्रबन्धक अत्यधिक संयम से काम ले रहे हैं और अब तक स्थिति शान्तिपूर्ण है। लेकिन कामगारों द्वारा खान कार्यालय को जाने वाली सड़कों पर धरना देने, मजदूर संघों के नेताओं द्वारा उत्तेजना पैदा करने वाले भाषण देने तथा विद्यार्थियों को विद्यालयों का बहिष्कार करने के लिए भड़काने और पर्यवेक्षकों को अपना कार्य न करने देने की धमकियां देने आदि के समाचार मिले हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कुछ बुनियादी बातों की ओर से सर्वथा मुंह मोड़ लिया है। वहां अधिकतर कर्मचारी आदिवासी हैं तथा उनके साथ जैसा व्यवहार हुआ है उससे उनमें आंतक फैला हुआ है।

सरकार द्वारा 1975 में यह निर्देश देने पर भी ठेका प्रणाली नहीं चलेगी अब भी वह वहां चल रही है। ठेकेदारों ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों तक को पीटा है। तब आप स्वयं सोच सकते हैं कि बेचारे मजदूरों का क्या हाल हुआ होगा। प्रबन्धकों की ठेकेदारों से साठ-गांठ है । मजदूरों की बोनस आदि की मुख्य मांगें नहीं मानी गई ह।

स्टील अथारिटी, के चेयरमैन को किरिबुरु खानों में स्वयं जाकर मामले को तय करना चाहिए। कर्मचारियों को दिल्ली न बुलाया जाए।

श्री बीजू पटनायक : सरकार हर समय उचित समझौता करने को तैयार है। यदि निगम की खानों के मजदूरों को अधिक सुविधाएं दी जाती है तो अन्य खान मजदूरों को क्यों न दी जाएं इसलिए निगम की खानों के मजदूरों को अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता अतः हम इस बात पर बात न करके अन्य बातो के लिए बात करें। मैंने इस सम्बन्ध में स्टील अथारिटी के चेयरमैन को निदेश दे दिए हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) त्रिपुरा में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी

श्री वयालार रवि (चिरियन्किल) : मैं त्रिपुरा में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी और संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नया मंत्रिमंडल प्रतिस्थापित किए जाने के बारे में चर्चा

उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष सम्मेलन में यह सिफ़ारिश की गई थी कि सरकार की शक्ति या मुख्य मंत्री के बहुमत की जांच सभा में ही हो सकती है। लेकिन इस मामले में मुख्य मंत्री को अपनी शक्ति दिखाने का अवसर ही नहीं दिया गया। जबकि उसने विधान सभा में अपने बहुमत का दावा किया था और वहां की सरकार तोड़ दी गई है।

संविधान के अनुसार जब विधान सभा का सत्र नहीं होता है राष्ट्रपति को भेजी गई राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, और उस समय जब कि राष्ट्रपति को यह संतोष हो जाये कि विधान सभा में बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन संविधान में राज्यपाल को इस तरह सरकार बर्खास्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के सत्र के दौरान औचित्य का तकाजा तो यह है कि गृह मंत्री को त्रिपुरा में सरकार समाप्त करने और वहां नयी सरकार प्रतिष्ठापित किए जाने के बारे में सदन में वक्तव्य देना चाहिए था। इस सदन को यह जानने का पूरा अधिकार है कि अमुक राज्य में क्या हो रहा है और क्या उन्होंने संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की है।

(दो) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के प्रयोग को निरसन के बारे में मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्य

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायामण्ड हार्बर) : समाचार मिला है कि कल ही सत्ताधारी जनता पार्टी की बैठक में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने यह बताया है कि सरकार को मूल्य वृद्धि रोकने के लिए समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध फिर से "आंसुका" और भारतीय रक्षा नियमों जैसे कदमों को फिर से उठाने के बारे में सोचना पड़ेगा। श्री धारिया ने बताया कि कुछ तत्व निरोधात्मक नजरबन्दी अधिनियम और "आंसुका" के उपयोग के बारे में सरकार के उदार रवैये का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करने से तनिक नहीं हिचकिचायेगी।

दूसरी ओर 26-7-77 को सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एल० के० आडवाणी ने राज्य सभा में कहा है कि सरकार आंसुका का निरसन करने के मामले में कटिबद्ध है और गृह मंत्री जी की एक विशेष समिति इस मामले पर विचार कर रही है।

जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार सभी निरोधात्मक नजरबन्दी कानूनों का निरसन करने के लिए बचनबद्ध है। इसके साथ ही हमें यह भी पता है कि चोरबजारियों, जमाखोरों, मट्टेबाजों, आर्थिक अपराधियों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों से कठोरता से निपटा जाये। इसके लिये सरकार को देश और जनता के शत्रुओं से निपटने के लिए उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी

सीमेन्ट की उपलब्धता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : AVAILABILITY OF CEMENT

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : सीमेन्ट न मिलने और डीलरों द्वारा सीमेन्ट की चोरबाजारी किये जाने की अगणित शिकायतें मिली हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने सीमेन्ट उद्योग के अनेक लोगों से बातचीत की है तथा उनसे डीलरों को अनुशासित रखने के लिए कहा है। मैंने डीलरों को खुले रूप में कहा है कि वे सीमेन्ट संभरण की कमी का लाभ उठाकर चोरबाजारी में न पड़ें। मैंने उनसे कहा है कि सीमेन्ट कानूनी मूल्य पर बेचा जाना चाहिए और स्टाक खतम हो जाने पर उन्हें इस आशय का साइन बोर्ड लगाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति का वास्तिवक उत्तर सीमेन्ट का अधिक उत्पादन किया जाना है। किन्तु अधिक उत्पादन कुछ समय में पूरा होने वाला हल नहीं है यद्यपि मैं पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उद्योग अपनी क्षमता और निष्पादन में सुधार कर और अधिक सीमेन्ट का उत्पादन कर सकें बिजली की स्थिति में सुधार होने के साथ सामान्य रूप से कुछ और अधिक उत्पादन बढ़ेगा। जिनमें बिजली की निरन्तर समस्या है ऐसे सीमेन्ट एककों को तत्काल छोटे डीजल पावर संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अनुमति दी जा रही है।

हमें सीमेन्ट निर्यात के अपने कुछ वायदों को अनेक कारणों से पूरा करना होगा तो भी मैं अपने कुछेक निर्यात कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए स्थगित रखने की सम्भावना पर भी विचार कर रहा हूं। इस प्रकार देशीय खपत के लिए कुछ स्टाक उपलब्ध हो सकेगा।

एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता और मैं तत्काल वह सहायता चाहता हूं। देश में करीब 50,000 सीमेंट के स्टाकिस्ट हैं। यद्यपि उनमें से अनेक ईमानदार व्यापारी हैं किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जिनको चोरबाजारी की अपनी आदत भूल पाना कठिन लग रहा है। यह वही अवज्ञाकारी तत्व हैं जो केवल जनता को लूट ही नहीं रहा है बल्कि ईमानदार व्यापारियों के बड़े समाज को भी बदनाम कर रहे हैं। मैंने सीमेंट उद्योग को स्टाकिस्टों के लिए तत्काल निर्देश जारी करने को कहा है कि वे सीमेंट के वितरण में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करें। संक्षेप में मैंने उनसे उनके स्टाकिस्टों द्वारा (1) प्रतिदिन की स्टाक स्थिति प्रदर्शित करने; (2) सीमेंट का मूल्य प्रदर्शित करने; और (3) सीमेंट के वितरण में स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किये जाने के लिए कहा है।

मैंने राज्य सरकारों से इन सुझावों को चुने हुए विधायकों की जानकारी में तत्काल लाने के लिए लिखा है ताकि वे इन समितियों के गठन में स्वयं को तत्काल शामिल कर सकें। मैंने उनसे इस प्रकार की समितियों के गठन में सहायता करने के लिए जिलाधीशों को निर्देश देने के लिए भी कहा है।

मूल्यों को रोकना और कमी का लाभ उठाकर जनता को लूटने की कोशिश करने वालों को नियंत्रित करने का काम किसी एक पार्टी का काम नहीं है। मैं सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रयत्न में सरकार की सहायता करें।

नियम 377 के अधीन मामला—जारी

MATTER UNDER RULE 377—*Contd.*

(तीन) उत्तर बिहार में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति

SHRI MUKUNDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : It is very surprising that when there are floods in South Bihar drought conditions prevail in North Bihar and when there are floods in North Bihar drought conditions prevail in South Bihar. At present while South Bihar is having rains, Darbhanga and Madhubani areas of North Bihar which are adjacent to Nepal border are faced with famine conditions. I have been receiving letters and telegrams that due to failure of rains the rice crop have been destroyed there. Not a single tubewell is working in this area. The farmers and agricultural labourers are leaving the villages and they have no work. Neither Government food godowns have any stocks nor the people have got the purchasing power. As a result, starvation conditions have been created. Since the Bihar Government is unable to deal with the situation it is necessary that a central team is sent there to make an on the spot study.

It has been our experience that there have been a famine in our country after every five years. Thus we had famine in 1947, 1952, 1957, 1962, 1967, 1972 and now 1977 is definitely an year of famine, which has started from Madhubani and Darbhanga in Bihar. In order to meet the situation, Government should take action immediately. If it is delayed thousands of people are going to die.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से जो 27 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमन् आपको यह स्मरण होगा कि हम दिल्ली म मकानों को समस्या और सुन्दरबन को चर्चा के बारे में भी सहमत हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा था कि इस पर हम अगली बैठक में विचार करेंगे। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 27 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं आपका ध्यान नियम 343 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका पत्र मैं पढ़ चुका हूं। आप 'लोकपाल विधेयक' का जिक्र कर रहे हैं।

श्री पी० के० देव : नियम 66 और 67 में भी कहा गया है कि समान विधेयक को तभी पेश किया जा सकता है जबकि पहला विधेयक पास कर दिया जाए।

मुझे प्रसन्नता है कि गृह मंत्री लोकपाल विधेयक पुरःस्थापित करने वाले हैं। पर यदि मेरे विधेयक पर चर्चा हो जाती तो आसमान नहीं टट पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों विधेयकों को देखा है, दोनों एक जैसे नहीं हैं।

लोकपाल विधेयक

LOKPAL BILL

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसेवकों के विरुद्ध अवचार के अवकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे (सांगली) : मैं कुछ कहना चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : आप संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे : मेरा कहना है कि लोकपाल विधेयक, 1977 नियम 72 के अन्तर्गत पुरःस्थापित किया गया है। विधेयक के खण्डों संबंधी टिप्पणी में कहा गया है कि लोकपाल की नियुक्ति लोक पाल और लोकायुक्त विधेयक के खण्ड 3 के उप खण्ड (i) के अनुसार ही की जाएगी परन्तु विपक्ष के नेता से परामर्श करने के बजाए राज्य सभा के सभापति और लोक सभा अध्यक्ष से परामर्श किया जाएगा।

26 जुलाई, 1977 को जब विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में स्थान न देने का प्रश्न उठाया था तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर और सरकार के प्रधान होने के नाते उन्होंने कई बार कहा गया कि वह विपक्ष को पूरा महत्व देते हैं। परन्तु सरकार अब विपक्ष के नेता से परामर्श का उपबन्ध हटा कर उस आश्वासन से पीछे हट रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। प्रश्न यह है :
"कि जनसेवकों के विरुद्ध अवचार के अवकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उस से सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री चरण सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें तथा इस विधेयक पर चर्चा की जाये।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक होते हुए भी, उसी विषय पर सरकारी विधेयक पर चर्चा कि जा सकती है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह अपना विधेयक वापस ले सकते हैं, परन्तु गैर सरकारी विधेयक सरकारी विधेयक के मार्ग में रुकावट नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : वह विधेयक अपने आप अनावश्यक हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह अपना विधेयक वापस ले रहे हैं?

श्री पी० के० देव : मेरा कटु अनुभव है कि भूतपूर्व सरकार ने भी ऐसा ही विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पेश किया था, परन्तु उस पर कभी चर्चा नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इस पर होगी। प्रश्न केवल यह है कि क्या आप अपने विधेयक को वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं?

श्री पी० के० देव : जी नहीं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : यदि वह वापस नहीं लेते तो क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : उस पर कल निर्णय करेंगे। अब सभा 2.15 म० प० तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा 2.15 म० प० तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2.17 बजे म०प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at seventeen minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy -Speaker in the Chair.

बेरोजगारी की समस्या के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : UN EMPLOYMENT PROBLEM

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने दस वर्ष के भीतर बेरोजगारी समाप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है। इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार का और हम सब का ध्यान इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है। परन्तु कुछ सदस्यों का विचार है कि यह संभव नहीं है। मैं इतना निराशावादी नहीं हूं। निःसन्देह यह कोई सरल प्रश्न नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि भूतपूर्व सरकार ने इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने प्रयास किया, परन्तु इस की क्रियान्विति केवल कागजों पर रह गई और यह हल नहीं हुआ। इस लिए हम केवल प्रचार मात्र करना नहीं चाहते। हम ऐसी योजनाएं बनाने का प्रयास करेंगे जिन्हें कार्यरूप दिया जा सके और जिन से जनता सन्तुष्ट हो कि उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

यह कहा गया है कि सभी लोगों को 'काम का अधिकार' देने के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जानी चाहिए अथवा उन लोगों को जिन्हें पूरा रोजगार नहीं मिलता अथवा आंशिक रोजगार प्राप्त है, निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए। यह संभव नहीं है। क्या इस बात पर विचार किया है कि इसके लिए एक वर्ष में 4,000 करोड़ रुपये से कम राशि खर्च नहीं होगी और उससे भी अधिक यह समस्या पैदा हो जायेगी कि इस प्रकार भत्ता पाने वाले लोगों में काम न करने की प्रवृति पैदा हो जायेगी। अतः समस्या निर्वाह भत्ता देने की नहीं है, बल्कि काम देने की है और वह भी ऐसा काम जो सभी के लिए सन्तोषजनक हो।

वास्तव में 15 वर्ष पूर्व जब मैं वित्त मंत्री था और तीसरी योजना पर विचार किया जा रहा था, तब मैंने यह प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक राज्य में, उसके आकार के अनुसार 25 से 30 या 50 लाख रुपये सुरक्षित रखे जाने चाहियें और प्रत्येक पंचायत तथा नगरपालिका को उस को काम देना चाहिए, जो काम करना चाहता है। वह काम करेगा और मजदूरी लेगा। वास्तव में यह मजदूरी अधिक नहीं होगी और वह मजदूरी उस से कम हो सकती है, जो बाजार में मिलती है। परन्तु उस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वह सुझाव एक प्रस्ताव मात्र बन कर रह गया। हम अब वह गलती नहीं करना चाहते और इसीलिए हमने कहा है कि यह समस्या तभी हल हो सकती है, यदि गांव सशस्त बनें और गांव में बेरोजगारी न रहे।

नगरों में अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित व्यक्तियों में अधिक बेरोजगारी है। गांव में बेरोजगार व्यक्तियों की तुलना में अपूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या अधिक है। यद्यपि आंशिक रोजगार से इतना रुपया कमाया जाता है कि उस से वर्ष भर तक निर्वाह हो सकता है, परन्तु उससे मानव व्यक्तित्व की हानि होती है और प्रगति भी नहीं हो पाती। गावों में छोटे किसानों को आंशिक रोजगार मिलता है, पूरा रोजगार नहीं मिलता। अतः हम उन लोगो को कुटीर उद्योग आरम्भ करने में सहायता दे कर इस समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन यदि वे इस के इच्छुक हों, तभी उन की सहायता की जा सकती है और इसीलिए इसे सरकारी तौर पर हल करने की बजाय गैर सरकारी तौर पर सुगमता से हल किया जा सकता है। अतः हम खादी आयोग, ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं, सामाजिक संस्थाओं जैसी गैर सरकारी एजेंसियों को गतिशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह एजेंसियां जन कल्याण के लिए कार्य करती हैं।

इस मामले के साथ शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शिक्षा में भी आमूल सुधार करना होगा। हम इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक हम इस के लिए वातावरण तैयार नहीं करते, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी। अतः इस समस्या पर उदासीन भावना से काम करने की बजाय युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। हम यही सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि जनता के सहयोग से हम इस समस्या को सन्तोषजनक ढंग से हल कर लेंगे।

इस मामले में राजनीति की दखल अन्दाजी नहीं होनी चाहिए। जबतक लोगों को पूण लोकतंत्र और पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हम सम्यक प्रगति नहीं कर सकते। इस कार्य में हमें सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है।

हमें यह भी देखना होगा कि हम सब प्रकार के उपभोक्ता सामान का प्रचूर मात्रा में उत्पादन करें, क्यों कि इस से मूल्य सम्बन्धी प्रश्न जुड़ा हुआ है। यदि हम ने ऐसा करके कुशलतापूर्वक उत्पादन लागत कम कर दी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम मूल्यों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेंगे। तभी गरीबों के साथ न्याय हो सकेगा।

ऐसी एक घटना हुई है कि जो देश के प्रतिकूल गई है और उस से हम अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं। विश्व के सम्भ्रान्त या विकसित देशों ने उच्च लागत की अर्थ व्यवस्था अपना रखी है और सम्भवतः यह प्रणाली वहां अनिवार्य हो गई है, क्यों कि वहां के लोग इसके आदी हो गये हैं। हम अपने देश की आवश्यकताओं को समझे बिना उन की अन्धी नकल कर रहे हैं और अधिक मंहगी अर्थ व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं। इसी कारण हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमें उत्पादन लागत घटानी है और उत्पादन में वृद्धि करनी है। उन देशों में इस प्रकार की समृद्धि से मेरे विचार में यहां लाभ होने की बजाए बाधायें अधिक हो रही हैं। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। तभी असमानता दूर हो सकती है।

फ़िर भ्रष्टाचार का प्रश्न आता है, जिसे से हमें बहुत अधिक हानि हो रही है। जीवन के सभी पहलुओं में मिलावट और भ्रष्टाचार व्याप्त है। अतः हमें यह देखना है कि हम इस कार्य उद्देश्य के प्रति सत्यनिष्ठा पैदा करें। तभी हम अपना लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः मेरा उन सदस्यों से कोई विवाद नहीं है, जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो इस कार्यक्रम की सफलता चाहते हैं। मैं इस मामले पर सभी सुझावों का स्वागत करता

हूं और यह सामुहिक प्रयास होना चाहिए। यदि हम इस प्रकार कार्य करेंगे कि हमें विश्वास है कि हम इस समस्या को दस वर्षों में सफ़लतापूर्वक हल कर सकेंगे।

जहां तक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के बारे में सरकार द्वारा समय बताने का प्रश्न है, हम इस में विलम्ब नहीं करेंगे, लेकिन समय बताना बहुत कठिन है। हम ने योजना आयोग को मार्गदर्शी सिद्धान्त दे दिये हैं और वह उन पर कार्य कर रहा है। सम्भवतः हम इस वर्ष के अन्त तक इस को रूपरेखा बताने में सफ़ल हो जायेंगे। माननीय सदस्यों को आगामी बजट में इस की अवश्य जानकारी दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कांग्रेस के शासन के 30 वर्षों के दौरान उस ग्रामीण आर्थिक ढांचे को, जो अंग्रेज छोड़ गये थे नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने पूंजी प्रधान उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया। साथ ही उन्होंने श्रम प्रधान साधनों और श्रम प्रधान उद्योगों को समाप्त कर दिया है। बेरोजगारी समिति ने इस समस्या पर विस्तार से विचार किया है, लेकिन उस के प्रतिवेदन को छुआ तक नहीं गया। इस लिए मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उस प्रतिवेदन पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

यह बड़े दुख की बात है कि बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं, क्यों कि ये आंकड़े तत्कालीन सतारूढ़ दल के दावों के विरुद्ध हैं।

इस समय 125 रुग्ण मिल हैं। उद्योग को रुग्ण बनाना भी एक उद्योग बन गया है। राष्ट्रीय रोजगार निधि बनाई जानी चाहिए और 12,000 रुपये से उपर आय वालों पर वर्गवार उपकर लगाया जाना चाहिए। जितनी आय अधिक हो, उपकर उतना अधिक होना चाहिए। यह कानून बना कर लगाया जा सकता है। सरकार इस मामले पर विचार करे। हमें रोजगार बीमा के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। बेरोजगार भूखे मर रहे हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या हम उन्हें इतनी राशि दे सकते हैं, जिससे वे जिन्दा रह सके। अतः सरकार को इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलझाने के लिए पूरी शक्ति एवं संसाधन जुटा कर रचनात्मक योजना बनानी चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री ने व्यस्क शिक्षा की बात कही थी। उन्होंने निरक्षरता का उन्मूलन करने की बात कही थी। उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्पष्ट वक्तव्य दें कि बेरोजगारी की समस्या दस वर्षों में समाप्त हो जायेगी। प्रधान मंत्री यह भी बतायें कि संविधान में काम का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही कब तक शुरू की जायेगी। सरकार एक निश्चित तिथि बताये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नूर) : मुझे इस बात की काफी खुशी है कि सदन के सभी सदस्यों ने समस्या की गंभीरता के बारे में खुल कर अपनी चिंता व्यक्त की है तथा साथ ही अपने ठीक सुझाव भी दिये हैं। माननीय मोरारजी भाई अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध ही हैं तथा उन्होंने भी यह बात स्वीकार की है कि अभी जनता पार्टी के पास इस समस्या से निपटने का कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री ने अन्य महापुरुषों तथा चिंतकों की तरह ही अपनी शुभ कामनायें व्यक्त की हैं जबकि देश के प्रधानमंत्री तथा कुशल प्रशासक होने के नाते हम उनसे ठोस कदमों की आशा तथा अपेक्षा करते हैं।

प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि आजकल तो विचारधारायें भी दूषित हैं परन्तु मैं तो यह समझता हूं कि जनता पार्टी ने पूर्णतया पूंजीवादी नीति अपनाई हुई है। मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि जब तक पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं अपनाया जाता तब तक निर्धनता बेरोजगारी और निरक्षरता की समस्या हल नहीं हो सकती। बेकारी की समस्या के बारे में प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि यह समस्या 10 वर्ष के अन्दर हल कर दी जायेगी। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यह समस्या 10 वर्ष तक रहेगी। इस प्रकार तो यह भी हो सकता है कि आगामी 10 वर्षों में यह समस्या और भी भीषण रूप धारण कर ले। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस भी देश ने पूंजीवाद का तरीका अपनाया है, वह आशानुकूल प्रगति नहीं कर पाया है। अतः मेरी यह सशक्त धारणा है कि यदि जनता सरकार देश से बेकारी की समस्या का उन्मूलन करना चाहती है, तो इसका हल समाजवाद ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक संशोधन है जिसे वह वापिस लेना चाहते हैं। अतः क्या श्री हुकमदेव नारायण यादव को अपना संशोधन वापिस लेने की सदन अनुमति देता है?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं पहले ही अपने वक्तव्य में कह चुका हूं कि मैं अपना संकल्प वापिस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन, श्री ज्योतिर्मय बसु को अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति देता है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The resolution was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय क्या सदन श्री चन्द्रप्पन को अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति देता है?

संकल्प, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The resolution was, by leave, withdrawn.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES.

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) : मैं श्री चरण सिंह की ओर से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के बीसवीं इक्कीसवीं और बाईसवें प्रतिवेदनों पर जो क्रमशः 11 मई, 1973, 28 अगस्त 1974 और 5 मई 1976 को सभापटल पर रखे गये, पर विचार करती है"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान जी, मेरा व्यवथा का प्रश्न है कि गृह मंत्री की ओर से यह प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या इन्होंने ऐसा करने के लिए आपसे अनुमति ली है?

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने मेरी इजाजत ले ली है।

SHRI RAM BILAS PASWAN (Hajidur) : Sir, I rise on a point of order. It is a tradition of this House that as and when the report of the Commissioner for Schedued Castes and Scheduled Tribes is taken up for consideration. The report of the Government's action taken thereon is also presented. So until and unless the report indicating the action taken by the Government is made available it will be futile to discuss this report.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम प्रतिवेदनों पर विचार कर रहे हैं। उन पर की गई कार्य-वाही सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करवाना अनिवार्य नहीं है। आप उसका उल्लेख चर्चा के दौरान भी कर सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों के स्थानापन्न प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वह अपनी स्लिप मुझे भेज सकते हैं। उनके प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ माना जायेगा। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोदरा) : श्रीमान जी, इस समय सदन में 20वें, 21वें तथा 22वें प्रति-वेदन पर विचार हो रहा है : यद्यपि सदन इन प्रतिवेदनों पर विचार कर रहा है फ़िर भी सरकार द्वारा ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया है जिसमें यह बताया गया हो कि इन प्रतिवेदनों में की गई सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सिफ़ारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में कोई विवरण दिया गया है?

सबसे पहले मैं दूसरे प्रतिवेदन के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ ने वहां के 11 जिलों का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि 387 गांवों में से 271 गांवों में हरिजनों को मन्दिर में घुसने की अनुमति नहीं है। वहां केवल 38 गांव ऐसे हैं जहां कि हरिजनों को चाय की दुकानों में घुसने की इजाज़त है। जहां तक नाई आदि की सेवाओं का सम्बन्ध है 527 गांवों में से केवल 49 गांव ऐसे हैं जहां कि हरिजनों को हजामत बनवाने की इजाज़त है। केवल 31 गांव ऐसे हैं जहां कि हरिजन गांवों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जहां तक पंचायतों में हरिजनों को समान दर्जा दिलाने का प्रश्न है, केवल 299 गांव ही ऐसे हैं जहां कि हरिजनों को समान दर्जा प्राप्त है। यह स्थिति केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है अपितु देश के अन्य भागों में भी विद्यमान है। इतना ही नहीं हरिजनों पर अत्याचार करने के भी अनेक मामले सरकार के सामने आये हैं। प्रतिवेदन के पृष्ठ 187 पर हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों का उल्लेख किया गया है।

यह बड़ी ही विचित्र बात है कि 6 वर्षों के बाद हम इन प्रतिवेदनों पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा भी अपने आपमें पूर्ण नहीं कही जा सकती क्योंकि इन सिफ़ारिशों पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मैंने ग्रंथालय में इन्हें देखने का प्रयत्न किया तो मुझे वहां केवल 21वें प्रतिवेदन के बारे में ही विवरण प्राप्त हुआ है। इन सब बातों से तो यह पता चलता है कि सरकार का रवैया इन जातियों के लोगों के प्रति ठीक नहीं रहा है।

जब बजट पर चर्चा की जा रही थी उस समय भी यह विचार व्यक्त किया गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए की गई व्यवस्था प्रर्याप्त नहीं है। इस समय ऐसा विचार भी व्यक्त किया गया था कि इस व्यवस्था में परिवर्तन कर चालू वर्ष की धनराशि में वृद्धि की जायेगी। परन्तु इस वर्ष के लिए केवल 29.06 लाख की व्यवस्था की गई है जो कि मैं समझता हूं कि पर्याप्त नहीं है।

एक अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस समय जो मंत्रिमंडल है उसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। पिछले मंत्रिमंडल में 60 में से 11 मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के थे जबकि वर्तमान मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जोकि इन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो। अतः मेरा सदन के नेता से तथा सरकार से यही निवेदन है कि जब वर्तमान मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाये तो उस समय सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान रखना चाहिये।

एक अन्य बात जो कि हम सब के लिए चिन्ता का कारण बनती जा रही है, वह है हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की प्रवृति में वृद्धि। यह निश्चय ही हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अभी केवल दो महीने पूर्व 27 मई 1977 को बेलची में बहुत ही नृशंस घटना हुई। लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर काफ़ी विस्तार-पूर्वक चर्चा की गई। बाद में विभिन्न दलों के संसद सदस्यों की एक समिति मौके पर गई तथा स्थिति का जायजा लिया। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सरकार का यह कथन कि यह घटना दो गुटों के बीच के झगड़े के कारण हुई, बिल्कुल ही गलत है तथा इस पर अधिकृत गृह मंत्री का वक्तव्य भी झूठा है। समिति ने यह निर्णय भी दिया कि सरकार का यह कहना भी गलत है कि यह हत्यायें जाति और सामाजिक द्वेषभाव के कारण हुई, पूर्णतया गलत है। अतः मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि वह इस सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच करवाये।

मैं इस तथ्य को भी स्वीकार करता हूं कि जनता पार्टी के सत्तारुढ़ होने से पूर्व भी ऐसी घटनायें होती रही हैं परन्तु खेद की बात तो यह है कि ये घटनायें अभी तक जारी हैं। अभी हाल ही में गोरखपुर जिले के रामनगर क्षेत्र में बड़ी ही विचित्र तथा चिंतनीय घटना घटी है। अब समय आ गया है जबकि सरकार को पिछले आंकड़ों की तुलना करने की अपेक्षा, समाज के कमजोर वर्गों में विश्वास जागृत करना होगा। जब तक लोगों में आत्मविश्वास की भावना जागृत नहीं की जाती तब तक इस समस्या का कारगर रूप से समाधान नहीं किया जा सकता। गत महीनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों पर हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण-कार्य की देख-रेख के एक अलग मंत्री होना चाहिये। इस के साथ ही मेरा तीसरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए अलग-अलग आयुक्त नियुक्त किये जाने चाहिये।

अब मैं वास्तविक प्रतिवेदनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और वह भी विशेष रूप से दूसरे प्रतिवेदन के बारे में। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग के मुख्य समस्या उनकी आरम्भिक शिक्षा की समस्या है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह लोगों अन्य लोगों से काफ़ी पीछे हैं वर्ष 1973-74 के आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक में सामान्य क्षेत्र में 90 प्रतिशत दाखिलों की तुलना में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के दाखले 68.9 प्रतिशत तथा 59.3 प्रतिशत थे। इसी प्रकार कक्षा 6 से आठ में भी इन लोगों के दाखले, अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी कम रहे हैं। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में उनकी स्थिति दयनीय है। अतः हमें प्राइमरी शिक्षा के विस्तार की ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें कुछ विशेष ही हैं और इसलिये जब तक उनकी समस्यायों की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक हम उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। इन लोगों में शिक्षा के विस्तार के लिये जितने कार्य गुजरात, महाराष्ट्र, तथा आन्ध्र प्रदेश के राज्यों में हुआ है उतना किसी और राज्य में नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी को ये सुविधायें सभी राज्यों में उपलब्ध करनी चाहियें।

हम जानते हैं कि जन जाति के लोगों के बच्चों को काम भी करना पड़ता है। जब तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिये आवासीय स्कलों की व्यवस्था नहीं की जाती और उन्हें अधिकाधिक धन नहीं दिया जाता, तब तक वहां शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकता। आज भी जन जातियों के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आपको कोई सभ्यता नहीं दिखाई देगी। उनकी अपनी भाषा है और उसी में अध्यापक को शिक्षा देनी होगी। वहां अधिकाधिक आश्रम स्कूल खोले जाने चाहियें। जहां तक छात्रवृत्ति का सम्बन्ध है, उन्हें छात्रवृति हमेशा विलम्ब से मिलती है। यह प्रयास किया जाना चाहिये कि जो भी व्यक्ति छात्रवृति पाने का अधिकारी हो उसे अविलम्ब छात्रवृति दी जाये।

निस्संदेह लड़कियों के होस्टलों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिफ़ारिश भी की है। किन्तु हमें पता नहीं कि इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हरिजनों तथा आदिवासी लोगों के कल्याण सम्बन्धी गतिविधियां जारी रहनी चाहिएं।

कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वेच्छा से हरिजनों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही थीं किन्तु इनमें अब राजनीति घुसने लगी है। इन संस्थाओं को राजनीती से अलग रखा जाना चाहिए। तभी उनका पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

अब मैं ऐसे प्रश्न पर आता हूं जिस पर इस सभा में समय-समय पर चर्चा हुई है। जहां तक नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16.66 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत है। रेलवे में अनुसूचित जातियों का वर्ग I के पदों में 3.46 प्रतिशत, वर्ग II के पदों में 5.41 प्रतिशत तथा वर्ग III के पदों में 11.31 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

(श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए)

[*Shri Sonu Singh Patil in the Chair*].

और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व तो रेलवे में कहीं कम है। जहां तक भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का सम्बन्ध है, वहां स्थिति और भी खराब है। इससे पता चलता है कि सरकार एवं नियोक्ताओं का रवैया इन जातियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। नौकरियों में इन जातियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए केवल तभी इन जातियों का कल्याण हो सकता है। सरकारी उपक्रमों के अतिरिक्त राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, गैर-सरकारी उपक्रमों

को यह कहा जाये कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन जातियों के लोगों को वहां पर्याप्त संख्या में नौकरियां दी जायें।

जहां तक भर्ती का सम्बन्ध है, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विभाग स्थापित करने का प्रयास करें।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भूमि तथा वनों के बारे में है। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। वनों के बारे में ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिनसे कि जनजाति के लोगों को लाभ पहुंच सके।

हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आवास की अधिकाधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें सामाजिक तथा आर्थिक समानता लानी चाहिए। ताकि ये लोक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े न रह सकें।

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या (1) प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० कुन्डु (बालासोर): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या (3) प्रस्तुत करता हूं।

श्री **विनायक प्रसाद यादव** (सहरसा): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या (5) प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या (6) प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बी० रचैया (चामराजनगर): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या (7) प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० श्रीकांत नायर (क्विलोन): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या (9) प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10, 11 और 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरयालगुडा): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण मध्य): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 24 और 25 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ए० के० राय (धनबाद): मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 26 और 27 प्रस्तुत करता हूँ।

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : It is regrettable that the Reports of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner were not discussed in the House during the last six years. It is for the first time in the last six years that an opportunity has been given to the House to discuss the Reports. It is, therefore fortunate that today we are discussing three reports *i.e.,* for the year 1971, 1972 and 1973. The reports for the next three years have not so far been submitted.

Atrocities on Harijans whenever and wherever they have been perpetrated have to be condemned, but to make a political capital out of these incidents is also unfair. The opposition has blamed Janata Party for these excesses, and they have even accused our Home Minister for being luke warm towards safeguarding the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I would certainly condemn the recent incidents of excesses against Harijans. But what about the such incidents which happened before Janata Party assumed the office ? Who was responsible for these ghastly incidents ? Many heineous crimes were committed against Harijans and a number of Harijans were brutally murdered during those years of 1973 and 1974. During Emergency they had been made the main target of forced sterilization programme and in many cases they had to suffer physical disability. I would suggest that such victims of sterilization as are unable to earn their livelihood should be given some daily allowance.

Since most of such incidents in which Harijans were involved took place because of dispute over, wages Government must fix minimum wages for agricultural workers in rural areas. It must also be ensured that the land allotted to Harijans from out of the common land of the village during emergency should be regularised.

Although untouchability Act has been amended, no rules and regulations have been framed so far thereunder. These should be expedited. A special cell should be created in C.B.I. to investigate all such loses of atrocities wherein Harijans are involved.

Responsibility should be fixed on the Chief Secretary at State level and on the District Magistrate and the Superintendent of Police concerned at the district level. Only then such incidents can be stopped.

Provisions should be made to give financial help to the victims of such tragedies.

As regards reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services, their reserved quota is seldom filled. I would suggest that if a suitable Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidate is not available in the first instance for a particular job, a second and third attempt should be made. But a post reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe should not be filled so long as a suitable candidate is not available from Scheduled Caste and Scheduled Tribes.

Violation of reservation rules by any officer should be treated as violation of Service Conduct Rules and the officer concerned should be punished accordingly. In this connection I would like to mention that Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons are not discriminated against only in the matter of recruitment but in the matter of appointments, confirmation and promotion also. This must be looked into.

I would, therefore, suggest that a separate Ministry to look after the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be created at the Centre.

There is no reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in certain educational institutions. There is no reservation in Sainik Schools and even in Aligarh Medical College There should be reservation for these communities in all professional institutions and it should be implemented.

The amount of scholarship given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students should be increased and they should get scholarship money in time. For this purpose an entitlement card should be issued to each student, so that they can get the scholarship money on presenting that card.

The nationalised banks have been given standing instructions by the government to give one-third of their loans to Harijans on differential rates of interest. But these instructions are not being implemented. The government should ask nationalised banks to carry out those instructions.

The government is constructing certain markets. Some shops in these markets should be reserved for Harijans and Adivasis. These people should also be given some share in fair price shops coal depots, oil agencies and gas agencies. Certain sheds should be reserved for Harijans and adivasis by Industry Departments.

Harijans and Adivasis should be given loans on easy instalments. There should be Harijans Welfare Corporations in all States.

There are certain cases where some reasons were adopted by Harijans and they got all the advantages which have were available to Harijans. Such malpractices should be checked.

All India Depressed classes League had taken a grant of Rs. 13,92,120 from the Government during the last 10 years. It is not known how this money has been utilized. This is a political organisation. No grants should be given to such bodies.

In 1967 the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes had seventeen regional offices. But those offices have been abolished. Now there is talk of appointment of Civil Rights Commission and abolition of the post of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is no objection to the appointment of the Civil Rights Commission, but the post of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should not be abolished. His office should be strengthened and the regional offices should be restored. As a matter of fact there should be two separate commissioners for scheduled castes and scheduled tribes.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : The problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is a national problem. Politics should not be brought in this matter. An early solution will have to be found of this burning problem. We should evolve a national consensus to solve this problem.

There are a number of articles in our Constitution which pay special attention to the problems of these communities. Untouchability Offences Act has also been put on the statute book to fight the evil of untouchability. Then in five-year plans also allocations are made for the upliftment of these communities. Posts are reserved in services and certain educational benefits are given. But in spite of all these measures the desired improvement has not taken place in the condition of these people.

There is inadequate representation of scheduled castes and scheduled tribes people in services. Steps should be taken to fill up the quotas reserved for them so that they get adequate representation in government services and in public and private sectors.

It is clear from reports of the Home Ministry pertaining to different years that the cases of cruelties on Hatijans have been increasing. It is really unfortunate that even after 30 years of independence persons belonging to certain communities are not treated as human beings. Dr. Ambedker had given a warning that if injustice against these communities continued there would be danger to democracy.

There is need to propagate the provisions of Untouchability Offences Act. It is really surprising that very few policemen knew about this Act. Also, a very large section of our population is unaware of this legislation.

All the political parties should put their heads together to tackle this problem. No attempt should be made to take political advantage of the sufferings of these people. It is really unfortunate that an attempt is being made to mount a tirade against the Home Minister on the Belchi incident.

District Magistrate should be held responsible for any incidents of cruelties on Harijans in their district. If responsibility is pinned on them, number of such incidents will decrease. Similarly departmental secretaries should be entrusted with the responsibility of filling up posts reserved for scheduled castes and scheduled tribes. The Home Minister should discuss the problems of Harijans and Adivasis with the Chief Ministers. After these discussions concrete suggestions should be formulated by the Government and placed before the House.

No assessment has been made so far of the results achieved through various measures taken to help Harijans and Adivasis all these years. A Committee of this House should be constituted to make this assessment and suggest measures which should be taken in future for ameliorating the lot of these people.

There are different religious leaders in our country. These people who do not regard all human beings as equal have no right to be called religious teachers or leaders. There should be public opinion.

There should be no separate educational institutions. We should have common educational institutions for people belonging to all communities. Swami Dayanand had preached against discrimination against any community or people. He had propagated equal treatment for all human beings.

The Government should open more coaching centres for scheduled castes and scheduled tribes candidates appearing in all India examinations so that more and more people belonging to these communities are selected in these services. There should be adequate representation for these people in class I services.

There are complaints that certain Harijans who have been given house sites are not allowed to build houses in Delhi. Steps should be taken to ensure that these people are allowed to build houses and whosoever obstructs them should be punished.

It is hoped that the Janata Party would make an all out effort to remove the difficulties of Harijans and adivasis. We have to make a determined bid to tackle this problem.

***श्री ए० मुरुगेसन** (चिदम्बरम्) : सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या कम होती जा रही है। सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायें। किन्तु श्रेणी चार के अलावा अन्य सभी श्रेणियों में सरकार का यह प्रयत्न बेकार रहा है।

जब भी सुरक्षित कोटा न भरे जाने के विषय में प्रश्न उठाया जाता है तो यही उत्तर दिया जाता है कि इन जातियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। यदि विश्वविद्यालय आपके आदेशों को कार्यान्वित नहीं करेंगे तो आपको कभी भी पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। विश्वविद्यालयों को उनके लिए 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। 110 विश्वविद्यालयों में से 65 में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। 35 विश्वविद्यालयों में 3 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं तथा 10 में केवल 20 प्रतिशत। इसी प्रकार राज्य सरकार की एक अधिसूचना थी कि इन जातियों के लड़कों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी। ऐसी परिस्थिति में क्या यह आश्चर्य जनक नहीं है कि पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिलते।

शिक्षा मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़कों को अतिरिक्त समय पर छुट्टी में अधिक शिक्षण की व्यवस्था करें। दूसरे, मंत्री महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदेश दें कि वह उन विश्वविद्यालयों को अनुदान न दें जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सम्बन्ध में सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते।

पहली से पांचवीं कक्षा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 60 प्रतिशत और 57 प्रतिशत बच्चे भर्ती होते हैं। सबसे दुःखद स्थिति यह है कि कक्षा 5 में 50 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनमें अधिकांश बच्चे इन्हीं जातियों के होते हैं। सरकार को इस निराशाजनक स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए।

अनुसूचित जनजाति के लोग समूचे देश में फ़ैले हुए हैं जबकि अनुसूचित जन जाति के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। इनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना एक आयुक्त के वश की बात नहीं है। इनके लिए दो आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तथा इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाये।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

प्रधान मंत्री ने अल्प संख्यक आयोग की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की है। यह आम धारणा है कि इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा कम ही होगी। गृह मंत्री इस बात को स्पष्ट करें।

समझ में नहीं आता कि अनुसूचित जातियों के लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर वे सुविधाएं और रियायतें क्यों नहीं दी जाती जो कि समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को प्राप्त हैं। इन लोगों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।

तमिल नाडु के कुछ हजार अनुसूचित जातियों के लोग दिल्ली में काम करते हैं और उन्हें उनकी वैध रियायतें नहीं दी जातीं। इस बारे में यह तर्क दिया जाता है कि ये जातियां दिल्ली राज्य की सूची में नहीं हैं; इस कठिनाई को दूर करने के लिए पांचवीं लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया था। जनता सरकार इस विधेयक को शीघ्र लागू करे।

न्यायपालिका, राजदूत और राज्यपाल आदि की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के लिए राज्य सभा तथा विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित किए जाएं। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार "वर्ग हीन समाज" की स्थापना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तब तक केन्द्र सरकार इनके आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्य शुरू करे।

SHRI KESHAVRAO DHONDGE (Nanded) : Our society is responsible for untounchability, which has been practised in our country for the last five thousand years. We will have to remove this evil. Hinduism is responsible for this evil. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes people do not want to adhere to a religion which discriminates against a particular class of people.

There are ten 'avatars' but none of them did anything for the uplift of these downtrodden people. Those religious places or books which are not against practising untouchability will have to be destroyed. There have been saints and great men take Mahatma Gandhi, Budha, Kabir, Dr. Ambedkar and Mahatma Bhole who preached real humanity and true religion.

We critisize Rodeshia, we critisize South Africa for adopting apartheid policy. But the same situation exist in every village in our country. Then what right we have got to critisize Rodeshia and South Africa.

Untouchability is very deep rooted in Hinduism. It can not be eradicated by appointing Commissions. Constitutional provisions are not sufficient. The real situation is that untouchables are discriminated against even after death. The religious books teach discrimination. Harijans are treated as slaves. The religious places or religious books which are not against practising untouchability would have to be destroyed. We will have to strike at the very root of this evil. The Government should help those people which are economically backward. Although India became free 30 years, ago, Harijans and Adivasis are not still free. We talk of national integration. But it is not possible unless untouchability is eradicated. The Harijans are suppressed since thousands of years.

The one exploited and discriminated against they have no say. If we want that our country should progress we would have to root out untouchability. The problem cannot be solved by giving a few educational concessions to these people or by reserving certain posts for them. If the discrimination continues. Then I warn that these people will one day rise in revolt. The concessions which are being given at present is no remedy. They must be given respect in society. They must be treated equally. The basic problem would have to be solved. The people would have to be given proper respect in society.

Lastly once again I would repeat that those religious books, which talked of untouchability should be banned. All discriminations against Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of caste should be put an end to. Only then down trodden people would get justice and there could be real emotional integration in the country.

SHRI YUVRAJ (Katihar) : Mr. Chairman, Sir, We are discussing to gether three reports of the Commissioner for Scheduled Castes for the years 1970-74. I hope the Home Ministry might have received the reports of the Commissioner for the years 1974-75 and 1975-76. But the reports have not been laid to the Table. The Home Ministry should make arrangements to present the report to this House within a period of three months after they got it.

The reports contain recommendations practically on all aspects—be it educational facilities or employment quota or atrocities against Harijans—concerning the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is very astonishing to note that not a single member belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been included in the Cabinet except Shri Jagjiwan Ram, who is a national leader and occupies a very high stâture even otherwise.

Even if we agree to the point that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe have got political independence, but have not got the economic independence. The one still being discriminated against. They are 22 per cent of our population. No cannot ignore them any more. No body can deny that atrocities are being committed against Harijans. The stigma of Belchi affairs could not be washed away. It is painful to note that sick Harijan sweepers are denied admission to the Central Hospital Dhanbad. It is learnt that financial corporations or nationalised banks do not advance laws to Harijans at cheaper rate of interest. The present set up of society is such that they are not paid even the minimum wage. They are being exploited in every field be it education employment or any other field. Unless and until our social structure is radically changed, it might not be possible to release these people from bandage. There is no provision for free education for Harijans and Tribals in Central Schools. There are 170 Central Schools, having 1 lakh and 29 thousand students on their rolls. The Harijans among them are only 2039 and the Adivasis only 524. So their percentage work out only 2.38 and 0.52 respectively. There should be free education in the Central Schools for Harijans. There are 105 medical colleges in the country, but there are certain medical colleges in which seats are not reserved for Harijans.

The reservation quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been filled in respect of employment. Much had been the propaganda of 20 point economic programme of Smt. Indira Gandhi. But it is evident from the figures that nothing special has been done ameliorate their lot.

Now so far as land is concerned only 2 to 3 percent Harijans or Tribals have land in their possessional present. A legislation should be enacted to ban the sale of land, which belonged to the Harijans. The need of the hour is to create confidence in the minds of these down-trodden people. The land reform laws should be amended so as to give them guarantee against eviction. The Government should clearly enunciate their policy in regard to all these matters.

SHRI MANGAL DEO (Akbarpur) : These reports are being discussed in this House after seven years. It is a matter of satisfaction that the Hon. Minister has taken the initiative that these reports be discussed in the House. These are very lengthy reports and contain so many recommendations in regard to so many matters and problems. But it is a matter of regret that no indication has been given that what steps have been taken or contemplated to be taken to implement the recommendations of the reports. Mere laying of the reports on the Table of the House and discussing them will serve no useful purpose. The real remedy is to implement the reports. This is a serious lacuna. The mere ritual of discussion and delivering speeches will serve no purpose unless steps are taken to give practical shake to the recommendations of the reports.

So far as the question of untouchability is concerned every fifth man in our country is an untouchable. It is a very massive problem. All these persons are concerned as second rate citizens and they have no right to comforts of life and to employment. They have no access even to the village well. How pitiable it is that they are discriminated in every walk of life be it education, employment or anything else. In these circumstances how is it possible to improve their economic condition and social status.

My Hon. friend Shri Ramanand has suggested that police protection is not enough and enough police protection should be provide to the Harijans. I agree with him on this point, but at the sometime I would like to say that gruesome atrocities had been perpetrated on Harijans all these years and it is all the more regrettable that these atrocities are still continuing. In a recent incident in Belchi Harijans were murdered. In one incident in some where in South India 45 Harijans were burnt alive. But all the accused persons were acquitted by court. In Uttar Pradesh from 1st January to June, 1974, sixty Harijans were

murdered. All these figures proves how atrocities are being committed on Harijans. These have been many incidents of arson, loot and assault on Harijans. Who is responsible for all these incidents ? We cannot absolve police and district administration of their responsibility. In fact it is their indifference and luke warm attitude which is mainly responsible for such incidents. This should be looked into.

I would plead that concessions which are available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also made available to Muslims in lower strata of Society and to Neo Budhists. In fact Government should extend these facilities to all persons who are poor and needy irrespective of the fact to which caste or community they belonged.

Next I would suggest that all students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given scholarship upto 10th Class. This will facilitate their studies upto matric standard.

There are many voluntary institutions like Harijan Sewak Sangh, Delit Sangh, etc. etc. These institutions receive grants for Harijan Welfare from the Government. In most cases this money is mis-appropriated and these institutions indulge in many malpractices. This must be looked into seriously and steps taken to check misuse of Government funds.

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

HALF AN HOUR DISCUSSION RE : VIJAY BANK

आधे घण्टे की चर्चा विजय बैंक का कार्यकरण

सभापति महोदय : श्री क० लकप्पा अब आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे ।

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : नियम 55(3) के अन्तर्गत यह निर्णय अध्यक्ष द्वारा कि ा जाता है कि मामला पर्याप्त लोक महत्व का है अथवा नहीं ।

महोदय यह मामला लोक महत्व का नहीं है । यह तो केवल व्यक्तिगत हितों पर आधारित है ।

सभापति महोदय : शांति, शांति, आप बैठ जाइए । इसे पहले ही गृहीत किया जा चुका है । मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता । यह मेरी शक्ति से बाहर है । श्री लकप्पा ।

श्री क० लकप्पा : महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री रवि राय ने, जब वित्त मंत्री ने एक स्पष्ट तारांकित प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था, तो एक मामला उठाने का प्रयास किया था ।

मैं कहना चाहता हूँ कि विजय बैंक लिमिटेड के चैयरमैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं । उनका बैंक की 200 रुपये से अधिक की राशि पर नियंत्रण है । वह वित्त मंत्री से भी अधिक शक्तिशाली हैं ।

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री क० लकप्पा : मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है । मैं कोई राजनीतिक मामला नहीं उठाउंगा । श्री मधु लिमये, जो जनता पार्टी के सचिव हैं, जाली नोटों के सात उदाहरण सभा के समक्ष रखे थे । विजय बैंक के चैयरमैन 100 रुपये के जालीनोट बैंक की विभिन्न शाखाओं से चलाते हैं । महोदय, चैयरमैन जमाकर्ताओं की राशि से खिलवाड़ कर रहे हैं । श्री एल० एन० महता नामक एक व्यक्ति उनके गहरे दोस्त हैं ।

श्री महता रिजर्व बैंक के अनुदेशों की अवज्ञा कर महता ब्रादर्स और 'पापुलर क्रेडिट कारपोरेशन' के नाम से रुपया कर्जे पर दे रहे हैं। अध्यक्ष ने श्री महता को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है और इनके मामले में रिजर्व बैंक का कोई नियम लागू नहीं होता है।

फिर मैसर्स सेस्ट टायरज़ लिमिटेड को भी रिजर्व बैंक के सभी नियमों की उपेक्षा कर एक करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया गया है। रिजर्व बैंक की प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 5 प्रतिशत ऋण तो वसूल ही नहीं किया जा सकता यह ऋण अध्यक्ष ने अपने जान पहचान वाले लोगों को बिना किसी प्रकार की जमानत लिये दिये हैं।

फिर दूसरी निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धन राशि की लूटमार मचाई हुई है और लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि की हेरा फेरी की गई है। अध्यक्ष द्वारा बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया गया है जिससे बैंक की 5 करोड़ रुपए की हानि हुई है। अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता।

फिर जाली करेंसी नोटों को परिचालित किया गया है। 40 लाख रुपये से अधिक के मूल्य में करेंसी नोट बैंक ने फिक्सड डिपोसिट के रूप में स्वीकार किए हैं। ये जाली नोट अध्यक्ष के मित्रों को लाभान्वित करने के लिए परिचालित किए गए हैं। यह खबर मई समाचार पत्रों में, जिनमें "इकनामिक टाइम्स" और "दकन हैराल्ड" तथा इण्डियन एक्सप्रैस भी शामिल हैं, प्रकाशित हुआ है। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता।

अध्यक्ष ने अपनी धनराशि कई विदेशी बैंकों में रखी है। इस बैंक में निदेशकों के निर्णयों की घोर अवहेलना की जाती है।

अनेक कदाचारों का पता लगा है और उनके विरुद्ध मामले भी दर्ज किए गए हैं। कई मामले न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्व बैंक ने निरीक्षण रिपोर्टें एक वर्ष तक बर्फ में लगा दी थीं। रिजर्व बैंक ने सुन्दर राम शेटी के विरुद्ध आयकर के मामले को जानबूझ कर दबा कर रखा और बाद में इसमें हेरा फेरी की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में कार्यवाही क्यों नहीं की जबकि निरीक्षण रिपोर्ट जुलाई, 1976 में दी गई थी। इस प्रतिवेदन में विशेष रूप से कहा गया है कि अध्यक्ष इस पद के लायक नहीं है उसने और कई अनियमितताएं की हैं। उन्होंने राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य किया है तथा रिजर्व बैंक के अनुदेशों की अवज्ञा की है और इस तरह बैंक को हानि पहुंचाई है। अध्यक्ष के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा लगाये गये गम्भीर आरोपों तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों की उपेक्षा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार से उसी अध्यक्ष की नौकरी पर लगाये रखने की कैसे सिफारिश कर सकता है। भारत सरकार रिजर्व बैंक की सिफारिश कैसे मान सकती है? वित्त मंत्री ने कल ही यह बताया था कि ये सभी आरोप एवं अपराध तकनीकी किस्म के हैं। लेकिन इनके विरुद्ध अनेक मामले न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हो कि ये मामले तकनीकी किस्म के हैं।

इस तरह से और बैंक भी जनता द्वारा जमा किया हुआ रुपया गबन कर सकते है। यदि आपका यह रवैया है तो अन्य बैंक भी यही तरीका अपना सकते हैं और इस तरह बनाये गए नियमों आदि का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देश की जनता की आकांक्षाएं परिलक्षित करनी चाहिएं। बैंकों को देश का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। नियम के अनुसार 60 करोड़ रुपये से अधिक राशि होने से बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जानना चाहिए। मैं जाना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने निर्धारित शर्तों की उपेक्षा करने के लिए मंत्रालय को कोई परिपत्र दिया था। 16 अधिकारी नौकरी से निकाले गए हैं। इसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। और कार्यवाही की जानी चाहिए।

हाल ही में रिजर्व बैंक ने एक टिप्पणी भेजी थी। उस पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है? रिजर्व बैंक के सभी निरीक्षण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में कई लोगों की हत्या कर दी गई है। इस सभी मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और राष्ट्र हित में जमा कर्ताओं की सुरक्षा की जानी चाहिए।

श्री के० पी उन्नीकृष्णन (बडागरा) : विजया बैंक के अध्यक्ष आपराधिक और गलत कार्य कर रहे हैं। एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि उनका सेवाकाल बढ़ाया गया है। लेकिन रिजर्व बैंक ने उनकी एक वर्ष तक सेवा काल में वृद्धि की है। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के निरीक्षण प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से टेलीफोन पर वार्ता की थी। यह कहा गया था कि विजया बैंक के अध्यक्ष का सेवाकाल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि वह कुछ शर्तें पूरी करें। क्या उन्होंने आज तक वे शर्तें पूरी की हैं? मंत्रालय और रिजर्व बैंक क्या करते रहे हैं? कौन क्या छिपा रहा है? टेलैक्स सूचना और बार बार भेजे गए स्मारकों के बाद भी वित्त मंत्री महोदय किस के दबाव में आकर मौन बने हुए हैं? 24 जून को इस सदन में मामला उठाये जाने के बाद उन्होंने क्या कार्यवाही की? उनके विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले हैं। उनका पासपोर्ट भी ले लिया गया था। लेकिन पता नहीं वह कैसे उनके पास वापस चला गया। अपराधी को दण्ड मिलना ही चाहिए। मंत्री महोदय को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। फिर भी वह अब तक क्या करते रहे मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या उनसे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कोई सलाह ली थी? उन शर्तों को आज तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया?

श्री कोंडाजी बासप्पा (दावनगेरे) : यह बैंक 1931 में चालू हुआ था। जब 1962 में वर्तमान अध्यक्ष ने कार्यभार सम्भाला तो इसकी 21 शाखाएं थीं और 176 कर्मचारी काम करते थे। अब 446 शाखाएं हैं जिनमें 7500 कर्मचारी काम करते हैं और 221 करोड़ रुपये का जमा खाता है। इनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में बैंक ने अत्यधिक प्रगति की है। मैं अनुभव करता हूं कि बैंक का कार्यकरण बहुत सन्तोषजनक है।

श्री ए० आर० बद्रीनारायण (शिमोगा) : इस बैंक का कार्य बहुत सन्तोष जनक है। हमें आयकर के मामले के ब्यौरे का तो पता नहीं है क्योंकि इसका पता लगाना न्यायालय का काम है कि क्या कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं। इस मामले के अतिरिक्त और कोई अनियमितता का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। 16 अधिकारियों

की शिकायत के मामले की जांच की जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने यह कह दिया है कि रिजर्व बैंक ने बाहर से अपनी इच्छा का व्यक्ति नियुक्त किया है। हमें की जा रही जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा लगाये गये आरोपों की गहराई से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। लेकिन ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए जिनकी पुष्टि न हो। मैं जानता हूं इस बैंक ने कितनी प्रगति की है। फिर भी यदि अध्यक्ष पर लगाये गए आरोपों में से कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री ए० के० कोत्राशट्टी (बेलगाँव) : विजया बैंक और इसके अध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या लगाए गए आरोप रिजर्व बैंक के निरीक्षण प्रतिवेदनों में आ जाते हैं और क्या निरीक्षण प्रतिवेदनों को बाहर के व्यक्ति देख सकते हैं? यदि नहीं तो यह जानकारी बाहर कैसे गई और क्या जानकारी बाहर भेजने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : विजय बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध श्री लकप्पा और श्री उन्नीकृष्णन द्वारा कई गम्भीर आरोप लगाये गए हैं। श्री उन्नीकृष्णन ने तो यहां तक कहा है कि मैंने उसे निजी तौर पर बचाने की कोशिश की है। प्रथम, मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि किसी को बचाने में मेरी कोई रुचि नहीं है। दूसरे, सम्भवत: यह गलतफहमी इस लिए पैदा हुई है कि कुछ दिन पहले मैंने इस सदन में कहा था कि ये अपराध तकनीकी हैं। "तकनीकी" शब्द मैंने एक विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किया था। प्रश्नकर्ता ने यह कहा था कि उसने (अध्यक्ष) घृणित अपराध किया है। मैंने कहा था कि यह अपराध विभिन्न खातों के मामलों में 400 रुपयों से अधिक ब्याज घोषित करने में अध्यक्ष की असफलता के मामलों से सम्बन्धित है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे सभी जाली खाते हैं और उन पर ब्याज दिया गया है।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य के पास मुझ से अधिक जानकारी है। बैंक का अध्यक्ष जमा राशि की ओर और शाखा कार्यालयों से भेजी गई सूचना की ओर ध्यान नहीं देता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : यह सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : बैंगलौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दी गई गवाही को देखने से पता लगेगा कि ये जाली खाते हैं। ब्याज का भुगतान शाखाओं ने शाखा प्रबंधकों द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन ब्याज का भुगतान केन्द्रीय कार्यालय से अध्यक्ष द्वारा किया गया था।

***श्री एच० एम० पटेल :** मैंने अब यह शिकायत नहीं देखी थी जिसका आप ब्यौरा दे रहे हैं। यदि आप प्रश्न को देखें तो आप को पता चलेगा कि उत्तर पूरा दिया गया था इसीलिए मैंने "तकनीकी" शब्द का उच्चारण किया था।

श्री लकप्पा ने उल्लेख किया है कि उनके विदेशी खाते भी हैं। लेकिन इस बात को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। यदि श्री लकप्पा के पास ऐसी कोई जानकारी है

तो मुझे दे दें। मैं निश्चय ही इसकी जांच कराऊंगा। यह प्रश्न ब्लिटज में प्रकाशित समाचार से उठाया गया है। उन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया है। लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में यह नहीं कहा गया है·······

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसमें बताया गया है कि वह योग्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : निरीक्षण प्रतिवेदनों में ऐसा विवरण नहीं होता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ लगे सिफारिश करने वाले टिप्पण निरीक्षण प्रतिवेदन के ही भाग होते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : यह भिन्न मामला है। (व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : निरीक्षण द्वारा पेश किए गए सभी कागजात प्रस्तुत किए जायें। (व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं कि मेरा ऐसा कोई आशय नहीं है। मैं स्पष्ट करे देता हूं कि किन परिस्थितियों में मैंने यह कहा कि यह अपराध 'तकनीकी' किस्म का है। (व्यवधान)। विजया बैंक के सम्बन्ध में बहुत सी बातें उठाई गई ह और जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उससे मैं स्वयं आश्वस्त हूं और समझता हूं कि विजया बैंक के सम्बन्ध में जांच कराना आवश्यक है। यही मैं करना चाहता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 28 जुलाई, 1977 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 18 जुलाई, 1977 को पास किये गये वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को इन सिफारिशों के साथ लौटा दिया है कि विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :—

खण्ड 3

1. कि पृष्ठ 5 पर, खण्ड 3 का **लोप कर दिया जाए।**

खण्ड 13

2. कि पृष्ठ 10-11 पर, खण्ड 13 का **लोप कर दिया जाए।**

खण्ड 15

3. कि पृष्ठ 12 पर, पंक्ति 32 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** अर्थात् :—

"(iii) समामेलित कम्पनी समामेलन के समय समामेलक कम्पनी के रोल में दर्ज कर्मचारिवृन्द तथा श्रमिकों को पूर्ण रूप से आमेलित कर लेती है।"

खण्ड 20

4. **कि पृष्ठ 16 पर, खण्ड 20 का लोप कर दिया जाए।**

खण्ड 21

5. कि पृष्ठ 16-17 पर, खण्ड 21 का **लोप कर दिया जाए।**

तीसरी अनुसूची

6. कि पृष्ठ 49 पर,—

(i) पंक्ति 7-8 में कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "(3) (i), (3) (ii)" का **लोप कर दिया जाए;** और

(ii) पंक्ति 10-11 में, "चार रुपए साठ पैसे प्रति हजार।", "एक रुपया साठ पैसे प्रति हजार।" **शब्दों का लोप कर दिया जाए।**

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977

FINANCE (NO. 2) BILL, 1977

राज्य सभा द्वारा लौटाए रूप में

श्रीमन्, मैं वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को जिसे राज्य सभा ने सिफारिश किए गए संशोधनों के साथ लौटाया है सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय: अब सदन कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होता है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 29 जुलाई, 1977/7 श्रावण, 1899 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 29, 1977/ Sravana 1899 (Saka).

765LSS—200—29—11—77—GIPF.

P.L.S. 48-V.40/77 (N)
200

©1977 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

© 1977 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.